लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation
Fumigated
On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 52—29 अप्रैल, 1968/9 वैशाख, 1890 (शक)

No 52—April 29, 1968/Vaisakha 9, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. सं० S. Q. Nos.		
1497. सरकार क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	141—43
1499. मनीला में एशियाई विकास बैंक की बैठक	Asian Development Bank's meeting in Manila	143—46
1503. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना	Central Government Health Service Scheme	146—48
1506. जीवन बीमा नियम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by L.I.C. Employees	149—51
1508. गैस एक सस्ता ईंधन	Gas as a cheap Fuel	152—54
1509. पिछड़े वर्ग क्षेत्र में लद्दाख का शामिल किया जाना	Inclusion of Ladakh in Backward Classes Area	154—56
अ. सू. प्र सं. S. N. Q. Nos.		
27. बिहार में डेहरी-ग्रोन-सोन गोमों तथा बरौनी सुपौल (मीटर गेज लाइन) सेक्शनों के बीच बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel between Dehri-on-soni-Gamoh and Barauni-Supaul (M.G.) Sections in Bihar	156—58
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1498. पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी निगम के अन्तर्गत परियोजनायें	Projects under Damodar Valley Corporation in W- Bengal	159

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.		
1500. सीमावर्ती क्षेत्रों में समाज कल्याण कार्य	Social Work in Border Areas	159
1501. भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि	Amount Spent by Foreign Embassies in India	159—60
1502. उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Gorakhpur, U.P.	160
1504. चीन की ओर से जाली मुद्रा का परिचलन	Counterfiet Currency circulated by China	160
1505. पूर्वी भारत की सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में भारत-पाकिस्तान बैठक	Indo-Pak Meeting on Irrigation Projects in East India	160—61
1507. उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme in U.P. and West Bengal	161
1510. मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये उपभोक्ता वस्तुओं का फालतू भंडार	Buffer Stock of Consumer Goods for maintaining Price Level	161
1511. उत्तर प्रदेश में बिड़ला फर्मों को बिजली	Electricity to Birla firms in U.P.	161—62
1512. आयकर पदाधिकारियों की पदोन्नति के संबन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement on Promotion of I.T.Os.	162
1513. सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारियों की आवास की समस्या	Housing Problem for Retired Government Employees	162
1514. आयुर्वेदिक परिषद्	Ayurvedic Council	162—63
1515. हरिजनों के लिये उच्चस्तरीय संसदीय समिति	High Level Parliamentary Committee for Harijans	163
1516. समाचार पत्र संवाददाताओं के लिये आवास	Accommodation for Press Correspondents	163
1517. भटिंडा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Bhatinda	163—64
1518. विदेशी बैंकों में भारतीयों के खाते	Accounts of Indians in Banks abroad	164

विषय ता. प्र. संख्या S. Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1519. आयुर्वेदिक अनुसंधान के संवर्धन के लिये सहायता	Assistance for promotion of Ayurvedic Research	164—65
1520. तिब्बिया कालेज की शिक्षा समिति	Tibbia College Teachers' Committee	165—66
1521. दिल्ली में श्रेणी 2 और 3 के क्वाटरों के लिये घरेलु बिजली	Domestic Power for Types II & III Quarters in Delhi	166
1522. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना में वरिष्ठ चिकित्सक	Senior Physicians in C.G.H.S.	166
1523. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board	166—67
1524. बरौनी उर्वरक परियोजना	Barauni Fertilizer Project	167
1525. बम्बई के जाली हुंडी वाले	Bogus Hundiwalas in Bombay	167—68
1526. गुजरात में टाटा बन्धुओं द्वारा उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Gujarat by Tatas	168
अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. No.		
8730. इडिक्की पन-बिजली परियोजना	Idikki Hydel Project	168—69
8731. पत्रकारों के लिये रिहायशी मकान	Accommodation for Journalists	169
8732. उद्योगों के विकास के लिये महाराष्ट्र के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds to Maharashtra for Development of Industries	170
8733. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में साक्षरता	Literacy among Scheduled Castes/Scheduled Tribes	170
8734 प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में नियुक्त विदेशी लोग	Foreigners employed in Private and Public Limited Companies	171
8735. दूतावासों में नियुक्त भारतीयों द्वारा आयकर के विवरणों का प्रस्तुतीकरण	Furnishing of returns of Income-tax by Indians employed in Embassies	171—72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8736. फिल्मों के निर्माण में पूंजी लगाने वाले तथा वितरण करने वाले लोगों के घरों पर छापा	Raid on premises of Film Financiers and Distributors	172—73
8737. सिन्दरी में गन्धक के तेजाब का कारखाना लगाना	Installation of Sulphuric acid Plant at Sindri	173
8738. इद्दिकी परियोजना	Idikki Project	174
8739. कैंसर के उपचार के सम्बन्ध में अनुसंधान	Research in Cancer Treatment	174—75
8740. एक ग्राम में बिजली लगाने की लागत	Cost of Electrification of a village	175—76
8741. औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली के प्रशुल्क की दरें	Electricity Tariff for Industrial and Agricultural Purposes	176—77
8742. ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	Rural Electrification Programme	177
8743. कृषि प्रयोजनों के लिये पम्पिग सैट	Pumping sets for Agricultural Purposes	177—78
8744. दिल्ली में सरकारी ऋणों से बनाये गये मकानों को किराये पर दिया जाना	Renting of houses in Delhi built with Govt. loans	178—79
8745. कुछ कम्पनियों की ओर आय-कर की बकाया राशि	Income-tax Arrears from certain Companies	179
8746. कुछ कम्पनियों की ओर आय-कर की बकाया राशि	Income-tax against some companies	179
8747. हरिजन विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय छात्रवृत्ति	Central Scholarship for Harijan Students	179—80
8748. हरिजन बोर्डिंग होस्टल	Harijan Boarding Hostels	180
8749. मैसर्स ओरिएन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Timber Trading Corporation	180
8750. मैसर्स रामलाल जवाहरलाल, उज्जैन	M/s, Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain	180—81

विषय अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
8751. निजी दान	Private Donations	181
8753. दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Unauthorised Jhuggis in Delhi	181—82
8754. निर्यात सम्वर्द्धन के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Export Promotion Purposes	82
8755. मध्यप्रदेश सरकार को चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for Medical Colleges to M. Government	183
8756. एडवांस इंशोरेंस कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक की धर्म पत्नी के निवास स्थान पर छापा	Raid on the House of the Wife of Managing Director of Advance Insurance Co.	183
8757. एडवांस इंशोरेंस कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक के माता के मकान पर छापा	Raid on the House of mother of Managing Director, Advance Insurance Co.	183
8758. कलकत्ता महिला अध्ययन दल के प्रतिनिधि मंडल की प्रधान मंत्री से भेट	Meeting with P.M. by Delegation of Calcutta Ladies Study Group	184
8759. मध्य प्रदेश के लिये योजना	Plan for Madhya Pradesh	184
8760. स्त्रियों का अनैतिक पण्य	Immoral Traffic	184
8761. महाराष्ट्र में सहायता कार्यों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Relief Works in Maharashtra	184
8762. कोटा में केन्द्रीय पुलिस द्वारा पकड़े गये तस्करी के मामले	Smuggling cases detected by Central Police	185
8763. नई दिल्ली नगरपालिका में हिन्दी	Hindi in N.D.M.C.	185
8764. गोरखपुर में स्वायत्तशासी निकायों के पास भूमि	Land with Autonomous Bodies in Gorakhpur	185
8765. उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये पावर कनेक्शन	Power Connections for Irrigation Purposes in U.P.	185—86
8766. बिक्री कर सहायता आयुक्त (न्यायिक) गोरखपुर	Assistant Commissioner (Judicial) Sales Tax, Gorakhpur	186
8767. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में कुएं खोदने के लिए नकद सहायता	Cash Assistance for Digging Wells in Gorakhpur, U.P.	187

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8768. मद्रास में वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of Goods in Madras	187
8769. गंडक परियोजना की पूर्वी नहर से नेपाल को जल की सप्लाई	Water Supply to Nepal from Eastern Canal of Gandak Project	187
8770. गांधी के सिक्कों का जारी किया जाना	Issue of Gandhi Coins	188
8771. संघ राज्य क्षेत्रों के लिये पृथक वित्त आयोग	Separate Finance Commission for Union Territories	188—89
8772. दिल्ली विकास-प्राधिकार द्वारा सस्ते मकानों का निर्माण	Construction of Low-Cost Houses by D.D.A.	189
8773. भारतीय तेल निगम के लिये बैरल तथा तारकोल ड्रम	Lube Oil Barrels and Bitumen Drums for I.O.C.	189—90
8774. मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	M/s Bharat Barrel & Drum Manufacturing Company (P) Limited	190
8776. मिट्टी के तेल के लिये पीपे	Containers for Kerosene Oil	190—91
8777 तरल पेट्रोलियम गैस	Liquid Petroleum Gas	191
8778. जलसिंधी में नर्मदा नदी पर बांध	Dam on Narmada at Jalsindhi	191
8779. आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के औषधालय	Ayurvedic and Homeopathic Dispensaries	191—92
8780. कलकत्ता और बम्बई स्थित आयकर विभाग द्वारा इकट्ठा किया गया राजस्व	Revenue collected by Income-Tax Department in Calcutta and Bombay	192
8781. आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax	192—93
8782. रिजर्व बैंक की पुनर्वित्त सम्बन्धी नई योजना	Reserve Bank New Scheme on Refinance	193
8783. निर्वाह व्यय सूचकांक और महंगाई भत्ता	Cost of Living Index and Dearness Allowance	193—94

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8784. ग्वालियर में डीनेचर्ड स्पिरिट का बरामद किया जाना	Denatured Spirit recovered in Gwalior	194
8785. मद्रास तेल शोधक कारखाने का उद्घाटन	Inauguration of Madras Refinery	194—95
8786. अनिवार्य जमा योजना	Compulsory Deposit Scheme	195
8787. यूनिट ट्रस्ट के धन का विनियोजन	Investment of Unit Trust Funds	195
8788. भारतीय पूंजी बाजार	Indian Capital Market	195—96
8789. समुद्री तट-दूर से निकाले गये तेल पर रायल्टी	Royalty from off-shore drilled Oil	196
8790. खाई जाने वाली गर्भनिरोधक दवाइयों की मुफ्त सप्लाई	Supply of Free Oral Contraceptives	196—97
8792. समन्वित चिकित्सा पाठ्यक्रम पास स्नातक	Integrated Medical Graduates	197
8793. विलिंगडन अस्पताल, दिल्ली में कर्मचारी संघ	Union in the Willingdon Hospital Delhi	197
8794. दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme in Delhi	198
8795. घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing	198
8896. होम्योपैथी कालेज	Homeopathic Colleges	198—99
8797. सरकारी कार्यालयों के लिये लेखन-सामग्री का आयात	Import of Stationery Item for Government Offices	199
8798. दिल्ली में अस्पताल	Hospitals in Delhi	199
8800. कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में दुकानों तथा गन्दी बस्तियों का गिराया जाना	Demolition of Shops and Slums in Kotla Mubarakpur, Delhi	199—200
8801. दिल्ली में मोम का वितरण	Distribution of Wax in Delhi	200
8802. दिल्ली में देशी शराब पीने के बाद दिखाई देना बन्द हो जाना	Loss of vision after taking country Liquor in Delhi	200—01

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.		
8803. सल्फ्यूरिक एसिड, प्लाँट सिंदरी के बारे में बल्गारिया के साथ करार	Agreement with Bulgaria for Sulphuric Acid Plant at Sindri	201
8804. पंचकुई रोड, के क्वाटर	Punchkuin Road Quarters	201—02
8805. पंचकुई रोड, नई दिल्ली के क्वाटर	Punchkuin Road Quarters in New Delhi	202—03
8806. कलकत्ता में औषधि तथा भेषज उद्योग को एलकोहाल की सप्लाई	Supply of Alchohol to Drugs and Pharmaceutical Industry in Calcutta	203
8807. मैसूर में जाली नोट बनाने वाला गिरोह	Gang forging Counterfelt Currency Notes in Mysore	203—04
8808. दिल्ली स्थित डी. डी. टी. फैक्टरी में आग लगने की घटना	Fire in D.D.T. Factory, Delhi	204
8809. दिल्ली में सरकारी उपक्रमों के मुख्यालय तथा अतिथि गृह	Head Offices and Guest Houses of Public Undertakings in Delhi	204—05
8810. मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects, Madhya Pradesh	205
8811. होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ जिलों के लोगों पर धन कर	Wealth Tax on persons from Hoshangabad and East Nimad Districts	205
8812. मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigational Schemes in Madhya Pradesh	206
8813. असैनिक डिपुओं द्वारा दिखाई गई तेल की कमी	Shortage of Oil shown by Civilian Depots	206
8814. बैंकों की पूंजी, जमा धन तथा ऋणों की राशि	Capital Deposits and Advances made by Banks	206—07
8815. वित्त मंत्री की थाइलैंड के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Finance Minister's Talks with Thailand Prime Minister	207

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
8816	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये निःशुल्क शिक्षा	Free Education for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	207—08
8817.	श्री काकुलम आन्ध्र प्रदेश में आदिम जातीय लोगों में असंतोष	Unrest among Tribal People in Srikakulam, Andhra Pradesh	208
8818.	बम्बई स्थित एस्सो तेल शोधक कारखाने में अग्नि काण्ड	Fire in Esso Oil Refinery, Bombay	208—09
8819.	चिकित्सक	Medical Practitioners	209
8820.	सरकारी सेवा में डाक्टरों के वेतनमान	Pay Scales for Doctors in Government Service	209
8821.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बच्चों को अधिछात्रवृत्तियां	Stipends for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Children	209—10
8822.	बड़ी सिंचाई योजनायें	Major Irrigation Schemes	210
8823.	फिल्म कलाकार	Film Stars	210—11
8824.	आन्ध्र प्रदेश को सूखा सहायता	Drought relief to Andhra Pradesh	211
8825.	अहमदाबाद में अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Ahmedabad	211—12
8826.	संसद् सदस्यों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to M.Ps.	212
8827.	पम्पिंग सैटों को बिजली से चलाया जाना	Enlerginsation of Pumping Sets	212
8828.	आदिवासी बच्चों के लिये बालबाड़ी	Barwadis for Advasi Children	212—13
8829.	कर्जन रोड़ स्थित अंकटाड कर्मचारी होस्टल, नई दिल्ली से बरामद विदेशी मुद्रा	Foreign Currency Recovered from Curzon road UNCTAD-Staff Hostel, New Delhi	213

अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
8830.	पाकिस्तान को बकरी की खाल का चोरी-छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Goat skin to Pakistan	213
8831.	बिजली तथा टेलीफोनों पर मंत्रालयों का खर्च	Expenditure by Ministries on Electricity and Telephones	213—14
8832.	मैसर्स रामलाल जवाहरलाल उज्जैन	M/s Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain	214
8833.	मैसर्स रामलाल जवाहरलाल उज्जैन	Ms/ Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain	214—15
8834.	लन्दन में सरकारी उपक्रमों के कार्यालय	Offices of Public Undertakings in London	215
8835.	कोयना भूकम्प	Koyna Earthquake	215—16
8836.	चिकित्सा स्नातक	Medical Graduates	216
8837.	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	216—17
8838.	अखिल भारतीय मद्यनिषेध सम्मेलन, मद्रास	All-India Prohibition Conference, Madras	217
8939.	पश्चिमी बंगाल में बिजली की कमी	Shortage of Power in West Bengal	217
8840.	फोटो तैयार करने के उपकरणों का आयात	Import of Photo Process Equipments	218
8841.	उड़ीसा में समुद्र तट पर मिट्टी का कटाव	Erosion on Sea-coast in Orissa	218--19
8842.	उड़ीसा में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पोषाहार	Nutritional Status of Pre-School Children in Orissa	219
8843.	उड़ीसा के गाँवों में बिजली की व्यवस्था	Rural Electrification in Orissa	219
8844.	उड़ीसा स्थित हीराकुण्ड तथा हाचकुण्ड में भू-संरक्षण	Soil Conservation at Hirakund and Hachkund in Orissa	219—20
8845.	उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण के लिये ऋण	Loan for Rural Electrification in Orissa	220
8846.	कलकत्ता में सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे प्लांट	X-Ray Plants in Government Hospitals in Calcutta	220
8847.	पश्चिमी बंगाल में पुलिस थानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का नगरीय विकास	Urban Development of Areas under Police Stations in West Bengal	221

अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
8848.	पश्चिमी बंगाल में पीने के पानी के नलकूप Drinking Water Tube-Wells in West Bengal	221
8849	कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकान Accommodations for Class IV Employees in Calcutta Government Hospitals	221—22
8850.	ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन B.O.A.C.	222
8851.	उत्तर प्रदेश में जिला गढ़वाल के गांवों के लिये सिंचाई की व्यवस्था Irrigation Facilities for Garhwal Villages in Uttar Pradesh	222
8852.	मैसर्स साराभाई मर्क (बड़ौदा) की विटामिन 'सी' संयत्र Vitamin 'C' Plant of M/s. Sarabhai Merck (Baroda)	222—23
8853.	महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियां Scholarship for Scheduled Tribes in Maharashtra	223—24
8854.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग Oil and Natural Gas Commission	224
8855.	क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये सिंचाई नीति Irrigation Policy to Remove Regional Imbalances	224
8856	अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण Welfare of Scheduled Tribes	224—25
8857.	स्टेट बैंक की सहायक बैंकों में अधिकारी Officers in Subsidiary Banks of State Banks	225
8858.	दिल्ली में फीलपांव रोग का फैलना Spread of Elephantiasis in Delhi	226
8859.	सरकारी उपक्रम Public Undertakings	226
8860.	होम्योपैथिक चिकित्सक Homeopathic Practitioners	227
8861.	अफीम का मूल्य Price of Opium	227
8862.	जापान द्वारा ऋण Credit by Japan	228
8864.	उर्वरक निगम के लिये विदेशी परामर्शदाता Foreign Consultants for Fertilizer Corporation	228—29
8865.	सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कानूनों के अन्तर्गत सामान की जब्ती Goods Confiscated Under Customs and Excise Laws	229
8866.	सिंचाई परियोजनाओं के 'कमान्ड एरिया' में खेती के अन्तर्गत क्षेत्र Area under Cultivation in Command Areas of Irrigation Projects	229 - 30

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. संख्या U. S. Q Nos.		
8867. रामकृष्णपुरम, दिल्ली में क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Quarters in R.K. Puram, New Delhi	230
8868. अंदमान द्वीपसमूह में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर	C.H.S. Doctors, Andaman Islands	230—31
8869. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में की गई विभागीय जांच	Departmental Enquiries Conducted in Central Excise Department	231
8870. परिवार नियोजन के लिये जड़ी-बूटियाँ	Herbs for Family Planning	231
8871. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली की नर्सों की शिकायतें	Complaints of Nurses of Irwin Hospital New Delhi	232
8872. कालदा रजवाहा सादुल्लापुर माइनर (बुलन्दशहर)	Kalada Rajwaha Sadullapur Minor (Bulandshahr)	232
8873. कालाकोट ताप बिजली परियोजना	Kalakot Power Thermal Project	232—33
8874. दिल्ली के सर्राफा बाजार में चोरी-छिपे लाये गए चांदी के चीनी सिक्के	Smuggled Silver Chinese Coins in Delhi's Bullion Market	233
8875. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षक	Inspectors in Central Excise Department	233—34
8876. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षक	Inspectors in Central Excise Department	234
8877. बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष	Chairman, Bank of India	235
8878. बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंकिंग से भिन्न आस्तियों का अर्जन	Acquiring of Non-Banking Assets by Bank of India	235—36
8879. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष	Chairman, C.W. & P.C.	236
8880. कारखानों में उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को वापस बुलाना	Withdrawal of Excise Staff from Factories	237
8881. भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच दोहरा कराधान रोकने के लिये करार	Avoidance of Double Taxation Agreement between India and U.A.R.	237—38
8882. श्री एम० आर० चोपड़ा के सभापतित्व में नर्मदा जल विवाद पर चर्चा	Discussion on Narmada Water Dispute under Chairmanship of Shri M.R. Chopra	238
8883. आय-कर दाता	Income-Tax Assessees	238—39
8885. स्टेट बैंक बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी	Cheating of State Bank, Baroda	239

विषय अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
8886.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण के बारे में रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन	Report of Soviet Experts on the Working of O.N.G.C.	239—40
8887.	नदी तड़ागों की सिंचाई क्षमता का विकास	Development of Irrigation Potentiality of Rivers Basins	240
8888.	स्टेट बैंक की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of State Bank	241
8889.	आयकर की बकाया राशि	Income-tax Arrears	241
8890.	कुछ फर्मों द्वारा बीजक में कम राशि दिखाये जाने के परिणामस्वरूप हानि	Loss due to under invoicing by certain Firms	241—42
8892.	फिल्म उद्योग के लोगों की ओर आयकर की बकाया राशि	Income-tax Against Film People	242—43
8893.	कुछ कम्पनियों द्वारा देय आय-कर की बकाया राशि	Income Tax Arrears Outstanding against Certain Companies	243
8895.	बीजक में कम राशि दिखाये जाने के परिणामस्वरूप हुई हानि	Loss Suffered due to Under Invoicing	243—44
8898.	कुछ कम्पनियों से आय-कर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears from certain Companies	244
8899.	राजस्थान में आयकर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears outstanding in Rajasthan	244—45
8900.	हैदराबाद में पकड़ा गया विदेशी चिन्ह अंकित सोना	Gold Seized with Foreign Markings in Hyderabad	245
8901.	ट्रांबे उर्वरक कारखाने द्वारा नये प्रकार के सम्मिश्र उर्वरक का उत्पादन	New Complex Fertilizer Produced by Trombay Fertilizer Factory	245—46
8902.	नये मुद्रणालयों की स्थापना	Setting up of new Printing Presses	246
8903.	नेपाल में भू-स्खलन	Land slides in Nepal	246—47
8904.	विलिंगडन अस्पताल के कर्म-चारियों के घरों में पाई गई दवाइयां तथा डाक्ट-री औजार	Medicines and Medical Instruments found in house, of Willingdon Hospital Employees	247
8905.	अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास संबंधी समिति	Committee on untouchability and economic and Educational development of Scheduled Castes	247—48
8906.	बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Tribes employees in Banks	248—49
8907.	तुंगभद्रा बोर्ड के अध्यक्ष	Chairman, Tangabhadra Board	249
8908.	पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य	Price of Petroleum Products	249—50
8909.	नेफ्था-आधारित उर्वरक उद्योग	Naphtha-based Fertilizer Industry	251

अ० ता. प्र. सं० U. S. Q. Nos.		
8910.	इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश	Indian Drugs and Pharmaceutical Ltd. Rishikesh 251
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 252—56**
	हरिजनों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported statement by Agriculture Minister of Andhra Pradesh against Harijans 252—56
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan 252—56
	कच्छ में सदस्यों का अवरुद्ध किया जाना, हटाया जाना तथा गिरफ्तार किया जाना	Restraint, Removal and Arrest of Members in Kutch 256—57
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table 257—59
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee 259
	कार्यवाही साराँश	Minutes 259
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings 259
	कार्यवाही सारांश तथा इक्कीसवाँ प्रतिवेदन	Minutes and Twenty-first Report 259
	साँप की खाल पर निर्यात शुल्क के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Export duty on snake skins 259—63
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh 259—260, 261—62
	श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte 260, 261—62
	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee 261—62
	श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata 262
	श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra 262
	वित्त विधेयक, 1968	Finance Bill, 1968 263—79,280—81
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider
	श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai 263—66
	श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker 266—69
	श्री दामानी	Shri S.R. Damani 269—70
	श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S.S. Kothari 270—72
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha 272—73
	श्री सेझियान	Shri Sezhiyan 273—74
	श्री बी० एन० कथम्	Shri B.N. Katham 274—75
	डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh 275—77
	श्री न० कु० साल्वे	Shri N.K.P. Salve 277—79
	श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata 279
	श्री म० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam 280—81
	सदस्यों की गिरफतारी दोष-सिद्धि तथा रिहाई	Arrest conviction and release of Members 276—80
	रूई के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Prices of Cotton 281—84
	श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh 281—82
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh 283—84

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 29 अप्रैल, 1968/9 वैशाख, 1890 (शक)

Monday, April 29, 1968/Vaisakha 9, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*1497. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1968 में इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री की अध्यक्षता में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों की एक बैठक दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन किन समस्याओं पर विचार किया गया था और क्या-क्या निर्णय किये थे ;

(ग) क्या सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से एक कारखाने से दूसरे कारखाने में तथा एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में स्थानान्तरण करके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्तम तालमेल स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) इस्पात, खान और धातु मन्त्री की अध्यक्षता में दिल्ली में मार्च, 1968 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों की कोई बैठक नहीं हुई थी, लेकिन दिसम्बर, 1967 में ऐसी बैठक हुई थी ।

(ख) से (घ) इस सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित मुख्य समस्याओं पर अर्थात् : (1) संगठन के रूप (2) आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति (3) औद्योगिक सम्बन्धी और (4) समान संवर्गों (कामन केडर) पर विचार-विमर्श किया ।

Shri Prem Chand Verma : (a) I would like to know from the hon. Finance Minister whether it is not a fact that a discussion is being made in regard to Public Undertakings and statutory and holding companies and a round table conference was called by the hon. Prime Minister in which this point was discussed and again in December a meeting was called by the Steel Minister. After that it was recommended by the A.R.C. in their report that a sector corporation should be constituted, but no action has so far been taken by the Government. I would like to know the reasons for not taking any action and the time by which Government will declare their policy in this regard ?

(b) I would also like to know the number of the Companies in which the decision of incentive to those workers who have achieved the target of production or whose production is even more than the target and giving participation to the workers in the management of the company is being implemented and the number of those companies which are not implementing this decision together with the reasons therefor and the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Prime Minister and the Finance Minister (Shri Morarji Desai) : I have already stated in this House that the recommendations made by the A.R.C. during the last two months have been very thoroughly considered by the Cabinet and the Cabinet have reached on certain decisions in regard to most of the recommendations. There are few points over which decisions are likely to be taken by the Cabinet in near future. As soon as decisions are taken on the remaining points, a statement will be laid on the Table of the House.

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the hon. Finance Minister whether it is not a fact that a capital of Rs. 3046 crores has been invested in public sector undertakings by 31st March, 1968 but the returns on that capital have not been satisfactory. Is it also a fact that Government has not taken those steps which were considered necessary for the proper functioning of the Public undertakings ?

The hon-Prime Minister had said on 14th or 15th June, 1967 in a meeting of the Heads of Public Undertakings that 30% staff of the Public undertakings is surplus and norms should be fixed. I would like to know the steps Government propose to take to remove the difficulties for the proper functioning of the public undertakings ?

Shri Morarji Desai : My reply is the same, as I have given to the main question.

Shri Beni Shankar Sharma : The public undertakings have always been running in loss. I would like to know from the hon. Minister whether he will take any such steps which will be conscription of able businessmen in the Public Sector undertakings, so that our Undertakings, are run on sound footing.

Shri Morarji Desai : It is an information only.

श्री दामानी : हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा होने के मुख्य कारण, जैसा कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने बताया है, फालतू कर्मचारियों एवं श्रमिकों का होना तथा उत्पादिकता का कम होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कोई ठोस निर्णय किया गया है तथा सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन में सुधारने के लिये क्या राज्य सरकारें हमारे साथ सहयोग कर रही हैं ?

श्री मोरार जी देसाई : जैसा कि मैंने बताया है कि निर्णय किये जा रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय किये जायेंगे। निर्णय किये जाने के बाद ही हम यह बता सकेंगे कि वास्तव में क्या कार्यवाही की जायेगी।

Shri Rabi Ray : It has been disclosed in the Report that the idle capacity of the Heavy Engineering Corporation, Ranchi has crossed all proportions and there will be no profit in that corporation by 1971. I want to know the hon. Minister's reaction in this regard.

Shri Morarji Desai : We are thinking over this question.

Asian Development Bank's Meeting in Manila

*1499. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Beni Shankar Sharma :
Shri D.C. Sharma :
Shri S. S. Kothari :
Shri Deven Sen :
Shri Shardhakar Supakar:
Shri C. Chittybabu :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the Asian Development Bank was held in Manila during the first week of April, 1968 : and

(b) if so, the subjects discussed and the conclusions arrived there at ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes Sir.

(b) The agenda for the meeting consisted of consideration of the Annual Report of the Bank for the year, 1967 and 1968, consideration of the Financial Statements and Auditors Report, review of Rules and Regulations for the Bank's operations as also a review of the Bank's activities.

After consideration of the various agenda items, the Board of Governors noted with satisfaction the performance of the Asian Development Bank during the first year of its operation.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I want to know from the hon. Minister whether loans will be advanced by this bank for commercial purposes only or loans will also be advanced for developmental purposes by this bank and the number of countries who have applied for loans during the year for which the report has been submitted and how those applications have been disposed off ?

Shri Morarji Desai : Only one year has elaspsed since the establishment of this Bank. So far loan has been granted to Thailand only.

Shri Raghuvir Singh Shastri. How many applications have been received ?

Shri Morarji Desai ; Perhaps two or three applications have been received. I am not in a position to give their exact number off-hand.

Secondly the bank has revised the position which existed in the agricultural prospects. All this has been done in one year.

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is given in the Report that countries like U. S. A., Canada, Netherlands and Japan, who are not members of this bank, have promised to give loans to this bank on very easy terms. In view of this I want to know the rate of interest that will be charged by the loan giving countries from the bank and the rate of interest that will be charged by the bank from the loan receiving countries and whether any relation will be maintained between these two rates of interest ?

Shri Morarji Dasai : All the countries who have promised help are members of this Bank. The membership of this bank is not limited to Asian countries only. The only condition is that money will be utilised in Asian region only. We welcome those countries and as those countries are affluent ones, if they join the bank, it will be good for us. The terms

of their loans have so not so far been settled. Our stand is that the terms of the loan should be beneficial to the developing countries and those should not be deterimental to their interest.

Secondly we are negotiating that there should be no condition of purchasing goods from the loan giving countries. All these matters are under consideration.

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, So far as I think in the Asian Development Bank America and Japan have share of the value of 200 milion dollars each and India's shares are nearly of the value of 93 million dollars. It means we are the third biggest share holders in the Asian Development Bank. As America and Japan are developed countries, they are not entitled to get any kind of benefit from this Bank. So India is the first country which should get the largest amount of help from this Bank for her developmental works. In view of this will the hon. Minister be pleased to state the nature and amount of assistance India has got from this bank and the nature and amount of assistance other countries have got and the nature and amount which we are likely to receive during the next five year plan ?

Shri Morarji Desai : India ranks third among the share holders. America and Japan have got the shares of 200 million dollars each, while our shares are of the value of 93 million dollars. India is a developing country and not a developed country. But India is the biggest country among the developing countries and hence we want to give help instead of taking help. I will make it known that India will not ask for any assistance, unless it is absolutely essential. We do not want to create any misunderstanding among other countries by taking away the largest amount. So we will take help if it is absolutely necessary otherwise we do not want to take any help.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : सम्मेलन में उप प्रधान मन्त्री ने जो बातें कही थीं, उन में से दो मुख्य बातें यह थीं कि इस संगठन के द्वारा हमारे देश के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है तथा इस से अविकसित देशों को बिना शर्त जुड़े हुए सहायता मिल सकेगी। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो आशाओं के कहां तक फलीभूत होने की सम्भावना है ?

श्री मोरार जी देसाई : हम आशा करते हैं कि ये आशायें फलीभूत होंगी। जीवन सदा आशाओं पर निर्भर रहता है। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि हमारी आशायें पूर्णरुपेण फलीभूत होंगी, परन्तु मुझे विश्वास है कि हमारी आशाएं बहुत हद तक फलीभूत होंगी।

श्री दी० च० शर्मा : उप-प्रधान मन्त्री ने अभी बताया कि भारत तीसरे नम्बर पर सब से बड़ा अंशधारी देश है। भारत ने अब कितनी राशि का अंशदान दिया है तथा अगले पांच वर्षों में वह कितनी राशि का अंशदान देगा तथा क्या अगामी पांच अथवा दस अथवा पंद्रह वर्षों के लिये भारत ने अंशदान की राशि निर्धारित की है ?

श्री मोरार जी देसाई : माननीय सदस्य हिन्दी समझते हैं। शायद उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक नहीं सुनी है। मैंने कहा है कि अमरीका और जापान के दो सौ मिलियन डालर के शेयर हैं और भारत के 93 मिलियन डालर के शेयर हैं तथा भारत इस में से आधी राशि निकाल सकता है और वह भी पांच वर्षों में और इस राशि में से आधी राशि विदेशी मुद्राओं में परिवर्तनीय है तथा आधी अपरिवर्तनीय।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या विकसित देशों ने बैंकों में शेयर पूंजी लगाते समय कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

श्री मोरार जी देसाई : इस बारे में बातचीत चल रही है। परन्तु इस समय प्रवृत्ति यह है कि सहायता देने वाले देश यह आशा करते हैं कि माल उनके देश से खरीदा जाये। इस आकर्षण के कारण सहायता भी दी जा रही है। परन्तु ऐसे देश भी हैं, जो यह शर्त लगाये बिना सहायता दे रहे हैं। इस लिये हम अन्य सब देशों से भी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि सहायता के साथ कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और किसी भी देश से माल खरीदने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु अभी मैं यह नहीं कह सकता कि हमारा अनुरोध स्वीकार किया गया है अथवा नहीं।

श्री उमा नाथ : विकसित देशों का लगभग 80 प्रतिशत अथवा अधिकांश शेयरों पर अधिकार है। मैं समझता हूँ कि मताधिकार भी शेयरों से सम्बन्धित है। जैसा कि हम ने हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में भी देखा है विकसित देश विकासशील देशों का शोषण करने के तरीके तथा रास्ते ढूंढ रहे हैं। इस बात को देखते हुऐ मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा उस बैंक में रहने तथा अपने आपको शोषण के लिये पेश करने का क्या फायदा है? दूसरे शेयरों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे 93 मिलियन डालर के शेयर हैं। मैं समझता हूँ कि ये शेयर विदेशी मुद्रा में हैं। हमें ऋणों का भुगतान करने के लिये ही विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई पेश आ रही है। जब हमारी ऐसी स्थिति है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उप-प्रधान मन्त्री इसके लिये विदेशी मुद्रा कहां से लायेंगे।

श्री मोरार जी देसाई : मैं माननीय सदस्य के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ कि विकसित देश विकासशील देशों का शोषण करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य के कथन से आश्चर्य चकित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि माननीय सदस्य सदा यह सोचते हैं कि उनको तथा उनके मित्रों को छोड़ कर सब शोषक हैं।

श्री मधु लिमये : विकसित देशों में उनका कोई मित्र नहीं है।

श्री मोरार जी देसाई : रुस है। रुस उनका मित्र है। इस लिये आपकी बात ठीक नहीं है।

Shri S. S. Kothari : To him Russia is also an exploiter. China is his only friend.

श्री मोरार जी देसाई : जैसा कि मैंने बताया हम जो मुद्रा दे रहे हैं उसमें से आधी परिवर्तनीय है और आधी अपरिवर्तनीय तथा उसे पांच वर्षों में दिया जायेगा। परन्तु यदि हम यह क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो चूंकि हमारा देश सबसे बड़ा देश है इसलिए हमारा अंशदान और भी अधिक होना चाहिए। हमारा अंशदान अमरीका तथा जापान से भी अधिक होना चाहिये। परन्तु हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं। परन्तु हम सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि यह हम सब के हित में है।

श्री उमा नाथ : क्या इस अंशदान के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये हम अमरीका से ऋण ले रहे हैं?

श्री मोरार जी देसाई : यदि हम अमरीका से ऋण ले भी रहे हैं, तो भी माननीय सदस्य को कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये और यदि उन्हें चिन्ता है तो वह हमें अपने मित्रों से ऋण दिलवा दें।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने और विशेषतया जापान के प्रतिनिधियों ने मनीला में हुए एशियाई विकास सम्मेलन में कहा था कि वह विकासशील देशों को बैंक के माध्यम से धन सहायता देने को तैयार नहीं है तथा वह द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर सहायता देंगे और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देखा है। सहायता दोनों प्रकार की है द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय। यह तरीका बहुपक्षीय सहायता का है।

श्री हेम बरुआ : कुछ विकसित देशों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे विकासशील देशों को बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता देने को तैयार नहीं हैं।

श्री मोरारजी देसाई : यदि वे ऐसा करते तो बैंक के अंशधारी न बनते। सब देश बैंक के अंशधारी नहीं बने हैं, लेकिन बहुत से देश बैंक के अंशधारी बने हैं। 19 सदस्य ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के हैं और 13 सदस्य ऐसे हैं जो इस क्षेत्र के नहीं हैं, वास्तव में यह देश विकसित देश हैं। कुछ और भी विकसित देश हैं। परन्तु जो विकसित देश सदस्य बने हैं इनकी इच्छा सहायता करने की है तथा इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायता करने के अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी इच्छा नहीं है।

श्री रंगा : क्या यह बैंक इसलिए स्थापित किया गया है कि पूर्वी क्षेत्रों के देशों में अधिक व्यापार हो सके ? क्या इस बैंक का उद्देश्य ऐसे देशों को ऋण देना है, जो (दूसरे एशियाई देशों से) उधार माल खरीदना चाहते हैं ? यदि ऐसा है तो हम बैंक की स्थापना तथा उसके कार्यों का स्वागत करते हैं। क्या रूस तथा उसके सम्बद्ध अन्य देशों को भी इस बैंक में शामिल होने तथा ऋण देने के लिए आमंत्रित किया गया है, जैसा कि अन्य पश्चिमी देशों को आमंत्रित किया गया है।

श्री मोरारजी देसाई : इस बैंक की स्थापना से पहले रूस ने "इकाफे" द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रारम्भिक बातचीत में भाग लिया था। परन्तु जब बैंक वास्तव में स्थापित किया गया, तो रूस उस में शामिल नहीं हुआ। यदि रूस इसमें शामिल होता है तो हमें खुशी होगी, परन्तु हम उसको इसमें शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

श्री रंगा : क्या उसको अभी तक खुला निमंत्रण है ?

श्री मोरारजी देसाई : सब को खुला निमंत्रण है।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना

***1503. श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नागरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना का दर्जा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना को वर्ष 1963 से, जब इसे चाल किया गया था, अपीनस्थ सेवा घोषित कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के कर्मचारी भी इसे अधीनस्थ सेवा घोषित कराने की मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से इसे अभी तक अधीनस्थ सेवा घोषित नहीं किया जा सका है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) हैडक्वार्टर में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का कार्यकाल स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का एक अभिन्न अंग है जो स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय का एक संलग्न कार्यालय है ।

(ख) जी हां । यह स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय का एक अधीनस्त कार्यालय है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस प्रस्ताव से क्या क्या आर्थिक जटिलतायें आयेंगी इनका विस्तार से अध्यन किया जा रहा है ।

श्री बलराज मधोक : मन्त्री महोदय ने अभी स्वीकार किया है कि बम्बई में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना एक अधीनस्त सेवा है । एक अधीनस्थ सेवा और संलग्न सेवा में यह अन्तर है कि अधीनस्थ सेवा में कर्मचारियों की पदोन्नति उसी सेवा के कर्मचारियों में से होती है तथा दूसरे मन्त्रालयों से कोई व्यक्ति नहीं लाया जाता । यदि बम्बई में ऐसा किया गया है, तो दिल्ली में जहां कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों की संख्या और भी अधिक है इसे अधीनस्थ सेवा क्यों घोषित नही किया जाता तथा दूसरे मन्त्रालयों से अधिकारियों को लाना बन्द क्यों नहीं किया जाता, ताकि उस सेवा के कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें ?

The Minister of Health, Family Planning and Urban Development. Shri Satyanarayan Sinha : The matter has already been raised by many hon. Members twice. After the introduction of this scheme in Bombay, emergency was imposed and as the Hon. Members are aware that was followed by a type of ban on the creation of newpost that this matter involved a financial implication to the tune of Rs. 1-50 lakhs.

श्री रंगा : माननीय मंत्री हिन्दी में बोल रहे हैं।

श्री सत्यनारायण सिंह : मेरे हिन्दी में बोलने से आपको क्या एतराज है । इसमें आर्थिक जटिलतायें थीं । हम ने 1,30,000 रुपये अधिक खर्च किये हैं । उदाहरण के तौर पर हमें स्थान की आवश्यकता थी और इसके लिए हम ने निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया था । हम वित्त मंत्रालय के साथ भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं । यदि दोनों मंत्रालय सहमत हो जाते हैं तो इसे लागू किया जायेगा, अन्यथा आपको कुछ समय के लिए और प्रतीक्षा करनी होगी ।

Shri Balraj Madhok : May I know whether it is not a fact that the C.G.H.S. doctors have represented their difficulties and grievances many a times. The difficulty of the doctors and especially of the Lady doctors is that they are recruited here but they are

asked to go at far away places. That is why they have formed a Union. But instead of hearing their grievances the office bearers of the Union have been victimised. So there is great resentment among the doctors of C.G.H.S. and they have even served two notices of strike. May I know whether the hon. Minister will look into the grievances of C.G.H.S. doctors and whether a small committee will be constituted to consider the terms of the doctors ?

Shri Satya Narayan Sinha : The hon. Member has asked a very good question. I would like to say that the boot is on the other leg i.e. Government should have complaints against the doctors and not the doctors against the Government The pay of the doctors was raised on the condition that doctors will have to go to other territories outside Delhi by rotation. But if we want to send a doctor out of Delhi, we receive a number of letters either from Unions or the Members of Parliament requesting for cancellation of transfer orders—at least I have seen it since I took charge of this Ministry. Recently a reference was made at a meeting of the consultative committee that doctors who are in Delhi want to remain here. They do not want to be disturbed at all. We consulted and sought the advice, from the Unions as to what should be done in this regard. Afterwards we decided not to send those outside Delhi who are above forty or who are having more children. But some people must go—at least young doctors. The present position is those who are serving in NEFA are still in NEFA and those who are in Delhi still continue in Delhi. They are hardly prepared to go beyond Simla. But in the case of lady doctors we do not generally send them outside. But there are some lady doctors, whose husbands are also doctors. In their case it is argued that they should be allowed to remain at one station. During war time so many military officers are sent outside, but their wives do not clamour for their company. Lady doctors say that they both will go together. This is a problem and a problem how to solve it. We cannot find such hospitals everywhere as can accommodate both.

Shri Molahu Prasad : The C.G.H.S. was introduced in Bombay in 1963 and this service has been declared a subordinate service there. This scheme was introduced in Delhi in 1954 and despite the recommendations of the Radha Raman Committee in 1960 and the Staff Inspection Unit in 1961 and 1966 this has not been declared subordinate service. I would like to know the reasons therefor ?

Shri Satya Narayan Sinha : I have already answered this question. In reply to Shri Madhok's question, I have stated that there are two difficulties one regarding money and the other regarding space—to implement the recommendations.

Shri Molahu Prasad : The scheme was introduced in Delhi in 1954 and this came into existence in Bombay in 1963. Therefore this service should have been declared as subordinate service first in Delhi and then in Bomby.

Shri Satya Narayan Sinha : There are no Central offices in Bombay but in Delhi there is the office of the Director General, Health Services. Because there is no Director General in Bombay, therefore some independence was given there.

Shri Ram Charan : The hon. Minister has just stated that doctors do not want to go anywhere else than there present posting. I would like to know why Government do not introduce such a system that after a specified period every doctor will be transferred whether male or female. It will lead to efficiency and administrative equality. I want that every doctor should be automatically transferred after three years' service.

Shri Satya Narayan Sinha : I am ready. The hon. Members should co-operate with me in this matter.

जीवन बीमा निगम कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*1506. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री अवचेजियान :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री समर गुह :**
श्री प० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री रमानी : **श्री उमानाथ :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री राजाराम :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री तेन्नेटि विश्वानाथम : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 5 अप्रेल, 1968 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और कर्मचारियों के कुछ नेताओं को आनुशासिक कार्यवाही के नोटिस दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों को नोटिस दिये गये थे; और

(घ) उनकी माँगों पर सरकार अथवा जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : चण्डीगढ़ में जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय के 5 कर्मचारियों को पुलिस द्वारा 9 अप्रैल 1968 को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन पर जीवन बीमा निगम के उन कुछ कर्मचारियों के घरों पर हिंसा की वारदातें करने का आरोप था जो हड़ताल के दिन कार्यालय में उपस्थित हुए थे अथवा जिन्होंने छुट्टी ली थी । पुलिस की जांच-पड़ताल पूरी होने तक इन व्यक्तियों को मुअत्तल कर दिया गया है; वे अब जमानत पर हैं ।

(घ) इस मामले में कार्यवाही जीवन बीमा निगम द्वारा ही की जानी है ।

श्री चेंगलराया नायडू : जब इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी तो एक करोड़ से अधिक रुपये ही हानि हुई थी । बाद में उन कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया गया तथा हड़ताल की अवधि को छुट्टी की अवधि समझा गया । क्या सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को भी यह रियायत देगी तथा उनके विरुद्ध बनाये गये आरोप पत्रों को वापस लेगी तथा उनके विरुद्ध की गई विभागीय कार्यवाही को बन्द करेगी ? जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के कड़े विरोध को देखते हुए क्या उनको वेतन तथा अन्य भत्तों के बारे में भी वही रियायत दी जायेगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : ये सब बातें विचाराधीन हैं । जो पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, उन्हें हड़ताल में भाग लेने के लिए नहीं अपितु पुलिस की जांच के आधार पर गिरफ्तार किया गया है ।

श्री चेंगलराया नायडू : यदि सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की समस्या को हल नहीं करती है, तो यह खतरा है कि ये कर्मचारी राजनीतिज्ञों के हाथों में खेलने लगेंगे। इस बात को देखते हुए क्या सरकार उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : बातचीत का हर रास्ता हर व्यक्ति के लिए खुला है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ का जीवन बीमा निगम का डिवीजनल मैनेजर पुलिस अधिकारी का मित्र है तथा इन कर्मचारियों को गिरफ्तार कराने के लिए उसने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया है। क्या यह भी सच है कि 4 तथा 5 तारीख को समस्त देश के कुछ जीवन बीमा निगम कर्मचारियों ने श्रम मन्त्री को मिलने तथा उन्हें अपनी मांगें पेश करने के लिए विजय चौक में शांकेतिक भूख हड़ताल की थी और यदि हां, तो उनकी मांगों का क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एक पुलिस अधिकारी जीवन बीमा निगम के अधिकारी का मित्र है जो कुछ दिल्ली में हुआ है वह एक अलग मामला है। यह चण्डीगढ़ के बारे में न कि दिल्ली के बारे में।

श्री उमानाथ : मांगपत्र के सम्बन्ध में बातचीत विफल हो गई थी। 5 तारीख को उन्होंने हड़ताल कर दी थी। अब चुँकि सरकार इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है इसलिए वे देश व्यापी आम हड़ताल करने वाले हैं। प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय उप-मंत्री ने कहा है कि इस मामले में कार्यवाही करना जीवन बीमा निगम का काम है। चेयरमैन के रवैये के कारण सब बातचीत खत्म हो गई है। समान्यतया बातचीत माँगों के औचित्य के आधार पर होती है तथा बातचीत में दोनों पक्ष भाग लेते हैं। चेयरमैन ने यह रवैया अपनाया है कि जब तक कार्मिक संघ उसके द्वारा पूर्व निर्धारित राशि के अनुसार अपने मांगपत्र को दुबारा तैयार नहीं करता, तब तक वह बातचीत करने को तैयार नहीं है। इसी कारण से बातचीत विफल हो गई है।

क्या उप-प्रधान मन्त्री चेयरमैन को सलाह देंगे कि वह इस शर्त को छोड़ दें कि उन द्वारा बताई गई राशि के आधार पर मांग पत्र को पुनः तैयार किया जाये, ताकि देश व्यापी हड़ताल को रोका जा सके ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य को ज्ञान है कि जीवन बीमा निगम एक स्वायतशासी निगम है।

श्री मधु लिमये : जाली।

श्री मोरारजी देसाई : इसके बारे में जाली होने की कोई बात नहीं है।

Shri Madhu Limaye : I want to make it clear that when a Manager of the L.I.C. had offered to conclude an agreement the Finance Ministry intervened. Autonomy is not discussed at that time.

Shri Morarji Desai : This is absolutely wrong. How did they know it ? Later on they never made a commitment to give. If discussion takes place in the beginning, advice is certainly given. Advice is given if they ask for it. The contents of the advice are not

divulged. The final decision is to be taken by the Chairman and we have to support that.

श्री उमानाथ : क्या कारण है कि वित्त मन्त्री मेरे अध्यक्ष को यह नहीं बताते हैं कि उन्हें ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिये अर्थात् यह नहीं कहना चाहिये कि उनके द्वारा सुझाई गई राशि के आधार पर केन्द्र अपनी मांगों में परिवर्तन करे ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि मैं अध्यक्ष की सलाह को सही समझता हूं, तो मैं उन्हे कोई अन्य सलाह नहीं दे सकता ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : क्या जीवन बीमा निगम अधिनियम में यह उपबन्ध है कि सरकार किसी भी समय हस्तक्षेप करके अनुदेश दे सकती है, यदि हां, तो उसे स्वेपत्तशासी निगम क्यों कहा जाता है ।

श्री मोरारजी देसाई : स्वापत्तता का यह अर्थ नहीं है कि सरकार अनुदेश नहीं दे सकती । किन्तु निदेश सदैव लिखित रूप में दिये जाते हैं । विदेश नीतियों के सम्बन्ध में दिये जाते हैं नाकि दिन प्रतिदिन के कार्य के बारे में । सरकार उन पर अपीलें नहीं सुनती ।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the representatives of L. I. C. Unions have been called and their problems discussed with them, if not, the reasons therefor ?

Shri Morarji Desai : I do not call anybody. If they want to see me, I will certainly meet them.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जा रहीं हैं और उनमें काफी असंतोष हैं। क्या माननीय वित्त मन्त्री मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपना चाहते हैं जिससे इस असंतोष को समाप्त किया जा सके ?

श्री मोरार जी देसाई : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता । वे इसके बारे में बात-चीत कर रहे हैं ।

Shri A. B. Vajpayee : If the hon. Finance Minister admits that a labour dispute has arisen between L.I.C. and its employees, do Government propose to refer it to the Labour Ministry.

Shri Morarji Desai : I cannot assign my duties to the Labour Ministry.

श्री शान्ति लाल शाह : क्या सरकार को पता है कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध की कमजोरी के कारण इन हड़तालों को प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री मोरार जी देसाई : हड़ताल के अनेक कारण हैं । यदि प्रबन्ध की कमजोरी दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण यह है कि यहां पर विभिन्न प्रश्न हैं जो कठिनाइयां पैदा करते हैं ।

Shri Daven Sen : It is a fact that the main demand of L.I.C. is that automation should not be introduced as it will render the employees surplus, if so, Government's reaction thereto ?

Shri Morarji Desai : This is one of the demands and I am never prepared to concede it.

Gas as a Cheap Fuel

***1508. Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Shiv Charan Lal:**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the gas obtained during the processing of petrol is converted into liquid form and is used as comparatively very cheap fuel;

(b) whether it is also a fact that our maximum capacity of producing such fuel would be 2 lakh tons by 1970-71 but at present we are producing only 2,000 tons of such fuel and destroying the remaining capacity by burning it; and

(c) if so, the reasons therefor?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रघुरामैया)

(क) जी हाँ। शोधनशाला गैसों के प्रोपेन एवं ब्यूटेन अंश को दाब-अन्तर्गत तरलीकृत किया जा सकता है और तरलीकृत पैट्रोलियम गैस के नाम से ईधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य गैसीय अंश जिनका मुख्य अवयव मैथेन है, तरलीकृत नही किया जा सकता और वह शोधनशाला बायलरज़ में जलाया जाता है या हवा में उड़ा दिया जाता है।

(ख) 1967 में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस का कुल उत्पादन 75,239 मीटरी टन था। इस्पात सिलेण्डरों की कमी के कारण उत्पादन सीमित रहा और तरलीकृत नहीं की गई गैसें शोधन-शाला-बायलरों में ईधन के रूप में उपयोग की गई। यह आशा है कि 1971 तक तरलीकृत पैट्रो-लियम गैस की मांग 155,000 के मीटरीटन होगी और यह बढ़ाये जाने वाले देशीय उत्पादन से पूरी की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Maharaj Singh Bharati: Is it not a fact that in every big town of India thousands of individuals are prepared to take the agencies for the sale of gas? Is the demand figure given by the hon. Minister not a deflated one?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): The reply given by the Minister is based on the figures furnished by the Indian Petroleum Institute after making a market survey.

Shri Maharaj Singh Bharati; Both of them may be correct in their own way, but the fact is that people are anxious to buy the gas and in every city people are scrambling to purchase the agencies. The hon. Minister referred to the shortage of cylinders. If they are not available cannot they be manufactured within the country?

श्री रघुरामैया: वे कुछ सिलैन्डर बना रहे हैं; एलविन भारतीय तेल निगम के लिये और अन्य कम्पनियां बर्माशेल और काल्टेक्स के लिये। मुख्य कठिनाई विशेष इस्पात की है। इस्पात का उत्पादन जितना अधिक होगा उतनी ही जल्दी इन सिलैन्डरों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेंगे। अभी हम कुछ इस्पात आयात कर रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल: क्या केवल सिलैन्डरों की कमी के कारण ही ऐसा है या वितरण प्रणाली में भी कोई त्रुटि है?

श्री रघुरामैया: मुझे ऐसी किन्ही त्रुटियों का पता नहीं हैं। मुख्य रूप से ही इस्पात की ही कमी है।

Shri O.P. Tyagi : In view of the fact that cowdung is used as fuel which is otherwise a precious manure, do Government propose to maximise the production of gas to stave cowdung ?

Shri Asoka Mehta : Yes, Sir we have already placed an order for the purchase of one lakh cylinders and they will shortly be received.

श्री राणा : मेरे जिले में प्राकृतिक गैस को कई वर्षों से जलाया जा रहा है । क्या सरकार के पास उस गैस को व्यापार प्रयोजनों के लिये काम में लाने की कोई योजना है ?

श्री रघुरामैया : जैसा मैंने बताया कुछ मात्रा को तो जिसे जमा नहीं किया जा सकता जलाना ही पड़ता है । शेष गैस को सिलैन्डरों में भरने का भरसक प्रयत्न किया जाता है ।

Shri Nathu Ram : Are Government prepared to give financial aid to the peasants to enable them to set up cowdung gas plants which will give them gas for the fuel and the remanent of cowdung as manure ?

श्री रघुरामैया : इस गैस से इस मन्त्रालय का सम्बन्ध नहीं है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सभी तेल शोधक कारखानों में गैस की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होगी और उसको भरने के लिये कितने सिलैन्डरों की आवश्यकता होगी ताकि यह मूल्यवान गैस नष्ट न हो, क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ;

श्री रघुरामैया : उस अनुमान के आधार पर ही मैंने प्रश्न के भाग (ख) में आंकड़े दिये हैं। जहां तक सिलैंडरों का सम्बन्ध है, देश को इनके सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या गैस को नष्ट होने से बचाने के लिये सिलैंडरों के निर्माण हेतु इस्पात आयात करना अपेक्षाकृत कम खर्चीला नहीं है ?

श्री रघुरामैया : उत्तर स्पष्ट है : क्योंकि आपके पास गैस भरने के लिये इस्पात नहीं है, इसलिये आपको इसे आयात करना होगा ।

Shri Ram Dhan : Is it a fact that the price of gas has been raised from Rs. 21.78 per cylinder to Rs. 21.95 per cylinder, if so, the reasons therefor ?

श्री रघुरामैया : दिल्ली में विभिन्न कम्पनियों द्वारा गैस विभिन्न मूल्यों पर बेची जाती है । बर्माशेल 14.5 किलोग्राम 21.91 रु० में, एस्सो 12.8 किलोग्राम 19.34 रु० में और भारतीय तेल निगम 15 किलोग्राम 21.78 रु० में बेच रहा है जोकि उत्पादन लागत एजेंसी की शर्तों और विभिन्न बातों पर निर्भर है ।

श्री समर गुह : क्या मिथेन और बेन्ज़ीन को भी रासायनिक प्रयोजनों के लिये काम में लाया जा सकता है और यदि हां तो इन "लोअर फ्रैक्शन्स आफ कम्पाऊंड्स" के प्रयोग के लिये सरकार कोई सर्वेक्षण क्यों नहीं कर रही है ? दूसरे, माननीय मन्त्री ने कहा कि सिलैंडर निर्माण के लिये विशेष प्रकार के इस्पात के मिलने में कठिनाई है । क्या सरकार ने इस इस्पात का देश में तैयार करने की संभावना पर विचार किया है और यदि हां, तो इसका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में कब होगा ?

श्री रघुरामैया : इसका कुछ भाग तो देश में तैयार किया जाता है, किन्तु यह कहना कठिन है कि पूरी मात्रा कब निर्मित होने लगेगी । जहां तक अन्य फ्रैक्शन्स के रासायनिक विश्लेषण का सम्बन्ध है । उनका सबसे अच्छा आर्थिक उपयोग ढूढने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । फिर भी यह एक मूल्यवान सुझाव है और इस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

पिछड़े वर्ग क्षेत्र में लद्दाख का शामिल किया जाना

***1509. श्री कुशोक बाकुला :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में लद्दाख देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो लद्दाख को पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में सम्मिलित करने के लिये सरकार से बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी लद्दाख को पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्र में शामिल न करने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या लद्दाख को अब पिछड़े वर्गों वाले क्षेत्रों में शामिल करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री

श्री मती फूलरेणु गुह : (क) यह एक राय का मामला है । पहले भी देश के विचित्र भागों से इस प्रकार के दावे किये गये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अतिरिक्त संविधान की धाराएं 244 (1) और 3442 (1) जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होती ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । "पिछड़े वर्ग क्षेत्र शब्दों का महत्व भी कुछ समझ में नहीं आता है ।

Shri Kushak Bakula : From the educational, economic and social points of views, Ladakh is much more backward than other areas of the country. I will strongly urge upon the hon. Minister to declare Ladakh a scheduled caste or scheduled tribe area in view of the conditions prevailing there.

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : संविधान के अनुसार लद्दाख को अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु गृह मन्त्रालय ने लद्दाख को एक सीमा-वर्ती जिले के रूप में घोषित कर दिया है । और वे विकास कार्य कर रहे हैं ।

Shri Kushak Bakula : Districts like Lahol, Spiti and Kannor are already included in the backward classes areas, but Ladakh is even more backward than those and therefore, I urge you to include it in the Backward classes area even by amending the Constitution if necessary.

डा० श्रीमती फूलरेणु गुह : यह एक सुझाव है और हम इसे गृह-कार्य मन्त्रालय तक पहुँचा देंगे ।

Shri Balraj Madhok : Are Jammu and Kashmir not part of India. If the Constitution comes in its way cannot it be mended ? Is it not a fact that from cultural, economic and all other points of views Ladakh, Lahol and Spiti stand on an equal footing ? Why Ladakh is being discriminated against ?

Shri Asoka Mehta : At present two Articles of the Constitution do not apply to Jammu and Kashmir and Government do not view with favour their application at present. As regards the other part of the question, the Planning Commission had drawn a separate plan for Ladakh in the 3rd plan. Its economic development is fully attend to.

Shri Balraj Madhok : You are the concerned Minister and you should bring it to the notice of the Government that here is a Constitutional bottleneck which should be removed. The question is not of development but of discrimination.

Shri Asoka Mehta : The Government do not at present intend to extend the application of those Articles.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : संविधान का यह एक निर्देशक सिद्धान्त है कि आर्थिक असंतुलन को रोकने के लिये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । चूंकि लद्दाख एक पिछड़ा क्षेत्र है, क्या सरकार के पास उसके सम्बन्ध में कोई विशेष योजना है ?

श्री अशोक मेहता : प्रत्येक क्षेत्र पर प्रत्येक योजना लागू नहीं की जाती है । जम्मू तथा काश्मीर के लिये पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय लद्दाख के लिये विशेष पृथक उपबन्ध किये जाते हैं । मैं आश्वासन देता हुं कि मेरा विभाग लद्दाख के सम्बन्ध में विशेष रुचि लेगा ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the main plans under consideration of the Ministry with respect to the development of Ladakh ?

श्री अशोक मेहता : मेरे पास इसका ब्यौरा नहीं है । मैंने यह कहा था कि लद्दाख की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिये एक विशेष योजना है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : तृतीय योजनाविधि में लद्दाख में कुछ कृषि और अन्य योजनाएं आरम्भ की गई थीं । इन योजनाओं में क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री अशोक मेहता : मेरे पास जानकारी नहीं है । मैं पूछताछ करके बता सकता हूं ।

श्री रंगा : में चाहता हूँ कि सरकार समुचे तौर पर यह आश्वासन दे कि वह वही गलती नहीं करेगी जो उसने मिजो लोगों के सम्बन्ध में की है । जब मिजो लोगों ने कुछ सामाजिक रियातों विकास कार्य, विश्वविद्यालय स्थापित करने आदि की माँग की, तो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और जो परिणाम हुए उन्हें हम जानते हैं । सरकार यह भी आश्वासन दे कि उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जावेगा और लद्दाख क्षेत्र की सहायता के लिये विशेष ध्यान दिया जायेगा ताकि वहां पर जो निराशा अर्से से व्याप्त है वह दूर की जा सके ।

श्री अशोक मेहता : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं और यह आश्वासन देता हूं कि हमारी नीति यही है और यही कारण है कि मैंने बताया कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की योजना में लद्दाख के लिये विशेष विकास योजना रखी जाती रहेगी । लद्दाख के लिये नियत धन किसी अन्य क्षेत्र को नहीं दिया जा सकता । यद्यपि यह मेरी सीधी जिम्मेदारी नहीं हैं, फिर भी योजना आयोग के साथ कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर लिखा-पढ़ी की जा रही है क्योंकि लद्दाख की हालत में सूधार करने के लिये हम जो भी कर सकते हैं वह एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है ।

Shri Buta Singh : A team of Members of Parliament had been to Ladakh and they found the conditions of the people there most pathetic beyond the comprehension of the Ministers ensconced in bungalows here. It is not proper to evade the question on the plea

that Constitution comes in the way. Can not anything be done for the betterment of Ladakh within the ambit of Constitution ?

श्री अशोक मेहता : क्या किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने से ही उसका विकास हो जायेगा ? कुछ सिद्धान्त और नियम होते हैं। और विभिन्न योजनाएं हैं। चांदा जिले विशेष में विकास किया जा रहा है। एक स्थान पर सभी योजनाएं चालू नहीं की जा सकती हैं। लद्दाख के सम्बन्ध में मैं बतां चुका हूं कि वहां पर एक विशेष विकास कार्य को आरम्भ किया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : Article 370 of the Constitution has become obsolescent. By what time Government propose to abrogate it ?

श्री बलराज मधोक : गृह मन्त्री इसका उत्तर दें।

श्री अशोक मेहता : मेरा सम्बन्ध केवल इस प्रश्न से है कि क्या लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये जिसका उत्तर मैंने दे दिया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पहाड़ी प्रदेशों के प्रति व्यय का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ; लद्दाख का प्रति व्यक्ति व्यय अन्य पहाड़ी प्रदेशों के प्रति व्यक्ति व्यय की तुलना में कैसा है ?

श्री अशोक मेहता : इसका उत्तर योजना आयोग दे सकेगा। मेरे पास आंकड़ नहीं हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Ticketless Travel Between Dehri-On-Sone-Gomoh and Barauni-Supaul (M. G.) Sections in Bihar

Short Notice Question No. 27 :

Shri Molahu Prasad : **Shri Beni Shankar Sharma :**
Shri N. S. Sharma : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of passengers travel without tickets in the trains running between Dehri-on-Sone and Gomoh (Broad Gauge) and between Baravni and Supaul (Metre Gauge), sections in Bihar State ;

(b) whether it is also a fact that the goondas of the said area travel by each train and rob the outsiders of their belongings, molest women and indulge in beating ;

(c) whether it is further a fact that because of no Governmental action, these goondas have full sway in the area and that the railway employees, being afraid, work in collusion with them resulting in the large number of such incidents ; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri R. L. Chaturvedi) : (a) Cases of ticketless travel have been detected on the sections between Dehri-on-Sone and Gomoh and between Barauni and Supaul in the course of checks conducted by Ticket Checking Staff.

(b) and (c) Cases of assaults on ticket checking staff are on the increase in this area and elsewhere. As regards attacks on passengers and others, no such cases were reported to the Government Railway Police, Bihar on these sections during 1966 and 1968. In 1967, however, one such case was reported on the Dehri-on-Sone-Gomoh Section of the Eastern Railway, in which a passenger was robbed of his personal belongings on 31-7-1967, between Guraru and Rafiganj Stations. This case was registered by the G.R.P., Gaya on 1-8-1967 under Section 392, I.P.C.

(d) Maintenance of law and order within Railway premises and on Railway trains is the responsibility of the State Government concerned. As Railways are also vitally concerned in the matter, the assistance of Railway Protection Force personnel is given to State Police wherever necessary. Armed Police escorts assisted by Railway Protection Force are drafted when considered necessary to accompany trains on the affected sections for the safety of passengers.

To prevent the evil of ticketless travel, frequent checks by the Ticket Checking staff, including surprise checks with the help of Government Railway Police and Railway Magistrates, are being conducted.

Shri Molahu Prasad : There is no provision of pulling chain and lights in the trains running on these sections. What Steps Government propose to take in this regard ?

Shri R.L. Chaturvedi : Such complaints have been received and we are trying to redress them.

Shri Molahu Prasad : Railway Security Personnel and Ticket checker together conspire to restrict the sale of tickets of various stations. Has the hon. Minister looked into this matter ?

Shri R.L. Chaturvedi : We are seized of this evil and every effort is being made to contain it.

Shri B.S. Sharma : On 8th April, 1967 an assault was made on Shri Kachwai while he was going to Supol in the train. What action has been taken in that regard ? On the Bhagalpur Mander line some members of the staff are in league with undesirable elements and they let off all the passengers by simply charging half the money. I had also written to the Ministry in this regard. What action has been taken in this regard ?

Shri R.L. Chaturvedi : As regards the first question, during 66, 67 and 68 five cases were registered by the Railway Police and a report by hon. Member Shri Hukam Chand Kachwai is one of them. Investigation is going on and we are trying to have a complete enquiry with respect to the complaint of hon. Member.

Shri Hukam Chand Kachwai : At present only two trains are being run on Dehri-On-Son and Cromo which are far from sufficient to cope with the needs of the local people. Do Government propose to introduce any new trains on that line ?

The incidence of ticketless travelling on this line can be guided by the fact that the T. T. Es are prepared to have their postings on this line by bribing to the tune of Rs. 10,000 The incidence of extortion cases is very high on this line. No action is taken on the reports written on the complaint books. Are Government prepared to post Railway Magistrate with a police band at least for six months on this line to curb this evil ?

Shri R. L. Chaturvedi : Although I cannot claim that line is completely free from ticketless travelling, yet at the same time I do not concede that there is all bungling there. From January to March, 1968 in all 8027 cases of ticketless travelling were detected

which yielded Rs. 88/- per day on an average. Inspite of all this I agree that more vigilence should be kept.

Shri Tulsidas Jadhav : May I know the reasons for not arranging surprise visits by personnel in cognise of other railways to curb this evil practice ?

Shri R. L. Chaturvedi : Our Central checking staff arranges surprise checkings by personnel of other zones and Divisions. But it is an uptill task and it is well high impossible to accomplish it to the desired extent. However, I will look into the Hon. Members suggestion and do whatever is possible.

Shri Rabi Ray : May I know whether the attention of the Hon. Minister has been drawn to the report published by C. I. D. Department of Bihar that the burning of a bogey in Dhanbad in July was a case of sabotage, if so, will the Hon. Minister hold an enquiry into it ?

Shri R. L. Chaturvedi : Some information has been received and the investigation is still in progress.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में यात्री जनता के लिये गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है, यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये रेलवे द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री सोहनलाल चतुर्वेदी : इस सम्बन्ध में हम कुछ उपाय कर रहे हैं । एक तो यह कि कुछ स्टेशनों पर जहां बिना टिकट यात्रा अधिक होती है, सादा वर्दियों में 10 या 15 व्यक्ति झाड़ियों आदि में छिपे होते है और ज्यों ही यात्री उतरते हैं वे उनकी टिकट की जांच करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और हम आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि गाड़ियों के अन्दर यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ।

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

श्री परिमल घोष : रेलवे के परिसर में और रेलगाड़ियों में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । इसके अतिरिक्त रेलवे का इससे गहरा सम्बन्ध है और इसकी सुरक्षा सेना भी है । राज्य सरकार द्वारा जब भी सुरक्षा सेना मांगी जाती है, वह दी जाती है । जहां पर ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं । उन स्थानों पर हमने कुछ विशेष प्रबन्ध कये हैं ।

Shri Sheo Narain : The Railway Board should be disbanded forth with and the Railway Minister should also tender his resignation as they have proved ineffective in checking the high incidence looting and plundering in Railways.

श्री समर गुह : पश्चिम बंगाल में चावल का रहकर व्यापार करने वालों की बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

श्री परिमल घोष : यह बिना टिकट यात्रा का मामला नहीं है । यह चीज़ कुछ महीने पहिले भी थी । किन्तु पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद ऐसी घटनाएं कम हो गई हैं और उन्हें भी रोकने के लिये हम प्रयत्नशील हैं :

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Projects Under Damodar Valley Corporation in West Bengal

*1498. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total expenditure likely to be incurred on the completion of the projects undertaken by the Damodar Valley Corporation, West Bengal and the amount received so far from the International Bank of Reconstruction and Development in this regard ; and

(b) the time by which these projects are likely to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) and (b) The Damodar Valley Corporation, which was set up under the DVC Act 1948, is responsible for the unified development of the Damodar basin in the States of West Bengal and Bihar covering an area of about 24, 285 sq. km. The principal objects of the Corporation are (a) flood control, (b) irrigation and (c) generation and distribution of electric power. The Corporation's programme on Flood Control may be treated as virtually complete. Similarly, Corporation has no future programme on irrigation except the continuing schemes in connection with extension, improvement and water courses. As regards power, the Corporation's future expansion programme is largely dependent upon the growth of demand inside the valley for which load survey is carried out from time to time. The Hydel Stations at Maithon (60 MW) Panchit (40 MW), Tilaiya (4 MW) and the Thermal Stations at Bokaro (247.5 MW) and Durgapur (290 MW) have already been completed. At Chandrapura two units of 140 MW each have been completed and a third of 140 MW is nearing completion. Two more units of 120 MW each are proposed to be added to Chandrapura. In order to distribute power to the various consumers at different load distribution centres an extensive transmission and distribution system has been provided and is being extended and reinforced according to necessity. The expenditure up to the end of 1966-67 on the DVC was Rs. 216.77 crores. The total amount drawn from the IBRD is 49.22 million (Rs. 23.44 crores).

सीमावर्ती क्षेत्रों में समाज कल्याण कार्य

*1500. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी खंड और उत्तरी खंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में समाज कल्याण कार्य करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1962-67 में ऐसी संस्थाओं को कितना धन दिया गया; और

(ग) क्या समाज कल्याण कार्यकर्त्ताओं द्वारा उस धन का दुरुपयोग किए जाने की कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) 6.66 लाख रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत में विदेशी दूतावासों द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि

*1501. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि भारत स्थित सभी विदेशी दूतावास भारत में प्रतिवर्ष कुल कितना धन व्यय करते हैं;

(ख) यदि हां, तो दूतावास-वार इसका व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : दूतावासों द्वारा खर्च की गई रकम के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) राजनयिक नियमों और कार्य प्रणालियों के अनुसार दूतावासों द्वारा अपने खर्च का विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है :

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

***1502. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने उत्तर प्रदेश में उत्पादन बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : गोरखपुर उर्वरक कारखाने ने 2 फरवरी 1968 को उत्पादन शुरू किया। फरवरी और मार्च 1968 में यूरिया का उत्पादन क्रमश: 979 तथा 1548 मीटरी टन था।

Counterfeit Indian Currency Circulated by China

***1504. Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has circulated counterfeit Indian currency notes in the Indian territory on the Eastern border of India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) There has been no evidence to support this allegation.

(b) and (c) Do not arise.

पूर्वी भारत की सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान बैठक

***1505. श्री मीठालाल मीना :** **श्री अजमल खां :**
श्री क० मा० कौशिक : **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री 6 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत की सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों की इस बीच बैठक हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब तथा बैठक किस स्थान पर हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० रवि) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) बैठक के नई दिल्ली में मई, 1968 में होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में वृद्धावस्था पेंशन योजना

***1507. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में वृद्धावस्था पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 1968 को ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या क्या थी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हाँ. उत्तर प्रदेश में 196 आवेदन पत्र पश्चिमी बंगाल के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Buffer Stock of consumer Goods for Maintaining Price Level

***1510. Shri Deorao Patel:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to create buffer stock of consumer goods other than foodgrains with a view to safeguard the interests of both producers and consumers and maintain the price level at least for one year ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) No, Sir.

(b) There are some proposals regarding certain commodities under consideration but Government has not taken any final decision.

उत्तर प्रदेश में बिड़ला फर्मों को बिजली

***1511. श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिड़ला फर्मों को बहुत सस्ती दर पर बिजली मिलती है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस दर पर तथा उसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव): (क) उत्तर प्रदेश में केवल एक ही बिड़ला की फर्म है जो कि रियायती दर पर बिजली लेती है। इस फर्म का नाम एलुमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड है।

(ख) 55 मैगावाट बिजली की सप्लाई के लिए दर 1.997717 पैसे प्रति यूनिट है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह बताया है कि यह दर 1959 में बहुत लम्बी बातचीत के बाद ही तय

की गई थी क्योंकि उस समय यह दर देश के सभी एलुमिनियम कारखानों को दी जाने वाली बिजली की दरों से अधिक थी ।

आयकर पदाधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*1512. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मन्त्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर पदाधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामों पर इस बीच विचार कर लिया गया है तथा निर्णय कर लिए गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हाँ । शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायगा ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कई अन्य प्रश्न निर्णय के लिए उपस्थित हुए हैं, खास कर कोटा का, अर्थात् 'वास्तविक भर्ती अथवा खाली पदों'; का हिसाब लगाने और बटवारे के आधार सम्बन्धी प्रश्न । इस से काफी कुछ जाँच और विभिन्न स्तरों पर कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता पैदा हो गई है ।

Housing Problem for Retired Government Employees

*1513. **Shri Ram Avtar Sharma ; Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Government's attention has been drawn to the housing problem faced by the retired Government employees in Delhi ;

(b) if so, whether Government propose to reserve some plots under the Delhi Development Authority for the construction of houses for retired employees in view of their housing difficulty ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satyanarayan Sinha) : (a) No.

(b) and (c) No. The Scheme for large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi, does not provide for any reservation for such persons in the matter of allotment of developed residential plots.

आयुर्वेदिक परिषद्

*1514. **श्री रणजीत सिंह : श्री जमना लाल :**
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए एक आयुर्वेदिक परिषद् स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो यह परिषद् कब तक स्थापित हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नागरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) (क) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की जिसमें होम्योपैथी भी सम्मिलित है; एक केन्द्रीय परिषद् बनाने का विचार है।

(ख) यह प्रस्तावित परिषद् कब गठित होगी इस अवस्था में यह बतलाना सम्भव नहीं हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हरिजनों के लिए उच्चस्तरीय संसदीय समिति

*** 1515. श्री रवि राय** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने हरिजनों तथा अन्य आदिम जातियों के बारे में सवैधानिक उपवन्धों की क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब बनाई जायेगी तथा इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा इसके सदस्य कौन-कौन होंगे।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) जी, नहीं, यह विषय विचाराधीन है।

समाचार पत्र संवाददाताओं के लिये आवास

***1516. श्री स० च० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नए होटल भवनों के 2 कमरे तथा 1 कमरे वाले फ्लैट प्रैस कर्मचारियों के लिये अलाट करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये फ्लैट मान्यता प्राप्त प्रैस संवाददाताओं को बिना पारी के स्टैंडर्ड किराये पर दिये जायेंगे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भटिंडा में उर्वरक कारखाना

***1517. श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिलकर भटिंडा में एक नेफ्था-आधारित कारखाना, जिसकी लागत 35 करोड़ रुपये होगी और जिसमें प्रति वर्ष 200,000 टन नाइट्रोजन पैदा होगा, स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब सरकार के प्रस्ताव का अन्य प्रस्तावों के साथ अध्ययन किया जा रहा है अन्य प्रस्तावों में से एक पंजाब स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवैल्पमेण्ट कारपोरेशन (एक राज्य सरकार संस्थान) ने भेजा था और दूसरा भारतीय उर्वरक निगम के आयोजन एवं विकास प्रभाग ने नंगल यूनिट के विस्तार के लिए भेजा था। चौथी पंचवर्षीय योजना में एक या अन्य प्रस्ताव को शामिल करने के लिए अन्तिम निर्णय में कुछ समय लगेगा।

Accounts of Indians in Banks abroad

***1518. Shri T. P. Shah :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5948 on the 1st April, 1968 and state :

(a) the names of Indians who have opened accounts in foreign banks in contravention of the rules and the action taken by Government against them.

(b) the names alongwith the amounts deposited in the accounts of the Military Officers and Central Government employees in foreign banks and the source thereof ; and

(c) whether Government are aware of such persons as have opened accounts in the Banks in Switzerland ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No period has been specified for which the information is required. Information about Indians who have unauthorisedly opened accounts in foreign banks and who have come to the notice of the Enforcement Directorate during the calendar years 1965, 1966 and 1967 is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) As already indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 1799 dated the 8th June, 1967, no classification on the basis of occupation of the account holders is being maintained. A list of all account holders has already been supplied. Normally accounts are opened out of earnings abroad and no remittance from India is allowed.

(c) Government are aware of such accounts to the extent they have been declared by the account holders or to the extent they have been detected by the Enforcement machinery.

आयुर्वेदिक अनुसंधान के संवर्धन के लिये सहायता

***1519. श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार आयुर्वेदिक अनुसंधान पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ख) आयुर्वेद में इन अनुसंधानों के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :

(क) पिछले तीन वर्षों में आयुर्वेदिक अनुसंधान पर किये गये खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	पूर्णत: केन्द्रीय योजनाओं के अधीन रु०	केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के अधीन रु०
1965-66	10,70,210	3,93,000
1966-67	15,80,345	24,000
1967-68	15,64,500	3,25,000

इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर और भारतीय चिकित्सा स्नातकोत्तर संस्थान वाराणसी को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए जिसमें आयुर्वेदिक अनुसंधान भी सम्मिलित हैं निम्नलिखित अनुदान भी मंजूर किए गए। अनुसंधान के लिए आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

	रु०
1965-66	18,12,500
1966-67	15,35,000
1967-68	17,57,500

(ख) आयुर्वेदिक अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भारतीय चिकित्सा स्नातकोत्तर संस्थान तथा राज्य सरकारों और स्वेच्छिक संगठनों के सहयोग में से चलाये गये अनुसंधानों ने आयुर्वेद के प्रतिष्ठित ग्रन्थों में किये गए औषध और औषध योगों के चिकित्सीय दावों को प्रथमत: सिद्ध कर दिया है। ये कार्यक्रम जो केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों पर 1963 के आरम्भ से क्रियान्वित किए गए थे, तथा जिनसे पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई है, अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि अभी इनके परिणामों का अन्तिम रूप से मूल्यांकन किया जाना है इसलिये इतनी जल्दी कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है।

तिब्बिया कालेज की शिक्षक समिति

*** 1520. श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तिब्बिया कालेज शिक्षक समिति ने प्रबन्ध बोर्ड के शिक्षा तथा शिक्षक विरोधी तरीकों के विरोध में कड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी है ?

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों की माँगें क्या हैं तथा क्या उन पर विचार किया गया है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :

(क) अध्यापक समिति से ऐसा कोई सकल्प अथवा पत्र नहीं मिला है। वैसे, कार्यवाही करने की धमकी के बारे में प्रैस रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन के ध्यान में आई हैं।

(ख) शिक्षकों की माँगों में वेतन में संशोधन, प्रैक्टिश न करने का भत्ता तथा दूसरे भत्ते, ग्रेच्युइटी और पेन्शन आदि का भुगतान सम्मिलित है। इन पर आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज बोर्ड ने विचार किया है :

(ग) इस बोर्ड की सिफारिशों पर दिल्ली प्रशासन विचार कर रहा है।

दिल्ली में श्रेणी 2 और 3 के क्वाटरों के लिए घरेलू बिजली

*1521. **श्री जागेश्वर यादव : श्री हरि कृष्ण :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पुर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मे श्रेणी 2 और 3 के सरकारी क्वाटरों में घरेलू बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन अलाटियों को जो घरेलू बिजली लगवाना चाहते हैं अपने क्वाटरों में अपने खर्चे पर बिजली लगवानी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह अभी हाल ही में निर्णय किया गया है कि किरायेदारों के निजी अनुरोध पर प्रत्येक मकान में एक ए० सी० पावर प्लग लगा दिया जाये। प्रत्येक मामले में सरकार का उत्तरदायित्व 200 रुपये तक सीमित होगा तथा किरायेदार को इस पर अतिरिक्त किराया देना होगा। 200 रुपये से अधिक के किसी भी व्यय का भार स्वयं किरायेदार को उठाना होगा।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना में वरिष्ठ चिकित्सक

*1522. **श्री सूरज भान** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा में (1300-1800 के ग्रेड में) वरिष्ठ चिकित्सकों के निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट पदों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) ऐसे कितने पद भरे गये हैं; और

(ग) ऐसे कितने पद अभी खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में 1300-1800 रुपये के ग्रेड में वरिष्ठ चिकित्सकों के कोई पद नहीं हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

Central Social Welfare Board

*1523. **Shri R. S. Vidyarathi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of employees and officers in the Central Social Welfare Board ;

(b) the total expenditure incurred thereon during 1967-68 ; and

(c) the details of the work done by the said Board during the last five years ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. S. M. T. Phulrenu Guha) : (a) 178 including the Chairman of the Central Social Welfare Board. This also includes 42 Inspectors and Welfare Officers, who are attached to State Boards.

(b) Rs. 12,16,249.55.

(c) During the last five years, the Central Social Welfare Board had taken up the following programmes :—

(i) General Grant-in-aid Programme.
(ii) Grants to Mahila Mandals.
(iii) Holiday Homes.
(iv) Welfare Extension Projects (Urban)
(v) Night Shelters.
(vi) Welfare Extension Projects (Rural)
(vii) Scheme of Family and Child Welfare Services.
(viii) Training of Personnel for Family and Child Welfare Programmes.
(ix) Special Child Welfare Programme.
(x) Condensed Courses of Education for Adult women.
(xi) Socio-economic Programme.

The details in regard to the grants sanctioned for the above programmes are furnished in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT. 1071/68]**

बरौनी उर्वरक परियोजना

***1524. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी उर्वरक परियोजना के लिए बिहार सरकार द्वारा भूमि का अर्जन न किए जाने के कारण सरकार का विचार इस परियोजना को बिहार में स्थापित करने का नहीं है; और

(ख) क्या किन्हीं अन्य कारणों से भी इस परियोजना को वहां पर स्थापित नहीं किया जा रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई के जाली हुंडी वाले

***1525. श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के उन जाली हुंडी वालों के नाम क्या हैं, जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा हुंडियों पर दिये गये कथित ऋण जाली थे; और

(ख) जाली हुंडी के लेन-देन को रोकने के लिये सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सदन की मेज पर एक सूची रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1072/68]**

(ख) हुण्डी जाल चक्र तोड़ने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाहियों के कारण जाली हुण्डियों के लेन-देन बहुत कुछ कम हो गये हैं। सरकार आगे कोई कार्यवाही करने का फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

गुजरात में टाटा बन्धुओं द्वारा उर्वरक कारखाना

*1526. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में टाटा बन्धुओं द्वारा एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रस्तावों को सरकार ने स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन करने के लिये योजना आयोग को भेज दिया था?

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो आयोग के क्या विचार हैं; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। उर्वरक की भविष्य मांग प्रणाली तथा दूसरे तत्सम्बन्धी विषयों को दृष्टि में रखते हुए टाटा प्रस्ताव को योजना आयोग के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने अभी जांच का कार्य पूरा नहीं किया है : अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ और समय लगेगा।

इद्दिकी पन-बिजली परियोजना

8730. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इद्दिकी पन-बिजली परियोजना में काम करने वाले हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के कर्मचारियों को पार्क्सवादियों द्वारा संचालित कार्मिक संघ के लोगों द्वारा डराया धमकाया तथा मारा पीटा गया है तथा उन्हें साम्यवादी कार्मिक संघ में शामिल होने को वाध्य किया गया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शर के प्रबन्धकों ने मुख्य निर्माण इंजीनियर को परियोजना निर्माण स्थल पर कर्मचारियों और श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने के लिये, जो कि वहा अत्यधिक आतंक के वातावरण में रह रहे हैं, सशस्त्र पुलिस का एक दस्ता तैनात कराने का प्रबन्ध करने को कहा है ;

(ग) क्या मार्क्सवादी कार्मिक संघ के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हिन्दुस्तान कन्स्ट्रशन के तीन पर्यवेक्षकों और 14 श्रमिकों को बुरी तरह से मारा गया है; और

(घ) श्रमिकों के जीवन की रक्षा करने तथा काम की निर्वाघ गति को बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान निर्माण क० को केरल राज्य में इद्दिकी पन-बिजली परियोजना के येरूथोती

तथा इद्दिकी बांध बनाने के लिए ठेका दिया गया है। ऐसी सूचना मिली है कि हिन्दुस्तान निर्माण क० तथा इद्दिकी परियोजना निर्माण कामगार संघ, जोकि परियोजना के दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा है, में एक झगड़ा हो गया था क्योंकि कम्पनी ने अन्य कामगारों को अपने कामगारों की बस्ती में आने की अनुमति नहीं दी थी। कम्पनी ने उनके कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों में झगड़ा होने के कारण, 23-3-68 से कार्य स्थगित कर दिया था। कम्पनी ने आरोप लगाया है कि उनके एक सुपर्वाईज़र को छुरा मारा गया और दो को पीटा गया। यह भी कहा गया है कि कम्पनी के एक उप-ठेकेदार ने केरल राज्य बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी को पीटा था। कम्पनी ने केरल राज्य बिजली बोर्ड से निवेदन किया है कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए और प्रबन्ध किए जाएं।

राज्य सरकार ने क्षेत्र में और पुलिस तैनात कर दी है और वहां पर एक पुलिस थाना भी स्थापित करने का निर्माण किया है। श्रमिकों के विवादों को तय करने के लिए एक जिला श्रमिक अधिकारी भी लगा दिया है। राज्य सरकार कानून और व्यवस्था स्थिति को कायम रखने के लिए एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिए भी पग उठा रही है। इस मैजिस्ट्रेट को एक्सीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होंगी। बिजली से संबंधित राज्य मन्त्री ने भी क्षेत्र का दौरा किया है और कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि स्थिति शान्तिमय है और हिन्दुस्तान निर्माण कम्पनी पुनः कार्य आरम्भ कर सकती है। ऐसी सूचना मिली है कि कम्पनी ने काम 23-4-68 से पुनः आरम्भ कर दिया है।

Accommodation for Journalists

8731. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Works, **Housing** and Supply be pleased to state :

(a) the number of Journalists of Delhi who have applied to Government for residential accommodation during the last five years ;

(b) the number of them who have been provided with residential accommodation so far ;

(c) the number of Press Correspondents, accredited to Lok Sabha and Rajya Sabha, to whom residential accommodation has been provided :

(d) whether Government have prepared any scheme for providing residential accommodation to journalists on regular basis ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The waiting list in respect of accredited Press Correspondents is maintained by the Press Accociation and allotments of residences out of the Press Correspondent's Pool are also made on their recommendation. No statistical data about the number of journalists at Delhi who have applied for Government residential accommodation is maintained by the Government. At present there are 88 residences in the Press Pool and all stand allotted to the accredited Press Correspondents.

(c) No Press Correspondent, as such is accredited to Lok Sabha and Rajya Sabha. The allotment out of Press pool is made only to such accredited Press Correspondents, who are recommended by the Association.

(d) and (e) The Government have constituted a separate Press Pool within the general Pool at Delhi which at present comprise 88 units of residential accommodation. The Government have also decided to add 5 units in the Press Poll every year. The allotments in the Press Pool are made on leave and license basis.

Allocation of Funds to Maharashtra for Development of Industries

8732. Shri Deorao Patil: Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount allocated by the Planning Commission to Maharashtra State for the development of industries in Public Sector and for fertilizer industry during the year 1968-69?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): The sectoral outlays in the Annual Plan of Maharashtra for 1968-69 have not yet been finalised.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में साक्षरता

8733. श्री सिद्या : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमश: 3-3 और 3-2 है ।

(ख) यदि हां, तो साक्षरता की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत के स्तर तक लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार हैं ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के सन्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिये एक राष्ट्रीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) साक्षरता के सम्बन्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	पुरुष	स्त्रियां
सभी जातियां	34,4	12.9
अनुसूचित जातियां	16,96	3.29
अनुसूचित आदिम जातियां	13,83	3.16

उक्त आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि समस्त देश को देखते हुए भी स्त्रियों में साक्षरता का स्तर पुरुषों की अपेक्षा काफी नीचा है । इस के मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा भौगोलिक स्थिति हैं ।

तीन योजनाओं के दौरान बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं, परन्तु उन में दाखिल होने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है । दाखिले को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं :—

ट्यूशन फीस से छूट ।

वर्दियां, दोपहर का खाना तथा पाठ्य पुस्तकें मुफ्त देना ।

लड़कियों के लिये विशेष छात्रावासों की स्थापना ।

छात्रवृत्तियां तथा वज़ीफे ।

आशा की जाती है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने से वर्तमान अन्तर धीरे-धीरे समाप्त हो जायेंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में नियुक्त विदेशी लोग

8734. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में नौकरी करने वाले विदेशियों तथा उनके द्वारा विदेशों में धन भेजे जाने पर क्या प्रतिबन्ध लगाये हैं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में उन विदेशियों ने वर्षवार विदेशों को कितना-कितना धन भेजा है ; और

(ग) ऐसे विदेशी लोग जब अन्तिम रूप से भारत को छोड़ जाते हैं तो उन्हें अपने द्वारा संचित की हुइ आस्तियों का किस प्रकार से विदेश ले जाने की अनुमति दी जाती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) विदेशी राष्ट्रिकों (नेशनल्स) को, सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही नौकरी पर रखा जा सकता है। मंजूरी देने से पहले, भारतीय कर्मचारियों की उपलब्धि, प्रायोजना विशेष की जरूरतों तथा वित्तीय खर्च के संदर्भ में इस प्रकार की नियुक्ति की अनिवार्यता के बारे में जाँच की जाती है।

रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना भारत से, कोई रकम बाहर नहीं भेजी जा सकती। लेकिन विदेशों में दिये गये बचनों के स्वरूप तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में तसल्ली कर लेने के बाद, रिजर्व बैंक द्वारा प्रेषण की आवर्तक सुविधाएँ दी जाती हैं। सामान्य रूप से, प्रेषण की ये आवर्त्तक सुविधाएं मासिक वेतन के 50 प्रतिशत या 2,360 रुपये से, उनमें से जो भी कम हो, ज्यादा की नहीं होनी चाहिएं।

ऐसे विदेशियों द्वारा किये जाने वाले प्रेषणों के बारे में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि ये सभी विदेशियों द्वारा भेजी जाने वाली कुल रकमों का ही एक भाग हैं और जिनमें बचतों के प्रेषण तथा पूंजी सम्बन्धी अन्तरणों आदि जैसी अन्य मदें भी शामिल हैं।

(ग) बैंकों में पड़ी बचतों की रकमों, उपदान, भविष्य निधि, बीमा पालिसियों तथा व्यक्तिगत वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकमों जैसी हाल में भेजी जाने वाली परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में सेवा से निवृत्त होने वाले विदेशी राष्ट्रिकों का रकमें स्वदेश भेजने की पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। पूंजी परिसम्पत्तियों को, यदि कुछ हों, केवल किस्तों में ही बाहर भेजा जा सकता है; पहली किस्त 75,000 रुपये की होती है और बाकी रकम वार्षिक किस्तों में भेजी जाती है जिसकी रकम 20,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

दूतावासों में नियुक्त भारतीयों द्वारा आयकर के विवरणों का प्रस्तुतीकरण

8735. श्री बाबू राव पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी दूतावासों के नाम क्या हैं जो अपने भारतीय कर्मचारियों के नाम तथा उनके आय-कर के वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तथा दूतावास वार कितने वर्षों से ऐसा किया जा रहा है,

(ख) इन विदेशी दूतावासों पर सरकार के कर नियम लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(ग) क्या कारण है कि विदेशी दूतावासों के भारतीय कर्मचारियों को सार्वजनिक नोटिस के द्वारा सरकार को सीधे अपना विवरण प्रस्तुत करने के लिये नहीं कहा जा सकता, और ऐसा न करने पर उन्हें कराधान विधियों के अन्तर्गत दण्ड नहीं दिया जा सकता, और

(घ) इन भारतीय कर्मचारियों को करों से बचने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निम्नलिखित विदेशी दूतावासों ने किसी भी वर्ष के लिये अपने भारतीय कर्मचारियों के नाम तथा ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हैं :—

(1) अफगानिस्तान
(2) अल्जीरिया
(3) चिली
(4) क्यूबा
(5) फिनलैण्ड
(6) जर्मनी का संघीय गणतंत्र
(7) हंगेरी
(8) आयरलैण्ड
(9) कोरिया का प्रजातंत्रात्मक लोक गणराज्य
(10) नेपाल
(11) रुमानिया
(12) वियतनाम (प्र०)

(ख) और (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विदेशी दूतावासों को इस देश की कर-व्यवस्था के कानून लागू नहीं होते । तथापि, विदेश मंत्रालय के जरिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ये विदेशी दूतावास, आय-कर विभाग को सहयोग देना तथा अपने भारतीय कर्मचारियों की सूचियां और ब्योरे प्रस्तुत करना और जिन मामलों में आयकर देय होता हो उनमें भारतीय कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन से स्रोत पर कटौती करना स्वीकार कर लें ।

(घ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (1) के अधीन जिस प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय; आय-कर नहीं लगने योग्य अधिकतम रकम से बढ़ जाती है, उसको आयकर विभाग में अपनी आमदनी की एक विवरणी दाखिल करनी पड़ती है और इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने की हालत में उस व्यक्ति पर धारा 271 के अनुसार दण्ड लगाने की व्यवस्था है । ये धाराएं विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों के मामले में भी उसी प्रकार लागू होती हैं जिस प्रकार भारत में कर-निर्धारण-योग्य अन्य व्यक्तियों के मामले में निश्चित कार्यवाही केवल उन मामलों में सम्भव है जिनमें कर्मचारियों के नाम और पते, विभाग को मालूम हों । जिन मामलों में ऐसी सूचना उपलब्ध है, कार्यवाही की जा रही है ।

फिल्मों के निर्माण में पूंजी लगाने वाले तथा वितरण करने वाले लोगों के घरों पर छापा

8836. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्म निरमाताओं, फिल्मों के निर्माण में पूंजी लगाने वालों, फिल्म वितरकों तथा फिल्म उद्योग से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके काले धन का पता लगाने के लिये उनके घरों पर 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में छापे मारे गये थे तथा वे छापे किस-किस तारीख को मारे गये थे;

(ख) प्रत्येक छापे में कितना धन तथा सामग्री पकड़ी गई; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मैसर्स की प्रोडक्शन्स, फिल्म निर्माताओं, के यहाँ 29-6-1967 को छापा मारा गया। फिल्मों में पैसा लगाने वाले मैसर्स युनाइटेड इण्टरप्राइसर्स के यहां 30-6-1967 को छापा मारा गया।

(ख) उपर्युक्त किसी भी छापे में कोई पैसा अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं नहीं पकड़ी गयी। वही-खाते तथा कागज़ात पकड़े गये हैं जिनसे पता चलता है कि फिल्म कलाकारों को 'हिसाब में नहीं दिखाये गये धन' की अदायगी की गयी है।

(ग) पकड़े गये कागजात की छानवीन की गयी है। फिल्म निर्माताओं द्वारा जिन कलाकारों को गुप्त धन की अदायगी दिखाई गई है उनके कर-निर्धारणों की कार्यवाही फिर से चालू की गयी हैं। फिल्मों में धन लगाने वालों के कर-निर्धारणों की कार्यवाही भी फिर से चालू की गयी है। फिल्म निर्माताओं के कर-निर्धारण की कार्यवाही अभी चल रही हैं। सभी मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है और विभाग द्वारा तलाशी में पकड़ी गयी सामग्री को ध्यान में रखते हुए ही कर-निर्धारण किया जायगा।

सिन्दरी में गन्धक के तेजाब का कारखाना लगाना

8737. **श्री/न० कु० साँधी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी में गन्धक के तेजाब का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में बुलगारिया के टेक्नो एक्सपोर्ट के साथ करार करने के पहले सरकार ने पूंजी परिव्यय तथा सहयोग की शर्तों के के बारे में अन्य देशों से प्राप्त इसी प्रकार के सहयोग प्रस्तावों पर विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रस्तावों की अपेक्षा बुलगारिया की फर्म का प्रस्ताव स्वीकार करने के क्या कारण थे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां। भारतीय उर्वरक निगम लि० के पास एक वैलिजयन पार्टी से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु बुलगारिया के टेक्नो एक्सपोर्ट के साथ करार करने से पहले उक्त प्रस्ताव की भी जांच की गई थी।

(ख) बुलगारियन पेशकश को स्वीकार करने के निम्न कारण थे :—

(i) वैल्जियन पेशकश की तुलना में इसके मूल्य न्यूनतर थे,

(ii) पाइराइटस पर आधारित पूर्ण सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के रूपांकन की तकनीकी जानकारी की सप्लाई तथा आगामी सन्यन्त्रों में इस जानकारी के प्रयोग में किसी प्रकार की अदायगी का न होना।

(iii) सुविधाजनक शर्तों पर ऋण की वृद्धि ।

इद्दिकी परियोजना

8738. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **सिंचाई और विद्युत**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी के सहायक महाप्रबन्धक ने कहा है कि वह तब तक कार्य आरम्भ नहीं करेंगे जब तक कि इद्दिकी परियोजना को 'सुरक्षित क्षेत्र' घोषित नहीं किया जाता तथा परियोजना स्थल पर सुरक्षा की भावना उत्पन्न नहीं की जाती ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान निर्माण कं० को केरल राज्य में इद्दिकी पन-बिजली परियोजना के चेरूथोनी तथा इद्दिकी बांध बनाने के लिये ठेका दिया गया है । ऐसी सूचना मिली है कि हिन्दुस्तान निर्माण कं० तथा इद्दिकी परियोजना निर्माण कामगार संघ जो कि परियोजना के दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा है, में एक झगड़ा हो गया था क्योंकि कम्पनी ने अन्य कामगारों को अपने कामगारों की बस्ती में आने की अनुमति नहीं दी । कम्पनी ने, उनके कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों में झगड़ा, होने के कारण 23-3-68 से कार्य स्थगित कर दिया था । उन्होंने राज्य बिजली बोर्ड से कहा है कि उनके पुनः कार्य आरम्भ करने से पहले सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने, जिसमें परियोजना क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना भी सम्मिलित है, का प्रबन्ध किया जाये । चूंकि क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र केवल डिफेन्स आफ इण्डिया रूल्स के अन्तर्गत ही किया जा सकता है, जो कि अब लागू नहीं हैं, बोर्ड ने कम्पनी को बता दिया है कि ऐसा वर्तमान कानूनों के अनुसार नहीं किया जा सकता । राज्य सरकार ने परियोजना क्षेत्र में एक पुलिस थाना कायम करने का फैसला किया है और श्रमिकों के विवादों को तय करने के लिये एक ज़िला श्रमिक अधिकारी लगा दिया है । राज्य सरकार कानून और व्यवस्था स्थिति को कायम रखने के लिये एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के लिये पग उठा रही है । इस मैजिस्ट्रेट को एक्सीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होंगी । पुलिस ने दोनों दलों के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दायर कर लिये हैं । बिजली से सम्बन्धित राज्य मंत्री ने भी हिन्दुस्तान निर्माण कं० के प्रतिनिधियों से बातचीत की है । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बिना रुके काम करने के लिये उचित स्थिति उत्पन्न करने के लिये सारे प्रबन्ध किये जा रहे हैं । ऐसी सूचना मिली है कि कम्पनी ने 23-4-68 से कार्य पुनः आरम्भ कर दिया है ।

कैंसर के उपचार के सम्बन्ध में अनुसन्धान

8739. **श्री किरुत्तिनन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुरू में ही कैंसर को रोकने के लिए कोई विशेष अनुसन्धान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कैंसर की उत्पत्ति तथा इलाज के बारे में अनुसन्धान कर रही संस्थाओं तथा संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभी महत्वपूर्ण नगरों, विशेषकर मद्रास राज्य में मदुरै तथा त्रिचनापल्लि में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) (1) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता ।

(2) भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ।

(3) कैंसर संस्थान, मद्रास ।

(4) मैडिकल कालिज (रोग शास्त्र विभाग), आगरा ।

(घ) यह साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

एक ग्राम में बिजली लगाने की लागत

8740. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक गांव में बिजली की व्यवस्था पर जो लागत आती है उसकी विभिन्न मदें क्या हैं ;

(ख) क्या यह लागत सभी राज्यों में समान है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ;

(घ) इस लागत को कम करने के लिये सरकार ने अब तक विस्तार सहित क्या उपाय किये है ;

(ङ) क्या ग्राम विद्युतीकरण पर आने वाली लागत को कम करने के लिये सरकार का कोई अनुसंधान अनुभाग है ; और

(च) यदि हां, तो इस अनुभाग द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) किसी गांव में बिजली देने के खर्चे में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) उच्च वोल्टता की लाईन जिसके लिये 11 के० वी० मानक वोल्टेज के रूप में अपनाई गई हो ।

(2) एक स्टेप डाऊन उपकेन्द्र; और

(3) सर्विस लाईनों समेत निम्न वोल्टा वितरण प्रणाली ।

(ख) और (ग) : किसी गांव में बिजली लगाने का खर्चा हर एक राज्य में भिन्न है और एक राज्य में भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी भिन्नता है क्योंकि प्रत्येक गांव को बिजली देने के लिये उच्च तथा निम्न वोल्टता की लाईनों की लम्बाई तथा मजदूरी की दर और सामान की कीमतों में भिन्नता है :

(घ) (1) स्टील के खम्बों के स्थान पर लकड़ी और अथवा सीमेंट के खम्बों का उपयोग ।

(2) तांम्बे कन्डक्टर के स्थान पर ए० सी० एस० आर० या केवल एल्यूमिनियम के

कन्डक्टरों का उपयोग ।

(3) सीमेंट-कनक्रीट के खम्बों को बनाने में सीमेंट के स्थान पर फलाई ऐश का प्रयोग ।

(4) श्रम दान की उपलब्धता ।

(5) निर्माण सामग्री तथा तरीकों का मानकीकरण ।

(6) सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त तकनीकी स्टैंडर्ड में ढिलाई ।

(7) गांवों का समूहों में विद्युतीकरण तथा पम्पों को ऊर्जित करना ।

(8) उन क्षेत्रों का विद्युतीकरण जो वर्तमान लाईनों के नजदीक हैं ।

(ङ) और (च) : हर राज्य बिजली बोर्ड के अधीन ग्राम बिजली आयोजन कक्ष हैं जिन का काम अनुकलित ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हाथ में लेना है : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने एक निर्माण संहिता तथा ग्रामीण लाइनों के निर्माण के मानकीकरण पर संहिता तैयार की है और ये सब राज्य सरकारों को मार्ग दर्शन के लिये भेज दी गई हैं । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की विद्युत अनुसंधान प्रयोगशाला में ग्राम विद्युतीकरण के खर्चे को कम करने के सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं । इस समय सिंगल फेज सिंगल 'वायर अर्थ रिटर्न प्रणाली पर प्रयोग किये जा रहे हैं ।

औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली के प्रशुल्क की दरें

8741. श्री० गा० शं० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के बिजली प्रशुल्क की दरें क्या हैं ।

(ख) औद्योगिक तथा कृषि प्रयोजनों के बिजली के प्रशुल्क की दरें प्रायः समान रखी जाने के क्या कारण हैं जबकि कृषि से होने वाला लाभ 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक से अधिक नहीं होता और वह अनिवार्य वाध्यता की परिस्थितियों से बंधा होता है और उद्योगों में 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक लाभ होता है या अधिक भी होता है और वह लाभ कृषि की तुलना में अधिक सुनिश्चित होता है ;

(ग) क्या सरकार का यह मत है कि बिजली के किसान ग्राहकों से ली जाने वाली वर्तमान दर अव्यवहारिक है और यह हमारी कृषि की वास्तविक स्थिति के अनुकूल नहीं है; और

(घ) यदि हां तो प्रशुल्क की दरों का युक्तिसंगत बनाने और सस्ती दरों पर किसानों को बिजली उपलब्ध करने के लिये सरकार का क्या कार्यवायी करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) औद्योगिक तथा कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली की औसत राज्यवार दरों का विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1073/68]**

जैसा कि लोक लभा में 1-4-1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 986 के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया था, कृषकों के लिए बिजली की सप्लाई आमतौर पर 400 वोल्ट पर की जाती है जिसमें उच्च वोल्टता से पारेषण पर और मध्यम वोल्टता पर हुए वितरण

का खर्च होता है जब कि बड़े उद्योगों के लिए बिजली उच्च वोल्टता पर दी जाती है : उद्योग सम्बन्धी उपभोक्ताओं के मामले में कृषि उपभोक्ताओं की अपेक्षा सप्लाई की वोल्टता अधिकतम मांग, खपत और भार अनुपात अधिक होता है । इन कारणों से, भारी उद्योगों के लिए कृषि उद्देश्यों की अपेक्षा टैरिफ दर कम होते हैं । लघु तथा मध्यम उद्योगों की तुलना में, कृषि उद्योगों के लिए इन राज्यों में दरें कम हैं : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, (पन बिजली क्षेत्र), राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल । भारत सरकार ने कृषि सम्बन्धी टैरिफ दरों पर वहां उपदान देने की स्कीम को स्वीकार कर लिया है जहां 1-1-1966 को दरें 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक थीं । इस उपदान को केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें बराबर बराबर बांट लेंगी । यह स्कीम पहले 1966-67 से तीन वर्ष के लिए लागू होगी ।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य-क्रम

8742. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार कार्य-क्रम के लिये अपेक्षित धन की व्यवस्था करने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) ग्रामीण बिद्युतीकरण विस्तार कार्यक्रम के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने कृषि क्षेत्र के धनी कृषकों तथा धनी वर्ग से धन प्राप्त करने की क्या-क्या योजना बनाई है ;

(ग) क्या राज्यों सरकारों ने ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार के लिए ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने और उन्होंने जो योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; उनका ब्यौरा क्या है ; और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) राज्यों में उन ग्रामविद्युतीकरण स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है जिनमें सिंचाई पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया हो । ग्राम विद्युतीकरण के विस्तार के लिये उपलब्ध संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों राज्य बिजली बोर्डों को राय दी गई है कि वे वित्तीय संस्थाओं के पास ऋण लेने जायें और कृषकों से एक हजार से दो हजार रुपये प्रति कनेक्शन पेशगी डिपाज़िट लेने के प्रश्न पर विचार करें । ये डिपाज़िट बिजली के बिलों के भुगतान में धीरे-धीरे जोड़ दिये जायें । डिपाज़िट की राशि के अनुरूप लैंड मार्टगेज बैंक कृषकों को ऋण दें और यह राशि संघटित क्षेत्र स्कीम के अधीन कृषि सम्बन्धी रीफाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा दुबारा धन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगी । कुछ राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों की केन्द्रीय बिजली सलाहकार समिति में कृषकों से पेशगी डिपाजिट लेने तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के सम्बन्ध में कठिनाइयां व्यक्त की गईं । ग्राम विद्युतीकरण के लिये संसाधनों की वृद्धि के निमित उपाय सुझाने की दृष्टि से समिति के सुझावों के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के खर्च को पूरा करने के प्रश्न पर आगे विचार किया जा रहा है ।

कृषि प्रयोजनों के लिये पम्पिंग सेट

8743. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र(में कई कूओं पर एक पम्पिग सेट का प्रयोग न करने दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) ऐसे कई कूओं पर मालिक एक ही व्यक्ति है और जहां कृषि क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन मिले होते हैं एक पम्पिग सेट का प्रयोग किये जाने पर किन नियमों और विनियमों के अन्तर्गत रोक लगाई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह प्रक्रिया बहुत असुविधाजनक है तथा इसके कारण किसानों को अपनी खून पसीने की कमाई में से अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ख) : बिजली प्रदाय अधिनियम 1948 की 49 तथा 79 धाराओं के अधीन राज्य बिजली बोर्ड बिजली देने के सम्बन्ध में शर्तें बना सकते है। भारतीय बिजली नियमावली 1956 के 45वें नियम के अनुसार बिजली लगाने का कोई काम राज्य सरकार द्वारा बिजली के लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकेगा तथा यह काम ऐसे व्यक्ति की देख-रेख में होगा जिसके पास राज्य सरकार द्वारा दिया गया या उनके द्वारा मान्य योग्यता का प्रमाणपत्र होगा । भारतीय बिजली नियमावली 1956 के 42वें नियम के अनुसार सम्भरणकर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह नई या अतिरिक्त बिजली की सप्लाई के बारे में आवेदन पत्र पाने पर आवेदन के प्रतिष्ठान का निरीक्षण एवं परीक्षण करें । इसलिये बिजली के पम्पों को एक कूएं से दूसरे कूएं पर ले जाने की कोई मनाही नहीं है जब तक कि भारतीय बिजली नियमावली 1956 के नियमों में दी गई शर्तें पूरी तरह मान ली गई हों। भारतीय बिजली नियमावली के 133वें नियम के अधीन राज्य सरकारों को यह हक है कि वे साधारण रूप से या विशेष मामलों में उस हद तक और उन शर्तों के अधीन जो वे उचित समझें 45वें और 47वें नियमों में नरमी बरतें ।

दिल्ली में सरकारी ऋणों से बनाये गये मकानों को किराये पर दिया जाना

8744. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सरकार लोगों को मकान बनाने के लिये इस शर्त पर ऋण देती है कि वे मकानों में स्वयं रहेंगे परन्तु सामान्यतया इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास अधिकार ने सरकार से प्रार्थना की है कि सरकार से प्राप्त ऋणों की सहायता से बनाये गये मकानों को किराये पर देना बैध बनाया जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस मन्त्रालय के द्वारा बनाई गई निम्न तथा मध्य आय वर्ग आवास योजनाओं में पात्र कर्मचारियों को उनके वास्तविक रिहायशी उपयोग के लिये मकानों के निर्माण के लिए ऋण देने

की व्यवस्था है। तथापि, दिल्ली प्रशासन के प्रसंग के उत्तर में जुलाई, 1965 में उन्हें सूचित किया गया था कि इन योजनाओं के अन्तर्गत बने मकान में जो ऋण प्राप्तकर्ता रहता है वह मकान के एक भाग को किराये पर दे सकता है। यदि वह उस नगर में नहीं रहता जहाँ कि उसने मकान बनाया है तथा उसने सेवा, व्यवसाय अथवा व्यापार की आवश्यकता के कारण कहीं और निवास स्थान ले लिया है, तो वह पूरा मकान भी किराये पर दे सकता है। अन्य संघ क्षेत्रों में भी यह समान रूप से लागू होगा। जहाँ तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, वे इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत विषय पर नियम बनाने मे स्वयं सक्षम हैं। ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम अथवा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए पेशगी देने के नियमों के अन्तर्गत मकान को किराये पर देने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि

8745. श्री काशीनाथ पाण्डे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय (1) कमेंटेशन पटेल, बम्बई (2) लालूभाई अमींचन्द (प्राइवेट) लि० तथा (3) बलन्डेल इओमाइट पेण्ट्स लिमिटेड की ओर आयकर तथा अन्य करों की कितनी-कितनी राशि बकाया है, और

(ख) उसे वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

कुछ कम्पनियों की ओर आयकर की बकाया राशि

8746. श्री जुगल मंडल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय (1) मफ्तलाल गागल-भाई एण्ड कम्पनी (पी०) लिमिटेड (2) न्यू शाराक स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (3) स्टैंडर्ड मिल्स लिमिटेड (4) इन्डियन डाइस्टफ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (5) एम० जी० इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (6) मफ्तलाल सर्विसिज (पी०) लिमिटेड (7) पोलिग्रैफोलेफिस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या इन कम्पनियों द्वारा की गई करों की कोई चोरी का मामला पकड़ा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

हरिजन विद्यार्थियों के लिये केन्द्रीय छात्रवृत्ति

8747. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक कल्याण समिति ने वर्ष 1967-68 में राज्यों को वर्ष 1967-68 की एम० वी० बी० एस०, इंजिनियरिंग तथा टेकनीकल संस्थाओं के लिये छात्रवृत्ति स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में 1967-68 में कितने छात्रों के लिये छात्रवृत्ति मंजूर की गई ; और

(ग) यदि कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हरिजन बोर्डिग होस्टल

8748. श्री वी० नरसिम्हा राव : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में हरिजन बोर्डिग कितने हैं ; और

(ख) इन होस्टलों को प्रतिवर्ष कितनी सहायक अनुदान दिया जाता है तथा उन बोर्डिग होस्टलों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमास कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये गए सहायता पाने वाले हरिजन बोर्डिग होस्टलों की कुल संख्या 2933 है ।

(ख) सहायक अनुदान की राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक राज्य में भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में भिन्न-भिन्न होती है । इसी प्रकार बोर्डिंग अनुदान की राशि भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग होती है । तो भी आन्ध्र प्रदेश में होस्टलों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 रुपये प्रति मास का अनुदान दिया जाता है ।

M/s Oriental Timber Trading Corporation

8749. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the shareholders of M/s. Oriental Timber Trading Corporation belong to a Hindu Undivided family ;

(b) if so, the names of other firms run by these members of this family, the composition of their Board of Directors and their locations ; and

(c) the amount of Income-tax paid by these firms and Companies to Government during the last five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. They are related, but they do not belong to the same Hindu Undivided Family.

(b) and (c) Do not arise.

M/s. Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain

8750. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the premises of the firm M/s. Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain, caught fire in January, 1967;

(b) whether it is also a fact that the said firm was insured on account of which a large sum was obtained by the said firm as compensation from the Insurance Company concerned ;

(c) if so, the name of the Insurance Company with which the firm was insured and the amount received by it from the Insurance Company as compensation ; and

(d) whether it is a fact that the said firm has not paid any income-tax to Government on the plea that it had caught fire ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The premises of Ram Lal Jawaharlal, Ujjain caught fire in April, 1967.

(b) and (c) Yes, Sir ; but the firm received compensation, in respect of the above fire, of only Rs. 800/- from United India Fire and General Insurance Company, Ujjain.

(d) No, Sir.

निजी दान

8751. श्री एस्थोस : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री प० गोपालन : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी दान के रूप में देश में बड़ी धनराशि आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कुल कितनी राशि आई ;

(ग) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें 10 लाख रुपये से अधिक दान मिला है; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें एक लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त हुआ है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जी हां । अंकसंकलन के लिए, निजीदान का तकीनीकी तथा व्यापक अर्थ होता है और इसमें उपहार, असम्बद्ध निजी प्रैषणाएं, प्रवासियों के अंतरण, बचतें, परिवार के भरण-पोषण के लिए की जाने वाली प्रैषणाएं, धार्मिक मिशनों का रख रखाव आदि जैसी मदें शामिल होती हैं। इसलिये इस प्रश्न के भाग (क) में वर्णित प्राप्तियों को पृथक करना और उनके लिए अलग-अलग आंकड़े देना सम्भव नहीं होगा।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1074/68**] सूचना केवल 1965, 1966 और 1967 के लिए ही दी गयी है, क्योंकि पहले के वर्षों से सम्बन्धित रिकार्ड, तीन वर्ष से अधिक अवधि हो जाने के कारण, नष्ट कर दिए गये है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा सम्भव शीघ्र सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियों का गिराया जाना

8753. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिल्ली प्रशासन को निदेश दिया है कि वह दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियों को गिराने के काम में जल्दबाजी न करे;

(ख) यदि हां, तो यह निदेश देने का क्या कारण है;

(ग) क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने धीरे चलो के उनके इस निदेश से अपनी असहमति प्रकट की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में भूमि पर अनधिकृत कब्जा बढ़ता जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) झुग्गी और झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत सफाई का कार्य अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है। अनधिवासियों को उनके वर्तमान स्थान से हटाने के पूर्व जिस स्थान पर उन्हें हटाना है वहां दी गई सुविधाओं का एक छोटी समिति के द्वारा निरीक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हाँ।

(ङ) पिछले अनेक वर्षों में, देश के विभाजन के बाद विस्थापितों की बाढ़ आ जाने तथा दिल्ली के शहरी क्षेत्र में नौकरी की तलाश में देश के विभिन्न भागों से प्रवासियों के आजाने के कारण दिल्ली की जन संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर विस्तृत रूप से अनधिवास हुआ।

निर्यात संवर्द्धन के लिए विदेशी मुद्रा

8754. श्री क० नारायण राव : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा देने की प्रक्रिया हाल में सरल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) निर्यात बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए निर्यातकों को विदेशों में यात्रा करने के लिए, समान्य रूप से या एकमुश्त विदेशी मुद्रा देने की सुविधा को हाल ही में उदार बनाया गया है। विदेशी मुद्रा पाने का हकदार होने के लिए, निर्यात की आवश्यक न्यूनतम रकम को गैर-परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में 20 लाख रुपये से घटा कर 5 लाख रुपया और परम्परागत वस्तुओ के सम्बन्ध में 50 लाख रुपये से, (चाय और जूट की वस्तुओं के सम्बन्ध में 100 लाख रुपये से) घटा कर 25 लाख रुपया कर दिया गया है। अब इस सुविधा के अन्तर्गत, बाजार-सम्बन्धी अध्ययन, विदेशों में किये जाने वाले विज्ञापनों, व्यापारिक मेलों और नुमाइशों में भाग लेने और निर्यात के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी और नमूने प्राप्त करने के लिए भी विदेशी मुद्रा दी जा सकती है। इस काम को आसान बनाने के लिए, उन लोगों द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर, जिनके पास परमिट हों, परमिटों के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।

Financial Aid for Medical Colleges to M. P. Government

8755. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urabn Development** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government had been demanding financial assistance from the Central Government for setting up Medical Colleges from 1962 till date and the Central Government had been refusing to grant such assistance ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The working Group on the annual plan 1968-69 agreed to the proposal of the State Government for starting a new medical college. Central assistance according to the established pattern would be available to the State Government for this project.

Raid on the House of the Wife of Managing Director of Advance Insurance Co.

8756: **Shri Ram Charan :** **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residence of the wife of Shri M. C. Kedia, the Managing Director of Advance Insurance Co. was raided by the Income-tax authorities on the 24th November, 1965 without letter of authorisation and without any reason all the account books, documents and keys were taken away ; and

(b) if so, the action taken by Government for this unauthorised raid ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

The wife of Shri M. C. Kedia has no separate residence of her own. What was searched was 16, Walkeshwar Road, Bombay, where Shri Chiranji Lal Goenka, his wife, daughters and son-in-law, Shri M. C. Kedia resided. The search was made on the strength of a valid authorisation issued by the Commissioner of Income-tax, Central Bombay, and books of accounts, documents and keys were seized during the search as these were considered relevant and useful for the proceedings under the Income-tax Act.

(b) Does not arise.

Raid on the House of Mother of Managing Director Advance Insurance Co.

8757. **Shri Ram Charan :** **Shri Shri Chand Goel :**
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-tax authorities of Central Section, Bombay raided the Kanpur residence of Shrimati Ginnibai Kedia, mother of Shri M. C. Kedia, the Managing Director of Advance Insurance Company Ltd. without any reason and without letter of authorisation and that they could not recover anything there from ; and

(b) if so, the action taken by Government for this unauthorised raid ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. The residence of Shri M. C. Kedia at Kanpur was searched under a valid authorisation issued by the Commissioner of Income-tax, Bombay Central, Bombay. Shri Kedia's mother was also residing there, The authorisation was issued by the Commissioner after he was satisfied that there was valid reason to believe that documents relevant and useful to the proceedings under the Income-tax Act will be found. As a result of the search, such documents were found.

(b) Does not arise.

कलकत्ता महिला अध्ययन दल के प्रतिनिधी मण्डल की प्रधान मन्त्री से भेंट

8758. श्री अम्बचेंजियान : श्री दीवीकन :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता महिला अध्ययन दल का एक प्रतिनिधि-मण्डल हाल में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिला था और उन्होंने उस राज्य में सामाजिक कार्य करने में पेश आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया था; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था और उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) हां। कलकत्ता महिला अध्ययन दल ने 30 मार्च, 1968 को प्रधान मंत्री से भेंट की थी तथा उन्हें अपने द्वारा किये जा रहे कार्य की जानकारी दी थी। पर, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था।

Plan For Madhya Pradesh

8759 : Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government not to make any changes in the size of their plan for the year 1968-69 and also to increase the amount of Central assistance on the basis of population ;

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

स्त्रियों का अनैतिक पण्य

8760. श्री न० कु० सांघी : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस की दोष पूर्ण जांच पड़ताल के कारण अनैतिक पण्य (स्त्रियों तथा लड़कियों के) का दमन के अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किए गए 95 प्रतिशत से अधिक मुकदमें न्यायालयों में सिद्ध नहीं हो पाते है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सहायता कार्यों के लिए वित्तीय सहायता

8761. श्री देवराज पाटिल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 में महाराष्ट्र राज्य की सहायता कार्यों के लिए ऋणों तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : महाराष्ट्र सरकार को सहायता-कार्यों के खर्च के लिए 1966-67 मे 4,50 करोड़ रुपये के ऋण और 3.50 करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये।

Smuggling Cases Detected by Central Police in Kotah

8762. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of cases of opium, liquor and gold smuggling detected by the Central Police in Kotah, Rajasthan ; and

(b) the amount spent on pay, allowances and rent of the building in which the office of the Central Police Kotah is located in 1967 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Hindi in N. D. M. C.

8763. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the senior members of the New Delhi Minicipal Committee discussed the question of use of Hindi in the Minicipal Committee with Government ;

(b) whether it is also a fact that in the course of discussion, emphasis was laid on working in pursuance of Government's policy ; and

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Daputy Minister in the Ministry of Haalth, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes. Subsequently the matter was also discussed with it the. Governor and the Chief Executive Councillor.

(b) and (c) : It has been agreed that the language policy of the New Delhi Minicipal Committee should be more or less the policy as expressed in the Official languages (Amendment. Act: 1967.

Land With Autonomous Bodies in Gorakhpur

8764. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total area of land in possession of each public undertaking in the Gorakhpur District of Uttar Pradesh ; and

(b) the area of land, out of that, on which Government Officers and employees, semi-Government employees and other persons with their names and addresses who have so far constructed buildings by purchasing the land and the rates at which they purchased the land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Power Connections for Irrigation Purposes in U. P.

8765. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that power connection for irrigatian purposes was free of charge upto four furlongs in Uttar Pradesh during 1966 ;

(b) whether il is also a fact that the U. P. Government took a decision in 1967 to give power connection for irrigation purposes free of charges upto two furlongs and to charge Rs. 1,000 per furlong for giving power connections exceeding ; that distance ; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) During 1966, free line concession to irrigation loads up to about 27 Hp was provided in Uttar Pradesh at the rate of four furlongs per 10 H. P. In 1967, it was decided that the free line concession for energizing private tube-wells/pumping sets upto 5 HP and below would be up to two furlongs and upto three furlongs for loads of 7.5 HP and above. In case, the length of line was beyond the free concessional limit, the consumer was either to pay the cost of the excess line or to pay line rental in lieu thereof. In 1967, the U. P. State Electricity Board sponsored a deposit scheme which included a provision for partial deposit @ Rs. 100. per furlong of the line towards expenditure to be incurred by the Board in constructing the line beyond the free line concession of 2 to 3 furlongs. In January 1968, the deposit scheme at Rs. 1000/—per furlong of the line has been abolished. The full deposit scheme operates according to which the consumer is required to deposit the entire estimated cost involved in the construction of the line (beyond the free line) and of sub-station. The rate of interest payable by the Board on this deposit has been increased from 3% to 6% and the amount along with the interest is to be adjusted in five years in ten six-monthly instalments. The deposit scheme has been introduced in order to maximise the resources of the State Electricity Board in extending rural electrification. In respect of connecting pumping sets of farmers having small holdings requiring power connections upto 5/7.5 H.P. there is no change in free line concession given in 1966.

Assistant Commissioner (Judicial) Sales Tax, Gorakhpur

8766. Shri Molahu Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Office of the Assistant Commissioner (Judicial), Sales Tax, Gorakhpur area is going to be wound up ;

(b) whether it is also a fact that District Bahraich falling within the aforesaid area and Lucknow Basti are being merged with Faizabad and Gorakhpur and Deoria Districts are being merged with Varanasi area ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is further a fact that Government have received a representation on behalf of the Income-tax and Sales Tax Bar Association, Gorakhpur, against the proposed winding up of the Office of the Gorakhpur area ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto and the action taken so far in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Office of the Assistant Commisioner (Judicial), Sales Tax, Gorakhpur, was abolished in July 1967.

(b) As a result of (a) above, the Gorakhpur, Deoria, Basti and Bahraich circles of the appellate range of the Assistant Commissioner (Judicial), Sales Tax, Gorakhpur were merged with the appellate range of the Assistant Commissioner (Judicial), Sales Tax, Faizabad.

(c) The above changes were made on account of reduction in appellate work and keeping in view the norms prescribed by the High Court of Judicature at Allahabad for disposal of appellate cases by an appellate authority.

(d) Yes, Sir.

(e) It has been provided that appeals arising from Gorakhpur, Deoria and Basti circles of the former appellate range of the Assistant Commissioner (Judicial), Sales Tax, Gorakhpur, will be heard at Gorakhpur by the Assistant Commissioner (Judicial), Sales Tax, Faizabad Range. Appeals arising from Bahraich circle will be heard by the same officer at Faizabad.

Cash Assistance for Digging Wells in Gorakhpur. U. P.

8767. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of persons to whom cash assistance was given by the U. P. Government to construct Kucha wells in Gorakhpur District during 1966-67 ; and

(b) whether Government propose to lay a statement on the Table showing the names of such persons and the places where they have constructed wells ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The subject 'minor irrigation' which includes irrigation by wells concerns the Ministry of Food, Agricultural Community Development and Co-operation (Department of Agriculture). According to the information supplied by that Ministry, assistance amounting to Rs. 11,25,244 was given by the Government of Uttar Pradesh to 55,401 persons in Gorakhpur district during 1966-67 for construction of Kucha wells.

(b) No; Sir, as the details would be too voluminous.

मद्रास में वस्तुओं का पकड़ा जाना

8768 श्री चेंगलराया नायडू : श्री अंबचेजियान :

क्या **वित्त** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अप्रैल, 1968 को मद्रास में चिदाम्बरम् के निकट केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने 9 लाख रुपये के मूल्य के निषिद्ध लौंग, मसाले, तथा अजायफल पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस राज्य में एक साथ इतना अधिक माल पकड़े जाने की यह पहली घटना थी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध से कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 4 अप्रैल, 1968 को मद्रास में चिदम्बरम् तालुक के पिचावरम गांव में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने कुल लगभग 9 लाख रुपये की कीमत का लौंग, जायफल, जावित्री, नायलन टुआइन तथा धागा आदि ऐसा माल पकड़ा, जिसके बारे में अवैध होने का विश्वास है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

(घ) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

गंडक परियोजना की पूर्वी नहर से नेपाल को जल की सप्लाई

8769 श्री चेगलराया नायडू : श्री अबचेजियान :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक परियोजना की पूर्वी नहर से इस समय नेपाल को कितने क्यूजक जल सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि गंडक परियोजना की पूर्वी नहर की क्षमता बढ़ाई जाये ताकि नेपाल को 850 क्यूजक जल सप्लाई किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नेपाल को इस समय अभी कोई पानी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नहरें अभी बन कर तैयार नहीं हुई हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) गंडक परियोजना की पूर्वी नहर को इस तरह बनाया जा रहा है कि उससे नेपाल को 850 क्यूजक पानी मिल सके ।

Circulation of Gandhi Coins

8770. Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Jamna Lal : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2661 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether Government have since taken a decision to issue special coins and notes on the occasion of the Mahatma Gandhi Birth Centenary ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether such coins and notes would also be issued in memory of other national leaders ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to issue commemorative coins and currency notes of the following denominations on the occasion of the birth centenary of Mahatma Gandhi on October 2, 1969 :—

(i) The whole series of currency and bank notes from Rs 1 to Rs. 100 denomination. They would be of the same size as the notes currently being printed.

(ii) Silver coins of the denomination of Rs. 10.

(iii) Re. 1 coins and coins of the lower denominations of 50 Paise and 20 Paise.

(c) The question would have to be considered at the appropriate time and no generalisation can be made.

Separate Finance Commission for Union Territories

8771. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Union Territories have not been included in the terms of reference of the present Finance Commission ;

(c) whether some Union Territories have approached Government for setting up of a separate Finance Commission ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) The Constitution does not provide for the appointment of a Finance Commission for Union Territories. However, the financial requirements of the Union Territories to cover their committed expenditure are being gone into by a Study Team of the Administrative Reforms Commission.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली विकास-प्राधिकार द्वारा सस्ते मकानों का निर्माण

8772, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री ओ० प्र० त्यागी :

श्री शिवचन्द्र झा क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने सस्ती लागत वाले पूर्वनिर्मित फ्लैटों का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन फ्लैटों पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) से (ग) : जी हाँ, दिल्ली विकास प्राधिकार ने प्रयोग के तौर पर सफदरजंग रिहायशी योजना (भीम नगरी) के 'सी' ब्लाक में 280 प्रीफेब्रिकेटेड बहुमन्जिले मकानों का निर्माण आरम्भ किया है। इनमें से 72 मकान शीघ्र ही पूरे हो जाने की आशा है तथा उन्हें मध्यम आय वर्ग की आम जनता को अर्थात जिनकी वार्षिक आय 6001 रुपये और 15,000 रुपये के बीच है, बेचने के लिए रखा जायेगा। ये फ्लैट उन लोगों को बेचे जायेंगे जिनका दिल्ली में अपने या अपनी पत्नी अथवा पति अथवा किसी अन्य आश्रित सम्बन्धी के नाम स्वतन्त्र अथवा सांझा कोई प्लाट या मकान पट्टे पर। स्वतंत्र कब्जे वाला न हो तथा जो पिछले पांच वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। रसोई तथा शौचालय सहित तीन कमरों वाले प्रत्येक सैट के निर्माण पर 24,300 रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें भूमि की कीमत भी सम्मिलित है (कुर्सी क्षेत्रफल 708 वर्गफुट)। 50 प्रतिशत रिहायशी मकान वेतन भोगी वर्ग के लिए तथा 15 प्रतिशत में वेतन भोगी तथा बिना वेतन पाने वाले वर्गों के अनुसूचित जातियों। अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों, रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं, राजनीतिक पीड़ितों तथा भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों के लिए जो वैसे आवंटन के हकदार हैं आरक्षित किए जायेंगे।

भारतीय तेल निगम के लिए वैरल तथा तारकोल ड्रम

8773. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम को एक वर्ष में कितने लुब्रिकेटिंग आयल वैरलों तथा तारकोल ड्रमों की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या निगम इनको अपनी इस आवश्यकता को सार्वजनिक टेंडर मंगाकर पूरा करता है अथवा निर्माताओं से सीधे बातचीत करके इनको खरीदता है ;

(ग) क्या इनके लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं से कहा जा रहा है कि वह निगम के पूछने पर मूल्य बतायें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव पर निगम ने विचार कर लिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) 1968-69 में भारतीय तेल निगम की लुब्रिकेटिंग आयल बैरलों की अनुमानित आवश्यकताएं 12,54,000 बैरल हैं तथा बिटूमेन बैरलों की 1,50,000 से लेकर 2,00,000 बैरल ।

(ख) इन बैरलों की आवश्कताएं ओर्डिनेन्स फैक्टरी, भूसावल से सप्लाईज के अतिरिक्त सार्वजनिक टेंडरों से पूरी की जाती हैं ।

(ग) सार्वजनिक टेंडर मंगवाये जाते हैं ।

(घ) जी हाँ ।

मेसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

8774. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5003 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफेक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को प्रति ढोल 44.50 रुपये की दर से, जैसा कि उन्होंने कलकत्ता में कोट किया था, इस बीच क्रयादेश दे दिये गये हैं अथवा दिये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि फर्म को काली-सूची में रखने के बारे में मामले न्यायाधीन है, सरकार फर्म को क्रयादेश देने के सम्बन्ध में विचार करने से पहले न्यायालय के फैसलों की प्रतीक्षा करेगी ।

Containers for Kerosene Oil

8776. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have decided that in view of shortage of tins, the kerosene oil should be sold loose in big cities ;

(b) whether any programme has been chalked out to send oil in containers, made of plastic and other cheap material to those places where it is essential to send it packed ;

(c) if so, the progress so far made in this regard ; and

(d) whether Government are considering any proposal to remove all the restrictions on the distribution of Kerosene oil ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) To reduce the consumption of tin plate the oil companies are generally selling kerosene oil loose and not in tins except in certain areas where bulk transport is difficult.

(b) and (c) A cheap and reliable substitute for a tin container for marketing kerosene is yet to be developed.

(d) No, Sir, not until supplies are fully assured and adequate.

Liquid Petroleum Gas

8777. Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that liquid gas is cheaper and more convenient than power and oil;

(b) whether it is also a fact that at present, there is no shortage of cylinders for liquid gas and they can be manufactured within the country on a very large scale ; and

(c) if so, the reasons for which it is not being produced on a large scale and its use not being propagated ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Liquid Petroleum gas is a convenient fuel, but its delivered price to the consumer for use as domestic fuel is higher than kerosene oil in terms of thermal value. A comparison with power can only be made if the rate at which power is available for domestic use is known.

(b) The availability of cylinders for the distribution of liquid petroleum gas has improved, but still falls short of requirements. Additional capacity for the fabrication of cylinders is, being developed.

(c) Does not arise, in view of the reply to (b)

Dam on Narmada at Jalsindhi

8778. Shri Y. S. Kushwah : Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether an agreement in regard to the construction of a dam on Narmada river at Jalsindhi has been reached between the Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra ;

(b) whether the said construction work has been started ;

(c) the catchment area of Each State from where water would flow into the dam to be constructed at Jalsindhi ;

(d) the acreage of land of each State which would be submerged ;

(e) the amount to be spent on this project ; and

(f) the acreage of land to be irrigated thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) to (f) The required information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House in due course.

Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries

8779. Shri Y. S. Kushwah : Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of new Ayurvedic dispensaries and Homoeopathic Dispensaries, separately, started in each State under President's Rule and in the Union Territories during 1967-68 ; and

(b) the total number of new Aurvedic Dispensaries and Homoeopathic dispensaries, separately, proposed to be started in 1968-69 in such States and Union territories, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy): (a) and (b) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

कलकत्ता और बम्बई स्थित आयकर विभाग द्वारा इकट्ठा किया गया राजस्व

8780. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई में सभी आयकर आयुक्तों द्वारा गत पांच वर्षों में कितना राजस्व इक्ट्ठा किया गया था ;

(ख) क्या कलकत्ता में बम्बई की तुलना में राजस्व बहुत कम इकट्ठा हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री श्री (मोरारजी देसाई)

(क)

वर्ष	वसूल राजस्व	
	बम्बई में आयकर आयुक्तों के कार्यक्षेत्रों में	कलकत्ता में आयकर आयुक्तों के कार्य-क्षेत्रों में
	(करोड़ रुपयों में)	
1963-64	175.74	145.78
1964-65	199.95	161.00
1965-66	203.25	156.78
1966-67	224.67	155.80
1967-68	216.20 (अनन्तिम)	133.65 (अनन्तिम)

(ख) बम्बई कार्य-क्षेत्रों की वसूलियों में वर्ष 1966-67 तक वृद्धि की प्रवृति है परन्तु कलकत्ता में 1965-66 से आगे गिरावट की प्रवृति है ।

(ग) कलकत्ता कार्य-क्षेत्रों में कम वसूली मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से है:-

(1) उच्चतर आय-खण्डों में निर्धारितियों की कम संख्या ।

(2) कम मामलों में कर-निर्धारण पूरे हुए जिनसे निम्न संख्या में मागें जारी हुई ।

आयकर की बकाया राशि

8781. श्री भागेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में आयकर की कुल बकाया राशि कितनी है;

(ख) कुल कितनी धनराशि है तथा आयकर की कुल बकाया राशि का कितना भाग निश्चित आय वाले वर्ग की तरफ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन परिवारों अथवा कम्पनी समूहों की एक सूची जिन्होंने आयकर की एक लाख रुपये से अधिक राशि देनी है सभा-पटल पर रखने का है तथा सरकार द्वारा उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) 29 फरवरी 1968 को कर की कुल 568.18 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी। इनमें 1 अप्रैल 1967 को 541.71 करोड़ रुपये की बकाया रकम में 356.11 करोड़ रुपये की बाकी रही रकम शामिल थी तथा 212.07 करोड़ रुपये की शेष बकाया 1 अप्रैल 1967 से 29 फरवरी 1968 तक जारी की गई मांगों मे से वसूल होनी बाकी थी।

(ख) निश्चित आय समूह के कर निर्धारितियों की तरफ बकाया कर के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में उन कर निर्धारितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी जायगी जिनसे 31 अगस्त 1967 को आयकर की एक लाख से अधिक की रकम वसूल होनी बाकी थी।

बकाया रकम की वसूली करने के लिये कानून में दिये गये सभी उपाय किये जा रहे हैं।

Reserve Bank New Scheme on Refinance

8782. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India have formulated any new scheme on Refinance ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Since August, 1967 the Reserve Bank has been introducing from time to time certain concessions in the scheme of refinance to give a fillip to banks' lending to the priority sectors, namely, exports, agricultural inputs and small scale industries. There has been no recent change in the scheme of refinance, except that the procedural requirements have been recently modified by the Reserve Bank to widen the benefits available in respect of refinance relating to packing credit. Normally packing credits are granted by banks to exporters on the strength of letters of credit opened in their favour by buyers abroad or firm export orders and such credit are expected to be extinguished by negotiation of the relative export bills. The banks have been advised by the Reserve Bank that the benefit of packing credit may also be extended to (a) exporters who do not have letters of credit or firm export orders in their names such as suppliers to the Minerals and Metals Trading Corporation and State Trading Corporation through whom certain exports are canalised (b) sub-contractors supplying goods for exports under a Consortium arrangement and (c) to exporters of commodities e. g., tea exported on consignment basis. The Reserve Bank has also offered to consider on merits cases where it may not be practicable to fulfil the conditions but where the transaction is otherwise of the same nature as any other packing credit.

Cost of Living Index and Dearness Allowances

8783. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) the increase in the cost of living index during the first nine months of 1967-68 ; and

(b) the percentage of the price increase neutralised by the Central and State Governments by enhancing the Dearness Allowance of their employees ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The All-India Working Class Consumer Price Index (1949-100) for the first nine months

of the financial year 1967-68 and its 12 monthly average are indicated below :

	Monthly Index	Annual Average
April, 1967	202	192.92
May, 1967	206	195.00
June, 1967	211	197.17
July, 1967	213	199.25
August, 1967	215	201.33
September, 1967	214	203.25
October, 1967	217	205.33
November, 1967	216	207.17
December, 1967	214	208.58

(b) The dearness allowance of the Central Government employees is revised when 12 monthly average of the All-India working Class Consumer Price Index Number (1949-100) shows an increase of 10 points. Increases in dearness allowance have been granted to Central Government employees corresponding to average indices 195 and 205 with effect from 1.6.1967 and 1.11.1967 respectively at the rates and percentages of neutralization as recommended by the Gajendragadkar Commission. The extent to which 10 points rise in the average index on these two occasions was neutralized is as under :

Pay Ranges Rs.	Percentage of neutralization
70 and above but below 110	90%
110 and above but below 150	60%
150 and above but below 210	55%
210 and above but below 400	45%
400 and above but below 450	25%
450 and above but up to 499	24%

Information in respect of State Governments is not available.

Denatured Spirit Recovered in Gwalior

8784. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the authorities of the Excise Department have recovered 1 drum and 6 tins of denatured spirit in Gwalior in March and April, 1968 ; and

(b) if so, the action taken against the culprits ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

मद्रास तेलशोधक कारखाने का उद्घाटन

8785. श्री सीता राम केसरी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईरान के शाह से प्रार्थना की है कि मद्रास तेलशोधक कारखाने का उद्घाटन करने के लिये भारत की यात्रा करें ;

(ख) क्या शाह ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और यदि हाँ, तो तेलशोधक कारखाने का उद्घाटन कब होने वाला है ; और

(ग) क्या किसी अन्य विदेशी विशिष्ट व्यक्ति को भी इस कार्य के लिये निमंत्रित किया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी नहीं :

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

अनिवार्य जमा योजना

8786. श्री सीता राम केसरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुल कितना धन वसूल किया गया :

(ख) इस पर सरकार को जमाकर्ताओं को कितना ब्याज देना होगा ; और

(ग) क्या ऐसे जमाकर्ताओं को, जो अपनी जमा राशि को सरकारी बाँडों अथवा अन्य प्रकार के सरकारी बचत पत्रों में लगाना चाहें, कोई प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1963-64 तथा 1964-65 में 39.5 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की गई परन्तु कर्मचारी-परियोजना के मामले में तथा दूसरे पूर्व-सामयिक वापसी अदायगियों के फलस्वरूप पिछले वर्ष के अन्त तक लगभग 30 करोड़ रुपये जमा थे ।

(ख) सरकार के पास बची जमा धनराशि पर 4% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है । तथा

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

यूनिट ट्रस्ट के धन का विनियोजन

8787. श्री सीताराम केसर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के यूनिट ट्रस्ट के धन का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तथा किन-किन एजेंसियों अथवा फर्मों को भारत के यूनिट ट्रस्ट से ऋण प्राप्त होता रहा है अथवा प्राप्त हुआ है तथा किन-किन फर्मों तथा एजेंसियों में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने धन लगा रखा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : यूनिट ट्रस्ट को औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देने का कोई अधिकार नहीं है । ट्रस्ट के विनियमों के अधीन इसे किसी एक कम्पनी की पूंजी में ट्रस्ट की कुल निवेश-योग्य रकम के 5 प्रतिशत तक या सम्बद्ध कम्पनी की जारी की गयी बकाया प्रतिभूतियों के 10 प्रतिशत तक जो भी कम हो, धनराशि लगाने का अधिकार दिया गया है, यद्यपि विशेष परिस्थितियों में बड़े-बड़े निगमों के प्रथम-बन्धक ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में इन विनियमों से छूट दी गयी हैं । विभिन्न प्रतिष्ठानों में ट्रस्ट द्वारा किये गये निवेश को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट द्वारा किये गये निवेश की जो रकम 31 मार्च, 1968 को थी उसके उद्योगवार विभाजन का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1075/68**]

भारतीय पूंजी बाजार

8788. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पूंजी बाजार अभी भी मन्दा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या आय-व्ययक में सोचे गये किन्हीं उपायों का भारतीय पूंजी बाजार पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) से (ग) : हाल तक पूंजी बाजार में मन्दी थी जो प्राय : अर्थव्यवस्था में शिथिलता की स्थिति होने की द्योतक थी। पूंजी बाजार की प्रवृति पर सट्टेबाजी का प्रभाव भी पड़ता है, और न केवल देश की घटनाओं का बल्कि विदेशों की आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। परिवर्तनशील लाभांश वाली औद्योगिक प्रति-भूतियों के सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक का सूचक अंक (1961-62-100,) जो 10 फरवरी, 1968 को 73.2 था बढ़कर 13 अप्रैल, 1968 को 77.2 हो गया था। यह 10 फरवरी, 1968 के स्तर से 5.5 प्रतिशत वृद्धि हो जाने का द्योतक है।

समुद्र तट-दूर से निकाले गये तेल पर रायल्टी

8789. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय तट से तीन मील से दूर के क्षेत्र में तेल पर रायलटी अथवा शुल्क का दावा करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तट से तीन मील से अधिक दूरी वाले भारतीय जल क्षेत्र में तेल निकालने वाली विदेशी कम्पनियों से सरकार को रायल्टी मिलेगी और यदि हाँ, तो कितनी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) :

(क) भारत की महाद्वीपीय जलमग्न भूमि से (यद्यपि ऐसे क्षेत्र जल-क्षेत्रों अधिक दूरी पर हों) निकाले गए तेल को सम्मिलित करते हुए खनिजों पर सरकार रायल्टी का दावा कर सकती हैं। शुल्क लगाने का संदर्भ समझ से बाहर है।

(ख) और (ग) : कोई विदेशी कम्पनी इस समय, जल क्षेत्रों या भारत की महाद्वीपीय जलमग्न भूमि से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में, तेल की खोज या उत्पादन का कार्य नहीं कर रही है। जब कभी ऐसे क्षेत्रों में तेल उत्पादित हो, तब सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक दर से रायल्टी की अदायगी होगी। इस समय उत्पादित तेल की रायल्टी की दर प्रति मीटरी टन 7.50 रुपये है।

खाई जाने वाली गर्भनिरोधक दवाइयों की मुफ्त सप्लाई

8790. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनता के लिए खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयाँ मुफ्त सप्लाई करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जी अभी नही । खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों के मुफ्त वितरण के उद्देश्य से ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों के कुछ चुने हुए क्लीनिकों में, परीक्षणात्मक आधार पर, एक प्रायोगिक तथा प्रदर्शन प्रायोजना आरम्भ कर दी गई है । खाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों को बड़े पैमाने पर आरम्भ करने का कार्यक्रम, इस प्रायोजना के परिणामों पर निर्भर करेगा ।

समन्वित चिकित्सा पाठ्यक्रम पास स्नातक

8792. श्री रवि राय : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देशी चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने सिफारिश की है कि कोई रिक्त पद भरने के लिए समन्वित चिकित्सा पाठ्यक्रम पास स्नातकों को चिकित्सा स्नातकों के बराबर समझा जाना चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, और उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की सिफारिशें विचाराधीन है ।

विलिंगडन अस्पताल, दिल्ली में कर्मचारी संघ

8793. श्री किकर सिंह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "विलिंगडन अस्पताल एम्पलाइज कोआपरेटिव थ्रिफट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी" के अधिकारियों से सोसाइटी के रजिस्ट्रार के नाम भेजे गये पत्र की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसकी एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भी भेजी गई है, जिसमें यह लिखा है कि विलिंगडन अस्पताल को विलिंगडन अस्पताल कर्मचारी संघ के कार्यकलापों को समाप्त करने के लिए विलिंगडन में अन्य समानान्तर कर्मचारी संघों की स्थापनाको बढ़ावा दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलिंगडन अस्पताल के उच्च अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारियों के एक वर्ग ने एक और कोआपरेटिव थ्रिफट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया है । कानून के अधीन एक से अधिक सोसाइटियां बन सकती हैं बशर्ते कि उसके सदस्य बनने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी आगे आयें । यह कर्मचारियों और रजिस्ट्रार के बीच का मामला है इसलिए जो कर्मचारी इस प्रकार की सोसाइटियों का गठन करते हैं अस्पताल अधिकारी उनके मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करते ।

Malaria Eradication Programme in Delhi

8794. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff employed for the Malaria Eradication Programme in Delhi is not spraying insecticides in houses, etc. at present ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) if the reply to part (a) be in the negative, the names of the areas in Delhi in which they sprayed insecticides and the number of times they did so in each of those areas during the last one year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) Under the National Malaria Eradication Programme the spraying of insecticides is done during the attack phase only. As the units in Delhi passed this stage, the regular spray operations were withdrawn. However, emergency spraying in strategic areas is being carried out from year to year. During 1967 insecticides were sprayed in certain vulnerable areas including villages affected by floods.

घाटे की अर्थ व्यवस्था

8795. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में घाटे की अर्थ व्यवस्था का मूल्य और उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : घाटे की वित्त-व्यवस्था उन कई बातों में से एक है जिनका प्रभाव मूल्यों और उत्पादन पर पड़ता है और इसके प्रभाव को अर्थ-व्यवस्था पर एक-साथ प्रभाव डालने वाली अन्य बातों के प्रभावों से अलग नहीं किया जा सकता ।

होम्योपैथी कालेज

8796. श्री स० चं० सामन्त : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में होम्योपैथी के कौन कौन से कालेज होम्योपैथी की दवाइयों पर अनुसन्धान कर रहे हैं;

(ख) इन कालेजों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद केन्द्र से और राज्यों से कितनी कितनी राशि की सहायता मिली;

(ग) क्या होम्योपैथी की हमारी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान-कार्य के लिए कुछ विदेशी संयंत्र और सामग्री का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो किन किन देशों से ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) (1) आन्ध्र प्रौविन्शियल होम्योपैथिक मैडिकल कालिज तथा अस्पताल, गुडीवडा, (2) डी० एन० डे० होम्योपैथिक मैडिकल कालिज तथा अस्पताल, कलकत्ता, (3) मैदिनीपुर होम्योपैथिक मैडिकल कालिज तथा अस्पताल, मैदिनीपुर (4) आतुराश्रमम् होम्योपैथिक मैडिकल कालिज तथा अस्पताल कोट्टायम तथा (5) कलकत्ता होम्योपैथिक मैडिकल कालिज तथा अस्पताल, कलकत्ता में होम्योपैथी की औषधियों पर अनुसंधान कार्य चल रहा है ।

होम्योपैथी की औषधियों पर अनुसंधान कार्य चलाने के लिए तीसरी योजना अवधि में उन्हें 5,13,550 रुपये की तथा 1966-67 और 1967-68 में 2, 39, 901 रुपये की केन्द्रीय सहायता मिली। अनुसन्धान कार्य चलाने के लिए इन कालिजों को राज्य सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(ग) और (घ) कुछ पौधे और मदर-टिंक्चर पश्चिम जर्मनी से आयात किये गये हैं।

सरकारी कार्यालयों के लिए लेखन-सामग्री का आयात

8797 श्री स० चं० सामन्त : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित सामग्री के स्थान पर देशी उत्पादों का इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में काम में आने वाली लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं का आयात कितना कम हुआ है;

(ख) ऐसी वस्तुओं के आयात पर अभी तक कितनी राशि प्रति वर्ष खर्च की जाती रही है अथवा खर्च होने का अनुमान है तथा उनकी खरीद के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है; और

(ग) देशी उत्पादों पर निर्भर होना कब तक संभव होगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ग) : विभिन्न सरकारी कार्यालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में अस्पताल

8798. श्री कंवरलाल गुप्त : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी दो वर्षों में दिल्ली में नये अस्पताल खोलने अथवा वर्तमान अस्पतालों का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री श्री ब० सू० मूर्ति :

(क) और (ख) सरकार ने दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के कार्य की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट हाल ही में मिली है। नये अस्पताल खोलने अथवा वर्तमान अस्पतालों का विस्तार करने के प्रश्न पर इस समिति की सिफारिशों के संदर्भ में विचार किया जाएगा।

Demolition of Shops and Slums in Kotla Mubarakpur, Delhi

8800. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the unauthorised shops and slums of Kotla Mubarakpur were demolished in January, 1968 ;

(b) whether it is also a fact that the slums were demolished without any prior notice ;

(c) if so, the number of persons rendered homeless and action taken to rehabilitate them ; and

(d) the number of unauthorised houses and slums demolished during the last two months and the names of places where they have been rehabilitated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) Commercial squatters were removed from a plot of land in Sewa Nagar, adjacent to Kotla Mubarakpur, under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants), Act. The unauthorised encroachments made upto the road mostly by Timber Shop-keepers of Kotla Mubarakpur were also removed under the Bombay Police Act. The slum area of Kotla Mubarakpur was not touched. As the clearance was done under the statutory provisions contained in the said Acts, the question of providing any alternative relief does not arise.

(d) The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Distribution of Wax in Delhi

8801. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of Companies in public and private sectors, separately, which get the quota of wax in Delhi ;

(b) the number of Companies to whom quota was given during the last five years and the quantity given to each ;

(c) whether Government have received complaints from customers and the Members of Parliament to the effect that these companies have not been distributing the said quota properly in time and have indulged in a number of other irregularities ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No quotas for Paraffin Wax have been fixed by the Government for consumers in Delhi.

(b) Does not arise.

(c) Complaints about irregularities in the distribution of Wax were received from the Delhi Wax Candle Manufacturers' Association and individual candle manufacturers and also from one Member of Parliament.

(d) The Wax distributing Companies, viz, M/s: Burmah-Shell and Indo-Burma Petroleum Company were asked to ensure equitahle distribution of Wax to the units of the Delhi Wax Manufacturers Association.

दिल्ली में देशी शराब पीने के बाद दिखाई देना बन्द हो जाना

8802. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री वि० ना० शास्त्री :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में देशी शराब पीने के बाद चार व्यक्तियों को दिखाई देना बन्द हो गया था ;

(ख) क्या इस प्रकार की दुखद घटना के कारणों की जाँच करने के लिए इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों से बेची जाने वाली शराब में मिलावट न हो और उसके परिणामस्वरूप ऐसी दुखद घटनाएं न हों क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) बताया गया है कि चार व्यक्तियों को दिखाई देना बन्द हो गया है, परन्तु विशिष्ट ब्यौरा न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि देशी शराब पीने के कारण उन्हें दिखाई देना बन्द हुआ।

(ग) प्रवर्तन के उपायों को तेज किया जा रहा है।

सल्फयूरिक एसिड प्लांट, सिंदरी के बारे में वल्गारिया के साथ करार

8803. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वल्गारिया के सहयोग से सिन्दरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगाये जाने के बाद सिन्दरी स्थित उर्वरक उद्योग समूह के लिये राजस्थान से जिप्सम की सप्लाई बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) : वल्गारिया के मैसर्स टेकनो-एक्सपोर्ट के सहयोग से सिन्दरी में एक सल्फयूरिक एसिड प्लांट की स्थापना, सिन्दरी युक्तिकरण योजना का अंग है। प्लांट में पाइराइटस से उत्पादित सल्फयूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंव जिप्सम उपोत्पाद के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। फास्फोरिक एसिड ट्रिपल सुपरफास्फेट के उत्पादन के लिए और उपोत्पाद जिप्सम प्राकृतिक जिप्सम के स्थान पर अमोनिया सल्फेट के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। अतः जब सिन्दरी युक्तिकरण योजना कार्यान्वित हो जायेगी तब सिन्दरी उर्वरक कारखाने को इस समय राजस्थान से प्राप्त प्राकृतिक जिप्सम के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होगी।

निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पाइराइटस तथा उपोत्पाद जिप्सम की ओर परिवर्तन करने का फैसला किया गया है :—

(i) इस समय खनन की जा रही राजस्थान की खानों से प्राप्त जिप्सम की घटिया किस्म।

(ii) राजस्थान से जिप्सम के भाड़े की लागत में वृद्धि।

(iii) पाइराइटस के प्रयोग से कारखाना आयातित गन्धक को बिना इस्तेमाल किये फास्फेटिक उर्वरकों एंव सम्मिश्र उर्वरकों का उत्पादन कर सकेगा और साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट के लगातार उत्पादन के लिए ऐच्छित पवित्रता का उपोत्पाद जिप्सम उपलब्ध होगा।

पंचकुई रोड के क्वार्टर

8804. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों को पंचकुई रोड नई दिल्ली पर श्रेणी एक क्वार्टर दिए हुए है उनसे सरकार सड़क की रोशनी के व्यय के रूप में एक रुपया 20 पैसा प्रति क्वार्टर वसूल कर रही है ;

(ख) क्या राजधानी की किसी भी बस्ती के लिये बिना शुल्क सड़क रोशनी देना सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो रहने वालों से उक्त राशि वसूल करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पंचकुईयां रोड पर आवंटित टाईप 1 क्वार्टरों के सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी कर्मचारियों, उदाहरणत: अर्ध सरकारी संगठनों के कर्मचारियों आदि से, सड़क की बत्तियों का प्रभार अन्तरिम रूप से क्रमश: 1.00 रुपया प्रति माह तथा 1.20 रुपया प्रति माह की दर पर वसूल किया जा रहा है ।

(ख) निवासियों के लिए सड़क की बत्ती की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व संबंधित स्थानीय निकाय से है ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सड़क की बत्तियों के अनुरक्षण के व्यय को उठाना अस्वीकार कर दिया है तथा सरकार अपने द्वारा किये गए व्यय को पंचकुईयां रोड पर टाईप 1 क्वार्टरों के आवंटियों से अन्तरिम रूप से वसूल कर रही है । तथापि, यह मामला नई दिल्ली नगर पालिका के साथ पत्राचाराधीन है तथा इस पर भी विचार किया जा रहा है कि किराये-दारों से ऐसे प्रभारों की जब तक नई दिल्ली नगर पालिका से समझौता नहीं हो जाता, क्या वसूल किया जाये ।

पंचकुई रोड, नई दिल्ली के क्वार्टर

8805. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुई रोड, नई दिल्ली पर श्रेणी एक के क्वार्टरों में कोई रसोईघर नहीं है तथा मेहतरों को रहने वाले कमरों में से होकर जाना होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रहने वालों के लिये कोई पूछताछ कार्यालय नहीं है तथा बच्चों के खेलने के मैदान भी ठीक प्रकार के समतल नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) इन दो कमरों वाले फ्लैटों में एक कमरा बहु-प्रयोजनीय कमरा है, खाना बनाने तथा रिहायशी वास के उपयोग के लिये है । पहली मंजिल के शौचालयों में मेहतरों के जाने के लिए कोई अलग से ज़ीना नहीं है । रसोई तथा मेहतरों को जाने के लिए ज़ीने की अलग से व्यवस्था करने के लिए संरचना में बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी जिसमें काफी खर्चा होगा । निवासियों को वैकल्पिक प्रस्ताव, कि मेहतरों के प्रवेश के लिए ज़ीने के स्थान पर लकड़ी की सीढ़ी की व्यवस्था कर दी जाये, स्वीकार्य नही है ।

पंचकुईयां रोड तथा आसपास के अन्य क्षेत्र के क्वार्टरों की सेवा के लिए डी० आई० जैड० क्षेत्र के लिए हैवलौक स्क्वायर में मुख्य पूछ-ताछ कार्यालय के अतिरिक्त डाएज़ स्क्वायर में एक उप-पूछताछ कार्यालय है ।

क्वार्टरों की पंक्तियों के बीच में खुली जगह काफी समतल है । आगामी बरसात में उसमें घास लगा दी जायेगी ।

कलकत्ता में औषधी तथा भेषज उद्योग को एलकोहल की सप्लाई

8806. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एलकोहल की सप्लाई में कठिनाई के कारण कलकत्ता में औषधि तथा भेषज उद्योग में गतिरोध पैदा होने वाला है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब तक बिहार से मिलने वाली एलकोहाल की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण स्थिति और गम्भीर हो गई है ;

(ग) क्या इस उद्योग ने सुझाव दिया है कि एक केन्द्रीय एलकोहाल बोर्ड स्थापित किया जाये जिसे यह काम सौंपा जाये कि यह सीरे को जमा करके रखने, उसके वितरण तथा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के बारे में तथा युक्तियुक्त आधार पर सारे देश के उद्योग को युक्ति संगत ढंग से एलकोहाल देने के बारे में निदेश दे ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) देश में एलकोहल की कमी के कारण, औषधि एवं भेषज उद्योग को शामिल करते हुए एलकोहल पर आधारित उद्योग के उत्पादन कार्यक्रम कुछ हद तक प्रभावित हुए । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए आयात की व्यवस्था की गई है ।

(ख) बिहार से एलकोहल की सप्लाई पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । चालू खाण्ड मौसम 1967-68 के दौरान उक्त राज्य में सीरे एवं एलकोहल के उत्पादन में कमी को दृष्टि में रखते हुए इस राज्य ने पश्चिमी बंगाल को पर्याप्त प्रदाय के लिए असमर्थता प्रकट की है ।

(ग) और (घ) कई शक्तियों से प्रदत्त एक केन्द्रीय सीरा बोर्ड तथा एक केन्द्रीय एलकोहल बोर्ड की स्थापना के लिए कई स्थानों से सुझाव प्राप्त हुए हैं । राज्य सरकारों के परामर्श से सुझाव विचाराधीन है ।

मैसूर में जाली नोट बनाने वाला गिरोह

8807. श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री श्रीधरन** :
श्री क० लकप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सौ रुपये के जाली नोट बनाने वाले लोगों का गिरोह हाल में मैसूर में पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कार्यप्रणाली का ब्यौरा क्या है, जो अब तक की गई प्रारम्भिक जाँच से मालूम हुई है ; और

(ग) उस गिरोह को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

दिल्ली स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी में आग लगने की घटना

8808. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बलराज मधोक :
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अप्रैल, 1968 को दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने में भयंकर आग लग गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने मूल्य की क्षति हुई थी ;

(ग) क्या आग लगने के कारणों की जाँच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) 16 अप्रैल, 1968 की रात को दिल्ली स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी के मोनोक्लोरोबेंजीन खण्ड में बैंजीन डिहाईड्रेशन वाक यन्त्र (स्टिल्ल) के पास आग लगी थी ।

(ख) 8000 रुपये तक क्षति का अनुमान है ।

(ग) डी० डी० टी० फैक्टरी के प्रधान प्रबन्धक तथा उत्पादन अधीक्षक की एक समिति आग के कारणों की जाँच कर रही है ।

(घ) जाँच कार्य अभी पूरा नहीं हुया है ।

दिल्ली में सरकारी उपक्रमों के मुख्यालय तथा अतिथि गृह

8809. **श्री शिव चंडिका प्रसाद :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सरकारी उपक्रमों के दिल्ली में प्रधान कार्यालय तथा अतिथि गृह (गैस्ट हाउस) हैं ;

(ख) उनके द्वारा मकान किराये बिजली के शुल्क, पानी शुल्क तथा टेलीफोन शुल्क के रूप में प्रति मास कितनी राशि दी जाती है ;

(ग) दिल्ली में प्रधान कार्यालय तथा अतिथि गृह भी रखने की क्या आवश्यकता है जब कि यहां पर होटल उपलब्ध है और

(घ) इन उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को दिल्ली में आवास के बारे में क्या सुविधा दी जा रही है ?

उप- प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) अनुबन्ध में दिये गये 28 उपक्रमों के प्रधान कार्यालय दिल्ली में हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी 1076/68**] उपक्रमों को दिल्ली में अपने प्रधान कार्यालय कायम करने के लिए

इजाजत देने के कारण, हर मामले में अलग है, किन्तु सामान्य कारण ये है कि देश के विभिन्न भागों में सम्बन्ध उपक्रमों के एक से ज्यादा एकक (यूनिट) कायम हो (जैसा कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड, भारतीय रासायनिक खाद निगम लिमिटेड आदि के मामले में है), वित्त की प्राप्ति विदेशी मुद्रा संयंत्र और उपकरणों के आयात आदि से सम्बन्ध रखने वाले मामले में उपक्रमों को मंत्रालयों। विभागों से सम्पर्क रखना पड़ता हो खास तौर से उन उपक्रमों के बारे में जो विकास के आरम्भिक दौर में हो जैसे भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड, आदि) या उपक्रमों को विदेशों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों आदि से सम्पर्क रखना पड़ता हो (जैसा कि भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड के मामले में है)। अतिथि-गृहों और प्रश्न के भाग (ख) और (घ) के बारे में मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

Irrigation Projects, Madhya Pradesh

8810. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of irrigation projects of Madhya Pradesh that were approved during the years 1966-67 and 1967-68 ;

(b) whether the Bari Utavali River project near Sirpur Village of Burhanpur tehsil (Madhya Pradesh), the work in respect of which has been going on for the last few years, has been executed ;

(c) if not, the details of the work that has yet to be done in respect of that project and the time by which it is likely to be completed ; and

(d) the amount of financial assistance given by the Central Government so far for that project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad): (a) Three medium irrigation schemes were sanctioned in 1966-67 and one in 1967-68.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) No ear-marked Central loan assistance is being given for this project.

Wealth Tax on persons from Hoshangabad and East Nimad Districts

8811. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the persons who were assessed to Wealth Tax during the last three years in District Hoshangabad and East Nimad (Madhya Pradesh) ;

(b) the total value of their assets assessed for this purpose and the amount of Wealth Tax assessed on them :

(c) the names and addresses of those income-tax payers of Hoshangabed and East Nimad who had to pay more than Rs. 5000/— as arrears of income-tax and other Central Taxes at the end of March, 1967 ; and

(d) the amounts of arrears of income-tax due from those income-tax payers who have to pay more than Rs. 1,00,000 as income-tax, the periods to which they relate and the action taken to realise the same ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

8812. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that important irrigational schemes have not made any satisfactory progress in Madhya Pradesh on account of financial difficulties ;

(b) whether it is also a fact that the progress actually made would be much less as compared to that estimated during 1967-68 ;

(c) if so, the details thereof and the gap likely to remain in the progress actually made and the estimated progress ; and

(d) the efforts being made for expenditure implementation of these schemes during 1968-69 and the expenditure likely to be incurred on the implementation of these schemes during 1968-69 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) ; The Working Group had recommended an outlay of Rs. 460 lakhs for major irrigation schemes in Madhya Pradesh in 1967-68. Due to paucity of funds, the Madhya Pradesh Government made a budget provision of Rs. 334.20 lakhs only. The expenditure during the year is, however, estimated at Rs. 400 lakhs. As such, there is likely to be some short-fall in the progress of works as envisaged by the Working Group.

(d) The details of the Annual Plan programme for 1968-69 have not yet been finalised.

असैनिक डिपुओं द्वारा दिखाई गई तेल की कमी

8813. श्री अबदुल गनी दार : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 1 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में वर्षवार असैनिक डिपुओं द्वारा पैट्रोलियम, मिट्टी का तेल, अधिक रफ्तार वाले डीजल तेल, लाइट डीजल तेल, भट्टी के तेल, मोवाइल तेल और एम० टी० ओ० की कितनी कितनी कमी दिखाई गई है ; और

(ख) कमी दिखाने के लिये इन डिपुओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) असैनिक डिपुओं पर स्थल-आधार पर कमियां हुई थीं और वह भी कुछ स्थानों पर । ऐसी कमियों की मात्राओं के बारे में सूचना सुगमता से उपलब्ध नहीं है

(ख) जब कभी आवश्यकता होती है तो प्रत्येक तेल कम्पनी क्षतियों को अनुज्ञेय सीमा तक रखने के लिये कार्यवाही करती है ।

Capital Deposits and Advances made by Banks

8814. Shri Onkar Lal Bohara : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The total capital and deposits of the private banks and the percentage thereof advanced to the major industries and undertakings in the private sector as loans and the percentage advanced to the minor industries and ordinary citizens as loans with the rate of interest thereon during the year 1967-68 ; and

(b) The names of the persons and establishments monopolising these banks with details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) A statement is enclosed. **(Placed in Library. See No. Lt. 1077/68)**

(b) It is not possible to obtain from the banks the particulars of the individual loans (including the names of the borrowers) as under the practices and usage customary among bankers, they are prohibited from divulging such information.

वित्त मंत्री की थाईलैंड के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत

8815. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :** **श्री वेतव्रत बरुआ :**

श्री चित्ति बाबू : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने एशियाई बैंकों की बैठक में भाग लेने के लिये अपनी हाल की मनीला की यात्रा के दौरान थाईलैंड के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से कोई बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकाला ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मैंने एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के बाद मनीला से स्वदेश लौटते हुए, थाईलैंड की सरकार के अतिथि के रूप में ठहरने का वहां की सरकार का निमंत्रण स्वीकार किया था । मैं बैंकाक में एक दिन रहा और थाईलैंड के प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री और वित्त मन्त्री से मिला । अपनी बातचीत में हमने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार का निकट सहयोग करने की आवश्यकता स्वीकार की ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये निःशुल्क शिक्षा

8816. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने वर्ष 1965 में सरकार से सिफारिश की थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये ;

(ख) क्या इस दल ने यह भी सिफारिश की थी कि तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए प्रविष्ट होने के लिये अरक्षित स्थानों में और वृद्धि की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणू गुह) : (क) योजना आयोग द्वारा इस प्रकार का कोई दल स्थापित किया गया प्रतीत नहीं होता है । गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई, 1963 में स्थापित किए गए एक कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि उपयुक्त साधन परीक्षण होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए सभी

स्तरों पर शिक्षा मुफ्त हो। यह सुझाव चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए नीति, प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के संदर्भ में दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चतुर्थ योजना को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। उपलब्ध साधनों की सीमाओं के भीतर राज्य पहले ही मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जनता के विभिन्न वर्गों के हितों के अनुसार अधिकतर राज्यों ने तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थाओं ये स्थान आरक्षित किए हैं।

श्री काकुलम आन्ध्र प्रदेश में आदिम जातीय लोगों में असन्तोष

8817. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में आदिम जातीय लोगों में असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, इन लोगों में असन्तोष पैदा करने वाली उनकी मांगें तथा शिकायतें क्या हैं ;

(ग) इन मांगों को पूरा करने तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) श्रीकाकुलम जिले में हाल में आदिम जाति के 500 से अधिक लोगों को हाल के सप्ताहों में किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कानून का उल्लंघन, लूट तथा हिंसा हुई है।

(ख) इस आन्दोलन का उद्देश्य यह भावना प्रतीत होती है कि सारी भूमि तथा उपज आदिम जातियों की है तथा गैर-आदिम जातियों ने उस इलाके से चले जाना चाहिए। यह भी पता चला है कि अधिक मजदूरी, पुलिस दलों को हटाने तथा परिवर्ती खेती के लिए आरक्षित जंगलों को काटने की स्वतन्त्रता की मांगें की गई हैं।

(ग) राज्य सरकार ने कानून तथा व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। जहां कहीं, आवश्यक हो, राहत प्रदान करने तथा आदिम जातियों के वेद्य हितों के सुरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(घ) भारतीय दंड विधान का उल्लंघन तथा गैर-कानूनी सभा।

बम्बई स्थित एस्सो तेल शोधक कारखाने में अग्नि काण्ड

8818. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित एस्सो तेल शोधक कारखाने में हाल में लगी रहस्यमय आग के कारण सारे कारखाने का काम ठप्प हो गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की कितनी हानि हुई ; और

(घ) उस कारखाने में सम्भवतः कब से पूरा उत्पादन होने लग जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) 28 फरवरी, 1968 को सम्मिश्रण यूनिट में एक पाइपलाइन में एक विदार के कारण एस्सो तेल शोधक कारखाने में आग लगी। एहितयात के तौर पर सारी शोधनशाला 6 दिनों की अवधि के लिए बन्द कर दी गई। आग के बारे में कोइ रहस्य नहीं था।

(ग) लगभग 39,400 मीटर टन।

(घ) शोधनशाला में आंशिक उत्पादन 6-3-1968 को तथा पूर्ण उत्पादन 24-3-1968 को शुरू हुआ।

Medical Practitioners

8819. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the total number of Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic Doctors practising in the country, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Pay Scales for Doctors in Government Service.

8820. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Allopathic, Ayurvedic, and Homoeopathic doctors in Government Service have been given uniform pay scale ; and

(b) if not, whether Government propose to fix uniform pay scale for them and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) with the formation of the Central Health Service cadre the Pay Scales of Allopathic doctors have been revised. The question as to whether the payscales of the Ayurvedic and Homoeopathic doctors should also be revised is under consideration.

Stipends for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Children

8821. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether any fixed amount is provided by the Central Government to State Governments to grant stipends to the children of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people living in various States ;

(b) if so, the figures thereof, Statewise ;

(c) the amount given for this purpose each year from 1962 to 1967 ;

(d) the respective number of children belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were given stipends each year during the above period ;

(e) whether the Central Government also grants such stipends directly ; and

(f) if so, the amount thereof and the respective number of the said students to whom such stipends are granted ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. Smt. Phulrenu Guha) : (a) No, Sir the amount is variable.

(b) Does not arise.

(c) The expenditure incurred on Post-matric scholarships is as under :

Year	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
	(Rs. in lakhs)	
1962-63	268	44
1963-64	294	50
1964-65	341	61
1965-66	373	71
1966-67	438	84

(d) The number of such scholarships awarded is as under :—

Year	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1962-63	55,580	10,249
1963-64	60,675	11,836
1964-65	75,146	13,500
1965-66	78,548	15,925
1966-67	90,264	17,760
(excluding Jammu and Kashmir)		

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

Major Irrigation Schemes

8822. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any special allocation has been made for 1968-69 for major irrigation schemes in the country ;

(b) if so, the amount thereof ;

(c) the amount proposed to be made available to the Bihar Government this year for the implementation of irrigation schemes in the State ; and

(d) the amount to be provided for each such scheme, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : Yes, Sir, Rs. 25 crores.

(c) and (d) : The scheme-wise allocations is under consideration.

फिल्म कलाकार

8823. श्री जुगल मंडल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन फिल्म कलाकारों ने अर्थात् (1) श्री शम्मी कपूर (2) श्री राजेन्द्र कुमार (3) कुमारी वहीदा रहमान और (4) कुमारी आशा पारिख ने अपनी आय छिपाई है और 1 अप्रैल, 1962 से लेकर 31 मार्च, 1967 की अवधि के दौरान निर्धारित की गई आय-कर की राशि नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनसे पूरे कर वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या उपर्युक्त फिल्म कलाकारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रकट आय पर कर लगाया जा चुका है। करों की पूरी अदायगी भी की जा चुकी है, सिर्फ कुमारी वहीदा रहमान को छोड़कर, जो करों की अदायगी मंजूर की गई किस्तों के अनुसार कर अदा कर रही है ;

(ग) और (घ) उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोई मुकदमा चलाना संभव नहीं था। कुमारी आशा पारेख के मामले में आय छिपाने का पता 31 मार्च, 1967 के बाद चला है और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसी कार्यवाही के लिए उचित प्रमाण उपलब्ध हैं।

आंध्र प्रदेश को सूखा सहायता

8824. श्री नारायण रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को अब तक सूखा सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कितनी सहायता देने का विचार है, और

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : जिस केन्द्रीय दल ने सूखा सम्बन्धी सहायता-कार्यों के लिए आवश्यक रकम का अनुमान लगाने के लिए राज्य का दौरा किया था, इसकी रिपोर्ट अभी अभी मिली है। अनुमान है कि राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में बहुत जल्दी फैसला किया जायगा।

अहमदाबाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां

8825 श्री भालजीभाई परवार : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित आदिम जातियों के उन लोगों के लाभ के लिये, जो गुजरात तथा राजस्थान राज्यों के विभिन्न भागों से आकर अहमदाबाद नगर में बस गये हैं, पी डब्ल्यू० आर० गृह निर्माण योजना संख्या 219 को जारी रखने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हे व्यक्तिगत आधार पर बिना ब्याज ऋण देने का है, ताकि वे अपने मकान बना सकें ; और

(ग) क्या नगर में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को घर बनाने के लिये मुफ्त स्थान देने की सरकार की कोई योजना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) और (ख) पी० डब्ल्यू० आर० गृह निर्माण योजना संख्या 219 राज्य योजना थी, जिसे तृतीय योजना में समाप्त कर दिया गया था । तो भी, इस योजना के अधीन 31 मार्च, 1961 से पूर्व सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं स्थापित कर दी गई थी, उन्हें राज्यों की अपनी विधियों से वित्तीय सहायता मिलती रही । यह सहायता मकान की लागत के 75% के बराबर

ब्याज-रहित कर्ज के रूप में होती है, जिस में जमीन की कीमत, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 रुपए से, अहमदाबाद को छोड़ कर शेष शहरी इलाकों में 4,500 रुपए से तथा अहमदाबाद नगर में 6,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, शामिल है ।

(ग) जी, नहीं ।

संसद सदस्यों को विदेशी मुद्रा

8826. श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ससद् सदस्यों को अपनी सदस्यता-वधि में कितनी विदेशी मुद्रा मिल सकती है ; और

(ख) संसद के वर्तमान सदस्यों ने अब तक कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) प्रत्येक सदस्य को 6,000 रुपये तक की विदेशी मुद्रा मिल सकती है ।

(ख) संसद के वर्तमान सदस्यों को, उनके चालू कार्यक्रम में, अब तक 2.70 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी जा चुकी है ।

पम्पिग सेटों को बिजली से चलाया जाना

8827. श्री अगाड़ी : क्या **सिचाइ और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये पम्पिंग सेटों को बिजली से चलाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो 1966-67 और 1967-68 में राज्यवार क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था और यदि कोई ऋण दिया गया है तो कितना और 1968-69 के लिये अनुदान देने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है ?

सिचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1965-66 से जो ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं बनाई गई हैं उन में सिचाई पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया है । हर साल राज्यों के संविधानों और कार्यक्रम को ध्यान में रख कर लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1078/68]

आदिवासी बच्चों के लिये बालबाड़ी

8828. श्री भालजीभाई परमार : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी बालकों की प्राइमरी-पूर्व शिक्षा के लिये गुजरात के विभिन्न आदिम जाति खण्डों में बालवाड़ी बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) वर्ष 1967-68 में समस्त भारत में चालु की गई परिवार तथा बाल कल्याण सेवाओं की योजना के अन्तर्गत परिवार तथा बाल कल्याण प्रायोजनाओं को, जिस में बाल विकास केन्द्र भी शामिल हैं, आदिम जातीय विकास खण्डों में स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रायोजना में 6 केन्द्र होंगे तथा प्रत्येक बाल विकास केन्द्र से 40 बच्चों को लाभ पहुंचेगा। बर्ष 1967-68 में डांग तथा घर्मपुर खण्डो में मय परिवार तथा बाल कल्याण प्रायोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम बढ़ेगा गुजरात के अन्य आदिम जातीय खण्डों के भी आवृत होने की सम्भावना है।

कर्जन रोड स्थित अंकटाड कर्मचारी होस्टल नई दिल्ली से बरामद विदेशी मुद्रा

8829. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1968 के पहले सप्ताह में एक छापा मारने पर कर्जन रोड अंक्टाड स्टाफ होस्टल के प्रबन्धक तथा कर्मचारियों से कोई विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस छापे का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी मुद्रा पकड़ी गई थी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई थीं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर्जन रोड अंक्टाड स्टाफ होस्टल के प्रबन्धक और कर्मचारियों की न तो तलाशी ली गई और न छापा ही मारा गया।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुये ये प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान को बकरी की खाल का चोरी-छिपे ले जाया जाना

8830. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : श्री मुरासोली मारन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि पूर्वी सीमाओं से होकर पाकिस्तान को बकरी की खालों के चोरी-छिपे ले जाये जाने के कारण भारत से 5 करोड़ रुपये मूल्य के चमड़े का निर्यात कम होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां तो इस तस्करी को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) : इस सम्बन्ध में इकट्ठी की गई सूचना से यह प्रकट नहीं होता कि पूर्वी सीमा पर भारत से पाकिस्तान को बकरे की खालों का बड़े पैमाने पर तस्कर-निर्यात हो रहा है। फिर भी, सीमा पर तैनात सीमाशुल्क कर्मचारियों तथा सीमा सुरक्षा दल को सतर्क कर दिया गया है।

Expenditure by Ministeries on Electricity and Telephones

8831. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 918 on the 16th November, 1967 and state :

(a) whether the information in regard to the amount spent by each of the Central Ministries by way of electricity and telephone charges during the period from August, 1967, to thel 6th November, 1967 has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir. Information has been collected for the period from August to end of October, 1967. The period from 1st to 16th November, 1967, has not been covered in view of the difficulty involved in obtaining information for fraction of a month, as the bills for the telephone and electricity charges are generally preferred on a quarterly or monthly basis.

(b) On the basis of the bills received and paid so far by the Ministries, the information, Ministry-wise, is given in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT-1079/68]** In regard to electricity and water charges paid for by the C.P.W.D. regarding Government buildings accommodating more than one Ministry/Department, information is not available separately for each Ministry and the consolidated amount is shown against the Department of Works and Housing in the statement.

M/s. Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain.

8832. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Directors of M/s. Ramlal Jawaharlal, a firm of Ujjain ;

(b) whether it is a fact that all the Directors of this firm are members of a joint Hindu Family ;

(c) the amount of the income-tax assessed in respect of these Directors during the last five years ;

(d) the amount of income-tax realised from them by Government during the last five years ; and

(e) the amount of income-tax yet to be realised from them and the reasons for which the income-tax could not be realised from them so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) M/s. Ramlal Jawaharlal of Ujjain is a Registered firm comprising of eight partners.

(b) All the partners of this firm are members of Joint Hindu family in respect of unpartitioned assets.

(c) The amount of income-tax assessed in respect of these partners for the assessment year 1962-63 to 1966-67 is given in the Annexure. **[Placed in Library. See No.L.T. 1080/68]**

(d) An amount of Rs. 1,32,815 was realised from the partners for the assessment 1962-63 to 1966-67,

(e) There are no arrears for the aforesaid assessment years. The question of furnishing of reasons for non-recovery does not therefore arise.

M/s. Ram Lal Jawahar Lal, Ujjain.

8833. Shri Hukam Chand Kachwai . Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax assessed on Messers Ramlal Jawaharlal, a firm of Ujjain, during the years 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 and 1966-67 ;

(b) the amount of Income-tax realised by Government from the said firm during the above period and the amount of income-tax yet to be realised from this firm ; and

(c) the reasons for which the arrears of income-tax could not be realised from the said firm and the action being taken by Government to realise the same ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The information is as under :—

Assessment years	Income-tax assessed
	Rs.
1962-63	4432
1963-64	4854
1964-65	5722
1965-66	5664
1966-67	1432
	22104

(a) The entire tax assessed, i. e. Rs. 22104/-has been realized and there are no arrears out of these demands.

(c) Does not arise.

लन्दन में सरकारी उपक्रमों के कार्यालय

8834. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा लन्दन में खोले गये कार्यालयों पर यनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है; और

(ख) लन्दन में ये कार्यालय किन कारणों से खोलने पड़े हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ख) विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा लन्दन में कार्यालय खोले जाने के मुख्य कारण सयंत्र और उपकरणों के परिवहन के लिए भाड़े पर जगह लेना, ठेके तय करना और उनकी प्रगति देखना, जहाजरानी, ब्रिटेन और पड़ौसी देशों आदि की पार्टियों से किये गये सहयोग करारों से सम्बन्धित ऋणों और उधारों के अन्तर्गत अदायगियां करना और तालमेल बैठाना है ।

कोयना भूकम्प

8835. श्री नीति राज सिंह चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के कोयना भूकम्प अध्ययन दल के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि कोयना भूकम्प का संभाव्य कारण जलाशय से पानी का रिसना था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कारण भूकम्प के लिए कितना जिम्मेदार है;

(ग) क्या उक्त समिति ने यह भी बताया है कि पठारीय भारत के पश्चिमी भाग को भौकम्पिक हलचलों से अप्रभावित नहीं समझा जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विशेषज्ञ समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर और दिसम्बर 1967 में आए भूकम्प के झटकों का कारण कोयला जलाशय से पानी का स्राव नहीं था।

(ग) जी, हां ।

(घ) विशेषज्ञ समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित है । इस क्षेत्र में नदी घाटी परियोजनाओं के अभिकल्प बनाने और निर्माण करने में सरकार समिति के विचारों को ध्यान में रखेगी ।

चिकित्सा स्नातक

8836. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्ष-वार देश में कुल कितने व्यक्तियों ने चिकित्सा स्नातक की उपाधि प्राप्त की;

(ख) वर्ष 1967 में कितने व्यक्तियों ने ऐसी उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1968 में कितने व्यक्तियों द्वारा ऐसी उपाधि प्राप्त किये जाने का अनुमान है;

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर आज तक प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों ने अलग-अलग यह उपाधि प्राप्त की; और

(घ) उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां दी गईं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय मे उप-मंत्री (ब० सू० मूर्ति) : (क) देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में चिकित्सा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है:—

प्रथम योजना

वर्ष	संख्या
1952	2164
1953	2299
1954	2582
1955	2743
1956	2782
	योग 12570

(ख) 1967 में चिकित्सा उपाधि प्राप्त की तथा 1968 में चिकित्सा उपाधि प्राप्त करने वाले स्नातकों की संख्या इस प्रकार है:—

1967	.....	7700 (लगभग)
1968	.....	8500 (लगभग)

(ग) और (घ) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

सरकारी उपक्रम

8837. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या वित्त मंत्री 14 दिसम्बर, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों की स्थापना के स्थान तथा अर्जित भूमि के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) यह सूचना कब तक उपलब्ध की जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) अतारांकित प्रश्न संख्या 4246 में जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 1967 को दिया गया था, पूछे गये विभिन्न ब्यौरे के सम्बन्ध में, सूचना सम्बद्ध उपक्रमों द्वारा इकट्ठी की जानी है। अब तक केवल 27 उपक्रमों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। शेष लगभग 50 उपक्रमों के बारे में सूचना जल्दी इकट्ठी की जा रही है। एकत्रित सूचना, जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दी जायगी।

अखिल भारतीय मद्यनिषेध सम्मेलन, मद्रास

8838. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में मद्रास में हुए अखिल भारतीय मद्यनिषेध सम्मेलन द्वारा पूर्ण मद्यनिषेध के बारे में पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) जी, हां।

सम्मेलन में पारित किये गये संकल्पों में समस्त देश में मद्यनिषेध करने पर बल दिया गया है।

मद्य निषेध राज्य विषय है और राज सरकारों को अधिकार है कि वे अपने द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन करें। भारत सरकार संविधान में दी गई नीति का पालन कर रही है।

पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी

8839. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के बिजली बोर्ड के नवीनतम प्राक्कलनों का अध्ययन किया है जिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में 1970-71 तक बिजली की भारी कमी का हिसाब लगाया गया है; और

(ख) इस राज्य में विद्युत जनन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में बिजली की सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए 1970-71 तक सन्तालडीह बिजली केन्द्र में 120–120 मैगावाट के उत्पादन यूनिटों के प्रतिष्ठापन के प्रबन्ध हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

फोटो तैयार करने के उपकरणों का आयात

8840 श्री रा० डो० भंडारे : स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन विभाग ने "उपहार" के आधार पर फोटो तैयार करने के उपकरणों के आयात के लिए कुछ विदेशी सम्भरण कर्त्ताओं के साथ करार किया है।

(ख) यदि हां, तो उन उपकरणों के आयात तथा उनकी देखभाल और मरम्मत के लिए समय-समय पर पुर्जों का आयात करने के सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि फोटो तैयार करने के आयातित उपकरणों के मानकों और नमन के समान मानक और नमूने वाले उपकरणों का निर्माण देश में भी किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो फोटो तैयार करने के उपकरणों के ऐसे निर्माताओं पर जो न केवल देश की आवश्यकता को ही पूरा कर रहे हैं अपितु उपकरणों का निर्यात बिटेन, श्रीलंका, नैपाल तथा अन्य देशों को भी कर रहे हैं; क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) फोटो तैयार करने के उपकरणों के आयात के लिए किसी भी विदेशी सम्भरण कर्त्ता के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में समुद्र तट पर मिट्टी का कटाव

8841. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में समुद्र तट को मिट्टी के कटाव से बचाने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर अभी कोई गम्भीर कटाव की समस्या नहीं है और अब तक राज्य सरकार ने कोई कटाव निरोध स्कीम चालू नहीं की । किन्तु परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय ने बताया है कि प्रदीप बन्दरगाह पर जल तोड़क के निर्माण के कारण समुद्र तट को जो जल तोड़क के उत्तर में, दक्षिण से उत्तर को जाने वाले तटवर्ती बहाव से उपलब्ध कुदरती खुराक मिलनी बन्द हो गई है । सलाहकारों के अनुसार यह कमी दक्षिणी जल तोड़क के दक्षिण में इकट्ठी हुई रेत को पम्प करने से तथा बन्दरगाह की पहुंच नाली से निकाली गई गाद से पूरी होनी है । किन्तु आवश्यक ड्रेजर तथा सैंड पम्प को प्राप्त करने में विलम्ब होने के कारण पम्पिंग का कार्य समय पर आरम्भ नहीं किया जा सका । फलस्वरूप उत्तरी समुद्र तट पर गम्भीर कटाव शुरू हो गया है । इस कटाव को रोकने के लिए तत्कालिक उपाय के रूप में 49 लाख की अनुमति लागत पर एक समुद्री दीवार तथा ठोकर का निर्माण मंजूर कर दिया गया है । बंदरगाह के लिए मंगाया

गया ड्रेजर आ चुका है और वह तथा लघु पतन संगठन से हस्तान्तरित दूसरा ड्रेजर बंदरगाह पर काम कर रहा है। सैंड पम्प के जून, 1968 तक आ जाने की संभावना है।

उड़ीसा में स्कूल न जाने वाले बच्चों का पोषाहार

8842. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने उडीसा में स्कूल न जाने वाले बच्चों के पोषाहार के बारे में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा में ऐसे बच्चों के पोषाहार के बारे में किए गए सर्वेक्षण की उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) से (ग) : ये सर्वेक्षण जन्म से 21 वर्ष तक की आयु के स्वस्थ्य दिखाई देने वाले बच्चों की वृद्धि तथा विकास तक ही सीमित रखे गए थे। कुपोषण के मामले में इस में सम्मिलित नहीं किए गए थे।

उड़ीसा के गांवों में बिजली की व्यवस्था

8843. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में मार्च, 1967 तक कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की गई ; और

(ख) क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम कितना पिछड़ गया था ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : उड़ीसा में 1967-68 के दौरान 100 ग्रामों में बिजली लगाने के लक्ष्य के प्रति 126 ग्रामों को बिजली दी गई थी। उड़ीसा में मार्च, 1968 तक कुल 747 ग्रामों को बिजली दी गई थी।

उड़ीसा स्थित हीराकुंड तथा हाचकुंड में भू-संरक्षण

8844. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में उड़ीसा में हीराकुंड तथा हाचकुंड में भू-संरक्षण के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के बारे में कोई कार्य आरम्भ किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा उपयोग की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में 1967-68 में किन कार्यक्रमों को पूरा किया गया तथा 1968-69 में किन को पूरा किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : नदी घाटी परियोजनाओं के वाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यों के लिए खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को तीसरी योजना से दौरान उड़ीसा राज्य क्षेत्र में पड़ने वाले हीराकुंड और मचकुंड परियोजनाओं के वाहक्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्यो के लिये पहले 83 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। राज्य सरकार ने इस अवधि में 139.81 लाख रुपये का खर्च किया।

(ग) 1967-68 के दौरान खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने ऊपरी कार्यों के लिए राजस्थान सरकार को 25 लाख रुपये अलाट किए थे। राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार 26.95 लाख रुपये के खर्च होने की सम्भावना है और इस वर्ष के दौरान 5626 हेक० भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव था।

उपर्युक्त कार्यों के लिए 1968-69 के दौरान 23 लाख रुपये अलाट किए गये हैं। इस वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यो के विस्तृत कार्यक्रम की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण के लिए ऋण

8845. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये मंजूर किये गये 39 करोड़ रुपये के कुल केन्द्रीय ऋण में से 1966-67 में उड़ीसा को कितना ऋण मंजूर किया गया ; और

(ख) उस अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1966-67 के दौरान उड़ीसा सरकार को ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के लिए 110 लाख रुपये केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दिये गये थे।

(ख) उड़ीसा में 1966-67 के दौरान 87 गांवों को बिजली दी गई और 59 पम्प नलकूप ऊर्जित किए गए।

कलकत्ता में सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे प्लांट

8846. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भगवान दास :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन** तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में सरकारी अस्पतालों में इस समय कितने एक्स-रे प्लांट हैं ?

(ख) उनमें से प्रति मास औसतन कितने एक्स-रे प्लांट खराब रहते है ; और

(ग) नेशनल मैडिकल कालेज के तीन एक्स-रे प्लांटों में से कितने एक्सरे प्लांट खराब हैं और कब से ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब०सू०मूर्ति):

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा - पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिमी बंगाल में पुलिस थानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का नगरीय विकास

8847. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-62 से 31-3-67 तक (1) सोनारपुर (2) वर्मपुर (3) डायमंड हार्बर (4) फालटा (5) विरामपुर (6) बज-बज पुलिस थानों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में क्या नगरीय विकास कार्य आरम्भ किये गये ;

(ख) कितने मील लम्बी पक्की सड़क गांवों में बनाई गई ;

(ग) कितने स्वास्थ्य केन्द्रों तथा डिस्पेंसरियों में कर्मचारी नियुक्त किये गये ; और

(घ) कितने स्कूल खोले गये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री(श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में पीने के पानी के नलकूप

8848 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सरकार तथा अन्य निकायों द्वारा खोदे गये पीने के पानी के कितने नलकूप हैं ;

(ख) इनमें से कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

(घ) सरकार तथा अन्य सरकारी निकायों द्वारा खोदे गये कितने नलकूप थाना सोनार-पुर, बामपुर, डायमंड हार्बर, फाल्लटा भीष्मपुर और बज बज में हैं; और

(ङ) इनमें से कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान

8849. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री भगवानदास :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकारी रिहायशी मकान दिए गये है; और

(ग) चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को उनके कार्य स्थल के आसपास उपयुक्त रिहायशी मकान देने के लिए, विशेषकर उनको, जिन्हें कुछ दिन पूर्व उनके स्थानों से हटाया गया था, सरकार का क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन

8850. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन एक नियंत्रित संस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन की यातायत नियमावली ब्रिटेन की सरकार द्वारा स्वीकृत है; और

(ग) यदि हां, तो ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन की सहायता से भारत होकर तथा भारत में होने वाले तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बी० ओ० ए० सी० संयुक्त राज्य की पार्लियामेंट के अधिनियम के अधीन 1940 में बनाई गई सरकारी निगम है ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) किसी भी जरिये से होने वाले तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं ।

Irrigation Facilities for Garhwal Villages in Uttar Pradesh

8851. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the arrangements being made for irrigation of 475 bighas of land belonging to 16 families of the Village Durgapur, Kotdwara, District Garhwal (Uttar Pradesh), which is lying waste as a result of suspension of irrigation facilities ;

(b) the reasons for suspending the supply of water for irrigation from Distributary No. 5 which is nearest to the village ; and

(c) the action proposed to be taken by Government on the demand of these families for providing water from Distributary No, 5 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मेसर्स साराभाई मर्क (बड़ौदा) की विटामिन सी संयंत्र

8852. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा की मैसर्स साराभाई मर्क की विटामिन 'सी' के संयंत्र की मासिक उत्पादन क्षमता 5 टन से बढ़ाकर 10 टन कर दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस कम्पनी ने क्षमता को दोगुना करने के लिये कब आवेदन पत्र दिया था और इसका औचित्य सिद्ध करने के लिये क्या आधार बताये गये थे।

(ग) क्या संयंत्र की क्षमता दोगुनी करने के लिए मशीनों तथा अन्य उपकरणों की उपलब्धता के बारे में पता लगाया गया था ;

(घ) यदि हां, तो कब तथा निष्कर्ष क्या थे ; और

(ङ) क्षमता को दोगुना करने के लिए इस कम्पनी को कब अनुमति दी गई ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 1965 में मेसर्स साराभाई मर्क (बड़ौदा) लिमिटेड से प्रति वर्ष 60 मीटरी टन से 90 मीटरी टन तक विटामिन 'सी' की उत्पादन क्षमता का नियमन कराने के लिए एक प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था क्योंकि वे 7 से 7.5 टन प्रति मास की दर से उत्पादन कर रहे थे। बाद में मार्च, 1966 में उक्त फर्म ने बताया कि वे प्रति वर्ष 120 मीटरी टन उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) फर्म ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा था कि उच्चतर उत्पादन के लिए कोई अतिरिक्त मुख्य उपकरण नहीं लगाया गया था तथा प्रक्रिया (प्रोसेस) में सुधारों एवं संशोधनों एव देशीय संसाधनों से संन्तुलन उपकरणों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप वे उच्चतर उत्पादन को उपलब्ध कर सके थे।

(ङ) 14 दिसम्बर, 1966 को प्रतिवर्ष 90 मीटरी टन के विस्तार के लिए एक लाइसेंस संख्या एल/22/319/-66 कमी जारी किया गया था। इसके बाद मार्च, 1967 में प्रति वर्ष 120 मीटरी टन तक क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइसेन्स का संशोधन किया गया था।

महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये छात्रवृत्तियां

8853. श्री कार्तिक ओराओं : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों को छात्र-वृतियों देने के सम्बन्ध में एक पूर्वापेक्षित शर्त लगाई है कि इन जातियों के किसी सदस्य को सरकार से छात्रवृति मिलना, उसी हालत में संभव है जब कि उसके तीन से अधिक बच्चे न हों ;

(ख) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के मामले में भी ऐसी ही शर्तें लगाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के भाग के रूप में यह निर्णय किया हैं कि विभिन्न शिक्षा रियायतें, जैसे कि फ्रीशिप्स, मुफ्त पुस्तकें प्रदान करना, पुस्तक-अनुदान तथा सभी छात्र-वृतियां (योग्यता छात्रवृतियों को छोड़कर) उन्हें न दी जायें जो अपने परिवारों में जीवित बच्चों की संख्या तीन तक सीमित नहीं रखते अथवा यदि उनके पहले ही तीन से अधिक बच्चे हैं, तो उनकी वर्तमान संख्या बनाये नहीं रखते। यह निर्णय सभी व्यक्तियों पर, जिनमें राजनीतिक पीड़ित, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां शामिल हैं, 15 अगस्त, 1968 से समान

रूप से लागू होगा। उन बच्चों पर, जो इन रियायतों के लिए उस तारीख को अथवा उससे पूर्व पात्र हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवार नियोजन राज्य विषय है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

8854. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल इन्जीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त एक ओवरसीयर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून के सदस्य के पद तक पहुंच गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन विशेष योग्यताओं के आधार पर ; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति से पहले वे किसी स्थायी पद पर थे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) एक अफसर जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा कई अन्य उच्चतर अर्हताएं हैं, इस समय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का एक सदस्य है।

(ख) कई क्षेत्रों में दीर्घ एवं अनेक अनुभवों के कारण जिनमें सरकारी क्षेत्र के तेल प्रभाग में प्रवर पदों पर 8 या 9 वर्षों का कार्य शामिल है।

(ग) इंजीनियरिंग का प्रधान।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये सिंचाई नीति

8855. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई की सुविधाओं के सम्बन्ध में विद्यमान क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये कोई सिंचाई नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मार्गदर्शक बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): सिंचित क्षेत्र की वृद्धि की दर विशेषतया वर्षा के रवैये, उपयोग में लाने योग्य जल संसाधनों की उपलब्धता, सिंचाई क्षेत्र के लिये राज्य को पर्याप्त धन व्यय करने की क्षमता तथा सिंचाई परियोजनाओं की आर्थिक सम्भाव्यता पर निर्भर है। फिर भी विभिन्न योजनाओं में सिंचाई स्कीमों के लिये धन व्यवस्था करते समय क्षेत्रीय विषमताओं को यथा सम्भव कम करने की आवश्यकता पर ध्यान रखा जाता है। इस विषय पर प्रस्तावित अखिल भारतीय सिंचाई आयोग भी विचार करेगा।

अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण

8856. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण कार्यों पर वर्ष 1947 से 1967-68 तक कुल कितना व्यय किया गया ;

(ख) मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों पर कितना व्यय किया गया ;

(ग) मैट्रिक से पूर्व अध्ययन की छात्रवृत्तियों पर कितना व्यय किया गया ;

(घ) सरकारी संस्थाओं पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ङ) स्वयंसेवी संगठनों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) अनुसूचित आदिम जातियों को इस रूप में संविधान के लागू होने के बाद से ही मान्यता प्राप्त हुई है। पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं के दौरान खर्च लगभग 110 करोड़ रुपये था। समाज कल्याण विभाग की वर्ष 1967-68 की रिपोर्ट के भाग 2 के अध्याय 2 में वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के बारे में आंकड़े दिए गए हैं।

(ख) 1951-1967 की कालावधि में अनुसूचित आदिम जातियों पर 498 लाख रुपया खर्च हुआ।

(ग) 1956 से 1966 तक की कालावधि में अनुसूचित आदिम जातियों पर 522 लाख रुपया खर्च हुआ।

(घ) ऐसा खर्च साधारण तथा योजनाओं पर प्रभारी नहीं होता है। तो भी, औसतन यह कुल विकासात्मक खर्च का लगभग 7% होता है।

(ङ) पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये काम करने वाली अखिल भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं को 1953-1968 के वर्षों में 239 लाख रुपये की अनुदानें मंजूर की गई हैं।

स्टेट बैंक की सहायक बैंकों में अधिकारी

8857. श्री गडिलिंगन गौड : श्री रा० कि० अमीन :

श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सहायक बैंकों के अखिल भारतीय अधिकारी संघ ने हाल में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सहायक बैंकों में अधिकारियों को लिपिकों की उपलब्धियों से भी कम वेतन मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिये भारत सरकार का यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहायक बैंकों के अखिल भारतीय अधिकारी संघ ने पर्यवेक्षक कर्मचारियों में से कुछ ऐसे कर्मचारियों का समायोजन-भत्ता देने के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सम्मुख मार्च 1968 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिनकी कुछ वर्तमान उपलब्धियां, लिपिकों, खजांचियों के रूप में उनके काम करते रहने पर उनकी जो उपलब्धियां होतीं, उनसे कम हैं।

(ग) इस विषमता को दूर करने का प्रश्न स्टेट बैंक आफ इण्डिया के ध्यान में है।

दिल्ली में फीलपांव रोग का फैलना

8858. श्री मुतुस्वामी :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री रा० कि० अमीन :
श्री तेनेटि विश्वनाथम :

क्या **स्वास्थ्य; परिवार नियोजन, तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में फीलपांव का रोग बहुत अधिक फैल गया है, जैसाकि 12 अप्रैल, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस महामारी पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख) इस का कोई प्रमाण नहीं है कि फीलपांव का रोग दिल्ली में काफी बढ़ गया है । वैसे माइक्रो-फाइलेरिया संक्रमण के कुछ मामले सामने आये हैं । कुछ क्युलैक्स मच्छर भी संक्रमित पाये गए हैं । आवश्यक मच्छर-निरोधी उपाय बढ़ते जा रहे हैं ।

सरकारी उपक्रम

8859. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **वित्त** मन्त्री 19 फरवरी 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के नियमों के बारे में इस बीच सूचना एकत्र कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा अब तक ये नियम न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) अब तक 04 उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की गयी है जिनकी सूची अनुबन्ध में दी गयी है : **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1081/68]** क्रम-संख्या 1 से 14 तक दिये गये उपक्रमों के मामलों में सेवा-सम्बन्धी शर्तों, वेतनमानों, भर्ती, पदोन्नति सम्बन्धी नीतियों आदि के नियमों की मंजूरी सरकार से लेनी आवश्यक है, क्रम-संख्या 7 से 10 तक दिये गये उपक्रमों के सम्बन्ध में केवल कुछ बातों में मंजूरी लेनी पड़ती है । जहाँ क्रम-संख्या 1 से 9 तक के उपक्रमों ने जहाँ आवश्यक है, सरकार से अपने नियमों की मंजूरी ले ली है, वहाँ क्रम-संख्या 10 से 14 तक के उपक्रमों को अभी यह मंजूरी लेनी है । क्रम-संख्या 15 से 40 तक दिये गये 26 उपक्रमों में से जो स्वयं अपने नियम बनाने के लिये सक्षम हैं, क्रम-संख्या 15 से 25 तक दिये गये 11 उपक्रमों ने सम्बद्ध नियम बना लिये हैं । अन्य उपक्रमों के मामले में नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने का काम विभिन्न दौरों में है ।

बाकी उपक्रमों के सम्बन्ध में भी सूचना इकट्ठी की जा रही है और, जितनी जल्दी सम्भव होगा, उसे सभा की मेज़ पर रख दिया जायगा ।

होम्योपैथिक चिकित्सक

8860. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथी एसोसियेशन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि निजी अध्ययन से अर्हताप्राप्त पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सकों को शिक्षण संस्थाओं से अर्हता प्राप्त होम्योपैथिक चिकित्सकों के समान अधिकार दिये जाने चाहिये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) होम्योपैथिक एसोसियेशन, दिल्ली ने अपनी कार्यकारिणी समिति का एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया है कि :

"केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह प्रस्तावित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की केन्द्रीय परिषद् के अन्तर्गत प्राइवेट तौर पर डी. एच. एस. दिल्ली की योग्यता प्राप्त रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति, पंजीकरण, प्रतिनिधित्व और स्वतन्त्र चिकित्सा कार्य करने के उन सभी अधिकारों की गारण्टी दे जो संस्थाओं से अर्हता प्राप्त होम्योपैथों को मिले हुए हैं।

(ख) होम्योपैथी समेत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की एक केन्द्रीय परिषद् बनाने के विधान का ब्यौरा अभी विचाराधीन है।

Price of Opium

8861. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 10 per cent of the cost price of opium is deducted at many places in Rajasthan and that amount is returned after checking the opium;

(b) if so, the reasons for deducting 20 per cent at present;

(c) wheher it is also a fact that the extra amount of ten per cent which has been decided to be deducted is neither returned nor a receipt is given therefor;

(d) if so, the reasons for charging extra ten per cent,

(e) whether it is further a fact that there is great dissatisfaction among the farmers because of non-payment of such amounts; and

(f) if so, the action taken in this regard?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) 10 per cent of the cost price of opium is deducted from all cultivators and this amount is adjusted at the time of final payment after the opium has been checked.

(b) Another 10 per cent of the price is being deducted this year and kept in supense account pending final decision on the question of payment of purchase tax to the Rajasthan State Government. This amount will be returned to the cultivators in case it is held that the purchase tax is not legally payable. Acquittance of the cultivator is taken only for the amount actually paid. No separate receipt is given for the amount deducted, but an account of such deductions is kept in the relevant records.

(e) and (f) The Government have received a few representations in this regard and the matter is being examined.

जापान द्वारा ऋण

8862. श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1958 से जापान ने भारत को कितना ऋण दिया तथा यह ऋण किन किन परियोजनाओं के लिये था,

(ख) क्या जापान सरकार द्वारा दिये गये ऋण का सरकार ने पूरा-पूरा उपयोग कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो कितने ऋण का उपभोग नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं, और

(घ) जापान सरकार द्वारा दिये गये ऋण का उपयोग न करने के कारण सरकार को कितनी हानि हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जापान की सरकार ने 1958 से कुल मिलाकर 4270 लाख डालर के बराबर की रकम के ऋण दिये हैं। इस ऋण के अन्तर्गत वित्त-पोषित प्रायोजनाओं का एक विवरण, सभा की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1082/68]**

(ख) और (ग) येन ऋणों की एक आखिरी तारीख है जिस तारीख तक भुगतान पूरा किया जाना है। जबकि पहले और दूसरे येन ऋण पूरी तरह इस्तेमाल कर लिये गये हैं, तीसरे येन ऋण की लगभग 70 लाख डालर के बराबर की रकम इस्तेमाल नहीं की गई है, क्योंकि इस रकम के वैकल्पिक उपयोग के लिये जो प्रस्ताव किए गए थे उनके लिए जापान सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। जहाँ तक अन्य ऋणों का सम्बन्ध है, उसके इस्तेमाल का काम आगे बढ रहा है और भुगतान की आखिरी तारीख अभी तक नहीं आई है।

(घ) कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि ऋण के इस्तेमाल में जितनी कमी होती है ऋण की रकम भी उतनी ही कम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज-प्रभारों समेत, शोधन-सम्बन्धी दायित्व में उतनी ही कमी अपने आप हो जाती है। योजनाओं की सूची दी गई है। येन ऋणों से, विभिन्न संयंत्रों और उपकरणों के आयात, भारत-जापानी संयुक्त उपक्रमों तथा राष्ट्री लघु उद्योग निगम आदि की मारफत आयात की जाने वाली छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यक सामग्री के लिए वित्त-पोषण की व्यवस्था की जाती है। 1966-67 और 1967-68 के लिए दिये गए ऋणों से रासायनिक-खाद कच्चे माल की आवश्यकताओं तथा ऋणों की वापसी के कार्यक्रम के पुनः निर्धारण सम्बन्धी खर्च जैसी आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था की जाती है।

उर्वरक निगम के लिए विदेशी परामर्शदाता

8864 श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को बिक्री के बारे में परामर्श

देने के लिये विदेशी परामर्शदाताओं की सेवा प्राप्त की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस देश में उर्वरकों की स्थानीय मांग उसकी सप्लाई से कई गुना अधिक है और यदि हाँ, तो उनकी सेवा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता थी ; और

(ग) उन पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ। भारतीय उर्वरक निगम के लिए अमरीकी सहायता (यू. एस. ऐड.) से दो वर्ष की अवधि के लिए एक विदेशी विक्री परामर्शता की सेवाएं प्राप्त की गई हैं।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार, उक्त उर्वरक निगम को, जो पहले अपने उत्पादों को केन्द्रीय निकाय (सैण्ट्रल पूल) को सौंपा करता था, कहा गया है कि वह 1-10-1967 से 50 प्रतिशत से शुरू करके, अपने सारे उत्पादों को उत्तरोत्तर बिक्री के लिए अपनी व्यवस्था करे। विदेशी परामर्शदाता ने निगम के लिए एक सही विक्रय संगठन की स्थापना तथा उर्वरक वितरण एवं तत्सम्बन्धी उन्नत कार्यों के नवीनतम तरीकों के बारे में सलाह देना है।

(ग) निगम ने परिवहन प्रभार के बदले में अमरीकी सहायता अधिकारियों को 25 रुपये प्रति दिन की दर से देना है। इसके अतिरिक्त कई दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है जैसे कार्यालय स्थल, कार्यालय साज-सामान एवं सप्लाइज़, सचिवालय सम्बन्धी सेवाओं और तकनीकी सहायता आदि की जब कभी आवश्यकता हो तथा परिवहन एवं यूनिटों / प्रभागों आदि पर आवश्यकता अनुसार दूसरी सहूलतें। परामर्शदाता के लिए निगम के खर्चे पर कोई निवास स्थान व्यवस्थित नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कानूनों के अन्तर्गत सामान की जब्ती

8865. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कानूनों के अन्तर्गत जब्त की गई वस्तुएं प्रति वर्ष कितनी मात्रा में जमा हो गई थी ;

(ख) इस प्रकार की जो वस्तुएं नहीं बेची गई हैं वह क्या क्या हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सिंचाई परियोजनाओं के 'कौमान एरिया' में खेती के अन्तर्गत क्षेत्र

8866. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा, नगल, हीराकुण्ड, नागार्जुनसागर, तुंगभद्रा तथा राजस्थान नहर परियोजनाओं में से प्रत्येक के वर्तमान कमान क्षेत्रों में कुल काश्तयोग्य क्षेत्र कितना है और वास्तव में कितने क्षेत्र में खेती की गई है ; और

(ख) आगामी 10 वर्षों में कितने क्षेत्र में खेती किये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : इन परियोजनाओं का कृषि कमानगत क्षेत्र, मार्च, 1968 तक सिंचित क्षेत्र और इन से होने वाले कुल सिंचाई फायदे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी. 1083/86**]

रामकृष्णपुरम, दिल्ली में क्वाटरों का आवंटन

8867 श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के क्वार्टरों को बिजली के बिना ही आवंटित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है तथा उनमें बिजली तथा अन्य आवश्यक सुविधायें कब तक उपलब्ध कर दी जायेंगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : सैक्टर XII, रामकृष्णपुरम में 628 क्वार्टरों में से 228 क्वार्टर तैयार हो चुके हैं तथा पात्र सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किये जा रहे हैं। लगभग छः महीने की अवधि में बिजली की सप्लाई की जाने की सम्भावना है। आवंटन के पूर्व क्वार्टरों के साथ-साथ सभी सेवायें, सिवाय बिजली तथा सड़कों पर कोलतार के, पूर्ण हो जायेंगी। बिजली का कार्य पूरा हो जाने के बाद सड़कों पर कौलतार डाला जायेगा। इस सैक्टर में बाज़ार लगभग तैयार है तथा क्वार्टरों के अन्तिम समूह के साथ वह सम्भवतः आवंटन के लिये तैयार हो जायेगा।

अन्दमान द्वीपसमूह में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर

8868. श्री गणेश, क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में अन्दमान के डाक्टर अन्दमान विशेष वेतन के हकदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारी, जिनकी भरती प्रधान स्थल में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त करने के लिए की जाती है तथा अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन में समय-समय पर जिनकी नियुक्ति की जाती है वे निम्नलिखित विशिष्ट वेतन पाने के हकदार हैं :—

(I) जिनकी नियुक्ति दक्षिण अण्डमान (पोर्ट ब्लेयर सहित) में की जाती है।

अण्डमान विशिष्ट वेतन-बेसिक के 25 प्रतिशत के हिसाब से, जो 350 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो।

(II) जिनकी नियुक्ति उत्तर-मध्य अण्डमान में की जाती है।

अण्डमान विशिष्ट वेतन बैसिक वेतन के 30 प्रतिशत के हिसाब से, जो 400 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो।

(III) **जिनकी नियुक्ति निकोबार द्वीप समूह । छोटा अण्डमान में की जाती है ।** अण्डमान विशिष्ट वेतन 33⅓ प्रतिशत के हिसाब से, जो 400 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो । स्थानीय रूप से भर्ती किये गए कर्मचारियों को जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य हों, विशिष्ट वेतन देने सम्बन्धी विचाराधीन है ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में की गई विभागीय जांच

8869. श्री एस० एम० जोशी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में इस समय केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों, 1965 के नियय 14 के अन्तर्गत कितनी बड़ी विभागीय जांच की जा रही हैं ;

(ख) 1962 से पहले ऐसे कितने मामलों में जांच शुरू की गई थी जिनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाए गए हैं ;

(ग) कितने मामलों में नये सिरे से जांच का आदेश दिया गया है और पिछली जांच को रद्द कर दिया गया है और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ;

(घ) कितने मामलों में एक से अधिक बार नये सिरे से जांच का आदेश दिया गया है ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित नये सिरे से की गई प्रत्येक जांच पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कितना व्यय किया गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाय ी ।

परिवार नियोजन के लिये जड़ी बूटियां

8870. श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1968 के "हिंदुस्तान टाइम्स," में प्रकाशित आसाम के एक चिकित्सा विशेषज्ञ के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि आसाम के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं जड़ी बूटियों का रस पीने के बाद बांझ हो जाती हैं और उसके कोई दुष्परिणाम भी नहीं होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन के लिए इसे प्रयोग में लाने का है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) इस औषध का नमूना और इसके प्रयोग करने के तरीके सम्बन्धी सूचना मांगी गई है । भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वावधान में इसकी प्रभावात्मकता और हानि से सम्बन्धित आवश्यक जांच-पड़ताल होने के बाद परिवार नियोजन के लिए इस औषध के प्रयोग के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

Complaints of Nurses of Irwin Hospital, New Delhi

8871. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of complaints lodged by the Nurses of Irwin Hospital, New Delhi against the authorities of the Hospital during the last two years and also the Number of the complaints; and

(b) the nature of the above complaints and the action taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Kalada Rajwaha Sadullapur Minor (Bulandshahr)

8872. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the residents of Sadullapur, Thana Dadri (Bulandshahr) have sent several applications in respect of distributary No.24 on Kalada Rajwaha Sadullapur Minor to the State Government and the Executive Engineer, Ganga Canal Department, Bulandshahr;

(b) If so, the details regarding the decision taken on their applications; and

(c) the time likely to be taken for removing the difficulties mentioned in the aforesaid applications ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad)

(a) Yes, Sir. A few applications have been received by the State Government.

(b) It is understood that orders have been issued for checking the outlet pipe.

(c) Within about a fortnight.

कालाकोट ताप बिजली परियोजना

8873. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में कालाकोट परियोजना के लिए कितनी सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए पांच, पांच मैगावट क्षमता वाले चार यूनिटों की सप्लाई के लिए और डिजायन तैयार करने और स्थल पर कार्य की देखभाल करने के लिए यूगोस्लाविया की एक संस्था के साथ 1967 में एक करार किया गया था;

(ग) क्या बाद में सप्लाई करने वाली फर्म की कठिनाई के कारण यूनिट के विशिष्ट विवरणों के स्तर को कम कर दिया गया था किन्तु उसके अनुसार करार की शर्तों में संशोधन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी;

(घ) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि उसके अनुसार करार की शर्तों में संशोधन क्यों नहीं किया गया; और

(ङ) इस मामले में सरकार को वस्तुत: कितनी हानि उठानी पड़ी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जम्मू और काश्मीर की 1968-69 की पूरी वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कालाकोट परियोजना के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहायता भी दे रहा है।

(ख) और (ग) कालाकोट परियोजना के लिए संयंत्र तथा साजसामान के संभरण, डिजाइन तथा देखभाल के सम्बन्ध में मूल करार पर सितम्बर, 1962 में हस्ताक्षर हुए थे। इसके अनुसार संयंत्र तथा साजसामान (5-5 मैगावाट के चार यूनिट यानी 20 मैगावाट) के लिए 156.64 लाख रुपये (जहाज तक मुफ्त) और डिजाईन और देखभाल के लिए 12.32 लाख रुपये देने थे। करार को मार्च 1966 में बदल दिया गया। इसके अनुसार संयंत्र और साजसामान (7.5 मैगावाट के तीन यूनिट यानी कुल 22.5 मैगावाट) के लिए 149.68 लाख रुपये (जहाज तक मुफ्त) और डिजाईन तथा देखभाल के लिए 12.32 लाख रुपये देने हैं।

(घ) और (ङ) सरकार को हानि नहीं हुई है और इसलिए जांच का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सर्राफा बाजार में चोरी छिपे लाये गये चांदी के चीनी सिक्के

8874. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में चोरी छिपे लाये गये चांदी के चीनी सिक्के हाल में बहुत बड़ी मात्रा में आ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये सिक्के चीन में वैध मुद्रा नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये सिक्के चीन समर्थक लोगों के लिए भारत में चोरी-छिपे लाये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिक्कों के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चीन के चांदी के थोड़े बहुत सिक्के मौके बेमौके भारत में पहुंचते रहते हैं और यह सम्भव है कि इन में से कुछ सिक्के दिल्ली के सर्राफा बाजार में पहुंच गये हों। किन्तु ऐसा नही लगता है कि दिल्ली के सर्राफा बाजार में ऐसे सिक्के बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारत में आने वाले ये चीनी सिक्के चीन में कानूनन प्रचलित मुद्रा है अथवा नहीं।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं हैं।

(घ) विभिन्न स्थानों पर तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षक

8875. श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के वरिष्ठ श्रेणी के निरीक्षकों के पद को केन्द्रीय उत्पादन विभाग में सामान्य श्रेणी के निरीक्षक

के पद की अपेक्षा कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्यों की दृष्टि से अधिक महवत्पूर्ण तथा उच्च पद घोषित किया गया है, और इस श्रेणी के पदों पर पदोन्नति सामान्य श्रेणी क निरीक्षकों में से की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ श्रेणी के निरीक्षकों के पदों के लिए विशिष्ट काम या ऐसे कर्त्तव्य निर्धारित न किये जाने तथा उन्हें एम० ओ० आर० एस० तथा ऐसे ही अन्य गौण तथा कम महत्व के स्थानों पर सैक्शन अफसरों के रूप में रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक जिम्मेदारी तथा महत्व वाले कामों के कार्यभार को संभालने जैसा कि (1) एकाकी क्षेत्रों (2) स्वतन्त्र निरी निरोधक एककों तथा (3) स्वर्ण नियंत्रण नियमों को लागू करने से सम्बन्धित पदों पर तैनात करते समय वरिष्ठ श्रेणी के निरीक्षकों तथा समान्य श्रेणी के निरीक्षकों में कोई अन्तर क्यों नहीं रखा जाता ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हा, मूल नियम 22 के साथ पठित मूल नियम 30 के अधीन वेतन निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए ।

(ख) और (ग) ये सवाल नहीं उठते । इस पर भी, ऐसे आदेश विद्यमान हैं कि जहां तक सम्भव हो वरिष्ठ ग्रेड निरीक्षकों को स्थल सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण एककों में तैनात किया जाय ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में निरीक्षक

8876 श्री हरदयाल देवगुण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा उत्तरप्रदेश राज्यों में काम कर रहे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निरीक्षकों को पदोन्नत नहीं किया गया है यद्यपि उन्होंने 23 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है परन्तु अन्य राज्यों में कम सेवाकाल वाले निरीक्षकों को श्रेणी 2 के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है जबकि ये सभी कर्मचारी उनके मन्त्रालय के अधीन काम करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का है तथा इन पदाधिकारियों के लिये पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने का है ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के मद्रास तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में काम कर रहे कुछ ऐसे निरीक्षक हैं, जिन्हें सेवा करते 23 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक तरक्की नहीं मिली है । केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों की भर्ती, तरक्की तथा मुस्तकिली समाहर्ता के कर्यालय-वार होती है और सामान्यत: उनकी सेवायें एक समाहर्ता के कार्यक्षेत्र से दूसरे समाहर्ता के कार्यक्षेत्र में स्थानान्तरण योग्य नहीं होती है । इसलिये तरक्की के मौके प्रत्येक समाहर्ता के कार्यक्षेत्र में अलग अलग होते हैं । इसीलिए, कुछ समाहर्ता कार्यालयों के अधीन काम कर रहे कुछ निरीक्षकों को अपेक्षाकृत कम सेवा-काल के बाद श्रेणी II के पदों पर तरक्की मिल गई है।

(ख) काम की मात्रा तथा स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तरक्की के वाजिब मौके देने के उपायों पर सरकार विचार करती ही रहती है ।

बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष

8877. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ इण्डिया ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1965 की धारा 35 के अन्तर्गत बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ने उस समय महा प्रबन्धक का सेवाकाल 5 वर्ष बढ़ान के लिए आवेदन-पत्र दिया था,

(ख) क्या रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों, जैसे विनिमय नियन्त्रण विभाग, बैंकिंग गति विधि विभाग, निरीक्षण विभाग, विधि विभाग आदि ने इस पर आपत्ति की थी,

(ग) यदि हाँ, तो इस आपत्ति के आधार क्या थे,

(घ) इन आपत्तियों के विरुद्ध निर्णय देने तथा अन्त में सेवाकाल बढ़ाने के क्या कारण थे, और

(ङ) क्या यह सच है कि सेवा काल बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा अन्य अधिकारियों पर दबाव डाला गया था ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बैंक आफ इन्डिया ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ख के अन्तर्गत 15 फरवरी 1965 को बैंक के महाप्रबन्धक को 12 मई, 1965 से 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त करने के लिए आवेदन पत्र दिया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यह सवाल पैदा ही नही होता।

(ङ) जी, नहीं।

बैंक आफ इण्डिया द्वारा बैंकिंग से भिन्न आस्तियों का अर्जन

8878. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों (अनुसूचित) बैंकिंग से भिन्न बहुत अधिक आस्तियां अर्जित करने की अनुमति देने की रिजर्व बैंक की प्रथा नहीं है और क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू होने के सात वर्ष की अवधि में पुरानी आस्तियों को निपटाना आवश्यक था,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि बैंक आफ इण्डिया ने, अहमदाबाद में बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कालेज कैम्पस स्थापित करने के लिए अहमदाबाद में लगभग 50,000 वर्गगज क्षेत्रफल तक की भूमि खरीदने के लिए हाल में रिजर्व बैंक से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर लिया है,

(ग) क्या रिजर्व बैंक इस सारी भूमि को, जो लगभग 10 एकड़ है, बैंकिंग आस्ति मान सकता है अथवा मानता है,

(घ) बैंक द्वारा यह भूमि किस दर पर खरीदी जायेगी, और

(ङ) इस प्रकार की भूमि के बाजार में वर्तमान मूल्य की तुलना में यह कितनी कम अथवा अधिक है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, की धारा 9 के अन्तर्गत किसी भी बैंकिंग कम्पनी को उतनी ही अचल सम्पत्ति रखने की इजाजत है जितनी उसके अपने इस्तैमाल के लिए आवश्यक हो, चाहे वह सम्पत्ति ज्यादा हो या कम। बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपनी उस गैर-बैंकिंग सम्पत्तियों का भी निपटारा करें, जो उसकी प्राप्ति की तारीख से या अधिनियम के लागू किये जाने की तारीख (16 मार्च, 1949) से जो भी बाद की तारीख हो, ज्यादा से ज्यादा सात वर्ष की अवधि के अन्दर उनके अपने इस्तैमाल के लिए आवश्यक न हुई हों।

(ख) रिजर्व बैंक ने, बैंक आफ इण्डिया के नाम कोई अनापत्ति-पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन बैंक द्वारा मार्च 1967 में पूछी गयी बात के जबाव में, यह स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी कि अहमदाबाद में स्टाफ कालेज कैम्पस के लिए जमीन (लगभग 50,000 वर्ग गज) और इमारत आदि की प्राप्ति के मामले पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे, क्योंकि अधिनियम के अनुसार किसी बैंक को अपने इस्तैमाल के लिए किसी तरह की अचल सम्पत्ति रखने की इजाजत है।

(ग) बैंक ने अभी तक सम्बद्ध जमीन नहीं खरीदी है, लेकिन जब वह जमीन खरीद लेगा तब प्रस्तावित कालेज के प्रयोजन के लिए ली गई जमीन और उस पर बनाई गयी इमारतों को, इसके अपने इस्तैमाल के लिए आवश्यक किसी भी दूसरे भू-गृहादि की भांति, बैंकिंग परि-सम्पत्ति के रूप में समझा जायगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 (1) (ट) के अन्तर्गत इस तरह भूमि प्राप्त करने और उस पर निर्माण आदि करने की इजाजत है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 10 लाख रुपये के मूल्य से लगभग 50,000 वर्ग गज भूमि (शहर से लगभग 5 मील की दूरी पर) को खरीदने का प्रस्ताव था।

(ङ) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष

8879. श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष लगभग 6 महीने पहले वार्धक्यता प्राप्त कर चुके थे?

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने नियमित आधार पर एक नया व्यक्ति चुन लिया था;

(ग) क्या यह सच है कि पुराना अध्यक्ष अब भी काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें आ चुकी हैं और उस पद पर दीर्घकालीन आधार पर नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल वर्तमान अधिकारी इस पद पर काम रहा है। वे लगभग 6 महीने पहले 58 साल के हुए थे।

कारखानों से उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को वापस बुलाना

8880. श्री दीवीकन : **श्री वी० ना० शास्त्री :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री न० कु० साथी :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक मितव्ययता के उपाय के रूप में देश भर में कारखानों से उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को वापस बुलाने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके फलस्वरूप हजारों कर्मचारी फालतू घोषित किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अन्यत्र रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी नहीं । प्रशासनिक सुधार के उपाय के रूप में सरकार ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगने योग्य अधिकांश वस्तुओं को निकासी के समय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की उपस्थिति के बिना माल को स्वयं निकासी की प्रणाली के अधीन लाने का निश्चय किया है । रोक, रक्षोपाय और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की उगाही का कार्य एक अलग तरीके से किया जायगा जिसमें मंजूर शुदा कर्मचारियों को फिर से लगाने की जरूरत होगी ।

(ख) और (ग) नई प्रणाली के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं के ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं ।

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच दोहरा कराधान रोकने के लिए करार

8881. श्री चेंगलराया नायडू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य ने स्वीकार कर लिया है कि ड्राफ्ट कन्वेशन में फेरबदल किया जाये ताकि दोनों देशों के बीच दोहरा कराधान न हो ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 'कन्वेशनों' के 'ड्राफ्ट' को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा भारत सरकार और संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने उनको मान लिया है ; और

(ग) दोनों के बीच यह करार कब तक हो जाने की संभावना है ? और इस करार से भारत को क्या लाभ होगा ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ । सितम्बर 1964 में काहिरा में जिस उप संधि पर पहले तकनीकी तौर पर सूक्ष्म हस्ताक्षर किये गये थे उसके मसविदे को अन्तिम रूप देने के लिए संयुक्त अरब गणराज्य के एक कर व्यवस्था प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के कर व्यवस्था प्रतिनिधि मण्डल के साथ नई दिल्ली में 3 से 10 अप्रैल 1968 के बीच चर्चा की । दोनों प्रतिनिधि मण्डलों ने उपसंधि के प्रारूप एवं पत्रों के प्रारूप में, जिनका आदान-प्रदान किया जाना है, कुछ रूपान्तर करना स्वीकार किया ।

(ख) उपसंधि का जो संशोधित प्रारूप, दोनों प्रतिनिधि मण्डलों के बीच स्वीकार हुआ है, वह स्वीकृति के लिये अब सम्बन्धित सरकारों को पेश किया जायगा ।

(ग) उपसंधि पर दोनों सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कब किया जायगा। करार के लागू किये जाने से भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की आशा है।

श्री एम० आर० चोपड़ा के सभापतित्व में नर्मदा जल विवाद पर चर्चा

8882. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एम० आर० चोपड़ा के सभापतित्व में किन-किन बातों पर चर्चा हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : निम्नलिखित विषयों पर विचार विमर्श किया गया था:—

1. नौगांव पर और उससे ऊपर नर्मदा सम्बन्धी जल विज्ञान।
2. नौगांव में सिंचाई के लिए उपयोग्य सम्भरण।
3. प्रतिष्ठापित क्षमता और बिजली के लिए उपयोग्य सम्भरण।
4. नौगांव पर और उससे ऊपर पानी की आवश्कताएं।
5. मध्यप्रदेश और गुजरात के प्रत्येक राज्य में विशिष्ट कुल उपयोग के समेत इन राज्यों में सिंचाई के विकास को बताने वाले अस्थाई अध्ययन।
6. नौगांव नहर के शीर्ष में पूर्ण सम्भरण स्तर।
7. लागत और प्राथमिकताओं समेत ऊपर नर्मदा के विकास के प्रस्ताव।
8. लागत और प्राथमिकताओं के समेत लोअर नर्मदा के विकास के प्रस्ताव।
9. नौगांव बांध की ऊंचाई से सम्बन्धित प्रस्ताव।

यह मान लिया गया कि वर्तमान आयोजन के लिए 280 लाख एकड़ फुट को कुल उपयोग्य प्रवाह समझा जाये। यह भी मान लिया गया कि बिजली के लिए उपयोग्य सप्लाई को सिंचाई के लिए उपयोग्य सप्लाई से अधिक निश्चितता के आधार पर निर्धारित किया जाए। अन्य मामलों के बारे में किसी निर्णयों पर न पहुंचा जा सका।

आयकर दाता

8883. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार हजार रुपये और उससे अधिक की आय वाले वर्गों के व्यक्तियों पर पहली बार आयकर निर्धारित किये जाने के बाद रुपये की क्रय शक्ति में कितना ह्रास हुआ है ; और

(ख) क्रय शक्ति में ह्रास के परिणामस्वरूप उन्हें राहत देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 4000 रुपये की सालाना आमदनी तक की आयकर की छूट की सीमा, अप्रैल, 1966 से शुरू होने वाले कर-निर्धारण वर्ष से लागू है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक-अंक में हुई वृद्धि के अनुसार,

अप्रैल 1966 और फरवरी 1968 के बीच रुपये की क्रय-शक्ति में हुई कमी 19.4 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों तथा संगठित उद्योग-क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में मंहगाई भत्तों में उपयुक्त समायोजन करके, पूर्ति कर दी जाती है । सरकारी माध्यम से अनाज का वितरण करके नियंत्रित किस्तों के कपड़ों, चीनी दवाओं, मिट्टी के तेल, वनास्पति और दियासलाइयों आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर सांविधिक और अनौपचारिक नियंत्रण आदि करके तथा उत्पादन और माल की उपलब्धि में सुधार के उद्देश्य से किए गये राजस्व-विषयक और गैर-राजस्व-विषयक अनेक प्रकार के अन्य उपायों के के ज़रिये, सरकार, मूल्यों की वृद्धि को काबू में रखने का प्रयत्न भी लगातार कर रही है ।

स्टेट बैंक बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी

8885 श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

श्री प्र० न० सौलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने झूठे बहाने पर अग्रिम राशि लेकर भारत के स्टेट बैंक की बड़ौदा शाखा को कुछ 92 लाख रुपये से ठगा है :

(ख) यदि हां, तो स्टेट बैंक द्वारा यह अग्रिम राशि किन परिस्थितियों में दी गई;

(ग) क्या इस मामले की जांच की गई है, और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण के बारे में रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

8886. श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री दामानी :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यकरण के बारे में रूसी विशेषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस प्रतिवेदन में रूसी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है ;

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशें निम्न है :—

(i) कैम्बे क्षेत्र में खोज कार्य को बढ़ाना चाहिये तथा दक्किन ट्रेप के ऊपर एवं नीचे तेल सम्भावनाओं के लिए भूगर्भीय तथा भुभौतिकी अन्वेषणों को हाथ में लेना चाहिए ।

(ii) आसाम, गंगा वादी, बंगाल, पंजाब और कावेरी क्षेत्र में खोज एवं व्यधन को बढ़ाने की आवश्यकता है । गोदावरी, कृष्णा महानदी डेल्टाज़, कच्छ, राजस्थान, लंकाद्वीप तथा

अन्डमान द्वीप में अन्वेषी व्यधन की एक प्रस्तावना के रूप में अन्वेषी सर्वेक्षणों को बढ़ाना चाहिये ।

(iii) मालूम किये गये नये क्षेत्रों से परीक्षण उत्पादन, कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में शुरू करना चाहिये ।

(iv) उत्सुत एवं अध-तह जलों की खोज करनी चाहिये और उत्पादन-स्तरों के जल-अधिसिंचन के लिये इन्हें अपशिष्ट जल के साथ इस्तेमाल करना चाहिये ।

(v) भूकम्पीय कार्य की मात्रा में वृद्धि तथा विशेष रूप से अतटीय व्यधन में अधिक संख्या में भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।

(vi) खम्भात की खाड़ी में अलायवेट द्वीप पर अतटीय व्यधन कार्य विभागीय रूप में शुरू किया जाए तथा इसके बाद तापती तथा दक्षिण-तापती संरचनाओं में भी विभागीय तौर पर स्थिर प्लेटफार्मों का प्रयोग करते हुए व्यधन किया जाये ।

(vii) कार्यों की मात्रा में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संगठन-ढांचे में परिवर्तन करना चाहिये ताकि श्रेष्ठ समन्वय एवं अधिकतर दक्षता प्राप्त हो सके ।

(ग) रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है ।

नदी तड़ागों की सिंचाई क्षमता का विकास

8887. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मामलों में केन्द्रीय सरकार ने अथवा राज्य सरकारों ने नदी तड़ागों की समूची सिंचाई क्षमता के विकास के लिए अब तक योजनायें तैयार की हैं ।

(ख) किन-किन नदी तड़ागों के सम्बन्ध में इस दृष्टि से अध्ययन किये गये हैं ; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से अध्ययन हैं जिनमें समूचे नदी तड़ागों में समूची सिंचाई क्षमता के विकास का आयोजन करने में केवल यही आधार था कि बोए हुए क्षेत्रों के लिए ही पूर्ण सिंचाई की व्यवस्था की जाये; नदी विशिष्ट के अधीन आने वाले क्षेत्र में सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था न की जाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) असम, बिहार, गुजरात,केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में सिंचाई के विकास की सम्भावनाओं के बारे में तो प्रारम्भिक अध्ययन किये गये है परन्तु नदी तड़ागों के बारे में नहीं । सिन्धु-नदी जल-सन्धि के समाप्त होने से पहले सिन्धु नदी व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया था ।

(ग) समूचे नदी तड़ागों की सिंचाई विकास क्षमता की योजना का आधार अनेक बातों पर निर्भर करता हैं; और इस बात पर नदी कि अधिकारस्थ समस्त कृषि-योग्य भूमि, जहाँ बीज बोया जा चुका है, वहां सिंचाई के पूरे प्रबन्ध हों । इनमें से कुछ बातें यह हैं, जैसे किसी विशिष्ट स्थान पर जल का उपलब्ध होना, भूमि की स्थिति, सामाजिक व आर्थिक बातें, अन्तर्राज्य समझौते आदि आदि ।

स्टेट बैंक की शाखाओं का खोला जाना

8888. श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 1968-69 में देवगढ़ के सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर में स्टेट बैंक की और अधिक शाखायें खोलने की माँग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो इन माँगों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और वहाँ कितनी शाखायें खोलने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्यों का संकेत उड़ीसा के देवगढ़ (बमरा) की ओर है। इस स्थान पर राज्य बैंक का कार्यालय खोलने का विचार एक बार किया गया था, लेकिन वहां कारबार की सम्भावनाएं कम होने और उपयुक्त स्थान की कमी होने के कारण राज्य सरकार के सुझाव पर यह विचार छोड़ दिया गया। राज्य बैंक को इस स्थान पर कार्यालय खोलने के लिए स्थानीय जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

आयकर की बकाया राशि

8889. श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न कम्पनियों पर 31 मार्च 1967 को आय कर की कितनी राशि बकाया थी ; (1) लखनपाल लिमिटेड, (2) गोल्डन टोबाको कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड (3) रैलिस इण्डिया लिमिटेड (4) श्री गोरी शंकर जूट मिल्स लिमिटेड और (5) आसाम आयल कम्पनी लिमिटेड ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा किया गया कर अपवंचन का कोई मामला क्या सरकार के ध्यान में लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कुछ फर्मों द्वारा बीजक में कम राशि दिखाये जाने से परिणामस्वरूप हानि

8890. श्री बे० कु० दासचौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में (1) लारसन एन्ड टोनबरो लिमिटेड, बम्बई (2) जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, (3) बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड (4) इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड (5) सीबा कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड (6) वोल्टास लिमिटेड और (7) सिमसन ग्रुप आफ इन्डस्ट्रीज, मद्रास द्वारा किये गये निर्यातों के संबंध में बीजकों में कम राशि दिखाये जाने के परिणामस्वरूप भारत को कितनी वित्तीय हानि हुई ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में सम्बन्ध अवधि से सम्बन्धित मामलों का न्याय-निर्णय किया जा चुका है : फर्म ने अपील अपील की थी तथा अपीलीय आदेश में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड ने ठहराया कि विदेशी मुद्रा की हानि वस्तुत : प्रमाणित नहीं की जा सकी है। इन मामलों में शुल्क की हानि का कोई आरोप नहीं था।

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन कारण बताओं' नोटिस जारी किया है कि कम्पनी द्वारा 1957 से 1959 तक जहाज से भेजे गये माल के सम्बन्ध में बीजक में जो 614733.33 डालर की रकम कम दिखाये जाने का आरोप है, वह रकम कम्पनी ने इस देश में वापस क्यों नहीं मंगवाई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले का न्याय-निर्णय अभी होना है।

अन्य कम्पनियों के मामले में, सम्बद्यअवधि में, निर्यात के सम्बन्ध में बीजक में कम रकम दिखाये जाने का ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है जिस में शुल्क अथवा विदेशी मुद्रा की हानि हुई हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म उद्योग के लोगों की ओर आयकर की बकाया राशि

8892. श्री बे० कु० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) फिल्म उद्योग से सम्बन्धित (1) श्री जी० पी० सिप्पी (2) श्री बी० के आदर्श (3) श्रीमती सायराबानू (4) श्री नाजिर हुसैन (5) श्री नौशाद (6) कुमारी माला सिन्हा से इस समय आय-कर तथा धन-कर की कितनी राशि वसूल करनी शेष है ;

(ख) क्या फिल्म उद्योग से सम्बन्धित इन लोगों के द्वारा कर-अपवंचन किये जाने के किसी मामले का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)

(क) सूचना इस प्रकार है :—

नाम	आयकर की बकाया रकम रुपये	धनकर की वकाया रकम रुपये
1. श्री जी० पी० सिप्पी	99,196	कुछ नहीं
2. श्री बी० के० आदर्श	40,130	कुछ नहीं
3. श्रीमती सायरा बानू	180	कुछ नहीं
4. श्री नासीर हुसैन	कुछ नहीं	180
5. श्री नौशाद	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. श्रीमती माला सिन्हा	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) श्री बी० के आदर्श, श्री नौशाद तथा श्रीमती माला सिन्हा और मैसर्स नासीर

हुसैन फिल्मस प्राइवेट लि० के मामलों में आय छिपाये जाने का पता लगा है। मैसर्स ना० हु० फिल्मस प्राइवेट लि० का डायरेक्टर श्री नासिर हुसैन है। श्रीमती सायरा बानू और श्री जी० पी० सिप्पी के मामले में तथा श्री नासिर हुसैन के व्यक्तिगत मामले में आय छिपाने का पता अभी तक नहीं चल सका है।

(ग) विभिन्न मामलों में बकाया करों की वसूली करने के लिये जो कार्यवाही की गई है वह इस प्रकार हैं :-

(1) **श्री जी० पी० सिप्पी** : मांग की प्रमाण-पत्र द्वारा घोषणा कर दी गई है और बकाया कर की वसूली करने के लिये कर वसूली अधिकारी को कह दिया गया है।

(2) **श्री बी० के० आदर्श** : वसूली प्रमाण-पत्र कर वसूली अधिकारी को जारी कर दिये गये हैं।

(3) **श्रीमती सायारा बानो** : निर्धारिती को अदायेगी के लिये नोटिस जारी कर दिया गया हैं।

(4) **श्री नासिर हुसैन** : निर्धारिती को अदायेगी के लिये नोटिस जारी कर दियागया है।

(5) **श्री नौशाद** : कोई बकाया राशि नहीं है।

(6) **श्रीमती माला सिन्हा** : कोई बकाया राशि नहीं हैं।

कुछ कम्पनियों द्वारा देय आयकर की बकाया राशि

8893. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) प्रिमियर टायर्स लिमिटेड (2) ट्रैक्टर्स एण्ड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड (3) गुड इयर टायर्स लिमिटेड (4) सियेट टायर्स लिमिटेड (5) इंडियन केबल इंस्डट्रीज, बम्बई (6) इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्विप्मेंट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (7) बंगूर ब्रादर्स लिमिटेड, कलकत्ता (8) मदन मोहन लाल श्री राम (प्राइवेट) लिमिटेड (9) नैशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड (10) किलबर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड (11) जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (12) एरिक्सन टेलीफोन सेल्स कारपोरेशन (13) थैंकरसे मूलजी एण्ड कम्पनी, बम्बई (14) निपन इलेक्ट्रिक कम्पनीं लिमिटेड (15) बरतानिया बिस्कुट्स लिमिटेड (16) हिम्मत स्टील फाउंडरी (प्राईवेट) लिमिटेड की ओर इस समय आय-कर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या इन फर्मों द्वारा कर अपवंचन किये जाने के किसी मामले का पता लगा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसे वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बीजक में कम राशि दिखाये जाने के परिणामस्वरूप हुई हानि

8895. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 से 1967 तक की अवधि में (1) सियेट टायर्ज लिमिटेड, (2) जय इंजीनिरिंग वर्क्स लिमिटेड, (3) ब्रिटेनिया बिस्कुट्स लिमिटेड, (4) थैंकरसे मलजी एण्ड कम्पनी

(5) एटलस केप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (6) यूनियन कारबाइड लिमिटेड, (7) जे० के० रेमन्स (8) अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड (9) जे० बी० अडवानी अरलिकोन इलेक्ट्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड और (10) जौनसन एण्ड जौनसन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा माल के निर्यात सम्बन्धी बीजकों में कम राशि दिखाई जाने के परिणामस्वरूप भारत को कितनी वित्तीय हानि हुई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सम्बन्ध अवधि के दौरान मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड तथा उनके सहयोगी, मैसर्स उशा सेल्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ने निर्यातों के बीजकों में कम रकम दिखाई जिसके कारण लगभग 1,64,143 रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई। मामलों का न्याय-निर्णय किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों पर 10,00,000 रुपये के निजी दण्ड लगाये गये। लेकिन इन पार्टियों ने अपील की है, जिनका फैसला अभी होना है । सम्बन्धित अवधि में अन्य कम्पनियों द्वारा निर्यातों के बीजक में कम रकम दिखाये जाने का किसी मामले का पता नहीं चला है ।

कुछ कम्पनियों से आय-कर की बकाया राशि

8898 श्री रा० बरुआ : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न कम्पनियों पर इस समय आय-कर तथा अन्य करों की कितनी राशि बकाया है (1) सीबा कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड (2) वोल्टाज लिमिटेड, (3) एनफील्ड इन्डिया लिमिटेड (5) एस्कोर्ट्स् लिमिटेड, बम्बई (5) लारसेन एन्ड टोब्रो लिमिटेड बम्बई, (6) ए०बी० थामस एंड कम्पनी लिमिटेड, केरल (7)कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली और (8) क्रौम्पटन पार्किन्सन वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड ; और

(ख) आय-कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

राजस्थान में आयकर की बकाया राशि

8899. श्री प्र० के० देव : श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर की 6 करोड़ रुपये की राशि राजस्थान में करदाताओं पर बकाया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में इस बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) आय-कर की इस रकम के वसूल करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च 1968 को राजस्थान में निर्धारितियों की तरफ आय-कर की 5.60 करोड़ रुपये की रकम वसूल होनी बाकी थी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) (1) विभिन्न स्तरों पर बकाया मांग की समय-समय पर समीक्षा।

(2) वसूली का सारा काम विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने हाथ में ले लेना।

(3) बकाया रकमों की वसूली के लिये प्रत्येक मामले के गुण दोष तथा परिस्थितियों की दृष्टि से आवश्यक सभी कानूनी उपाय किये जा रहे हैं।

हैदराबाद में पकड़ा गया विदेशी चिन्ह अंकित सोना

8900. श्री महन्त दिग्विजय नाथ क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में हाल में विदेशी चिन्ह अंकित सोने की कुछ सिल्लियां पकड़ी गई हैं ;

(ख) क्या इस मामले में तस्करों के उस गिरोह का हाथ होने की कोई संभावना है, जिस के पास से, मार्च, 1968 में महाराष्ट्र में थाना के निकट लाखों रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) हैदराबाद में अभी तक इस वर्ष विदेशी मार्के की सोने की सात सिल्लयां पकड़ी गयी हैं।

(ख) ऐसा कोई संकेत नहीं है।

(ग) मार्च, 1968 में थाना के निकट जई गांव में सोने के जिस तस्कर आयात को पकड़ा गया था, उस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गयी हैं। हैदराबाद में सोने के पकड़े जाने के सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिनको बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने द्वारा नये प्रकार के सम्मिश्र उर्वरक का उत्पादन

8901. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाने ने एक नऐ प्रकार के सम्मिश्र उर्वरक का उत्पादन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय भूमि में सम्मिश्र उर्वरक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है ;

(ग) एक नया उर्वरक बनाने वाले कारखाने की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और कारखाने स्थापित करने का है ;

(ङ) यदि हाँ, तो कहां-कहां पर ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया): (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ, महाराष्ट्र में ।

(ग) प्रति वर्ष 1,80 000 मीटर टन ।

(घ) और (ङ) देश के विभिन्न हिस्सों में तथा विभिन्न फसलों के लिए इस प्रकार के उर्वरक की मण्डियों में मांग का सही आंकन करने के बाद ही और प्लाटों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

नये मुद्रणालयों की स्थापना

8902. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बंगलौर, भुवनेश्वर, और चण्डीगढ़ में मुद्रणालय स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भी एक ऐसा मुद्रणालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मैसूर, भुवनेश्वर तथा चण्डीगढ़ में पाठ्य पुस्तकों (टैक्स्ट बुक्स) को छापने के लिए तीन मुद्रणालय स्थापित किये जा रहे हैं । कार्य 1968 तथा 1970 के वर्षों में चरणों (फेज्ड) में किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Landslides in Nepal

8903. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleaesd to state :

(a) Whether it is a fact that the landslides in Nepal have posed a danger of flood in the Gandak river in Bihar;

(b) If so, the number of Districts affected as a result thereof; and

(c) the action taken by Government to control floods as a result of landslides and the amount spent by the State Government recently thereon in this regard ?

The Deputy Minister in the Minisry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There was only one landslide on 5-3-68, in Nepal, in a tributary of River Gandak. This did not create any serious floods in the Gandak River in Bihar.

(b) None of the districts in Bihar was affected as a result of this landslide.

(c) No expenditure was incurred by the Bihar Government on account of the landslide referred to above as the rise in the water level in the river at the project site was small and the project authorities were only required to keep vigil on the situation.

Medicines and Medical Instruments Found in House of Willingdon Hospital Employees

8904. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Health. Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that medical instruments, medicines and other articles have been recovered from some employees of the Willingdon Hospital, New Delhi during the last one year;

(b) if so, the value thereof;

(c) whether Government have conducted any enquiry in this regard; and

(d) if so, the findings thereof and the action taken thereon ?

Shri B. S. Murthy : Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development : (a) Yes,

(b) Rs. 1,667.00

(c) and (d) The case is pending in the court at present.

अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति

8905. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास सम्बन्धी समिति की स्थिति का अध्ययन करने के लिये छः अथवा सात राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों का अभी दौरा करना बाकी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा उनका दौरा करने का क्या कार्यक्रम है ;

(ग) समिति से सभी राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों का दौरा किये बिना ही अपना अन्तिम प्रतिवेदन तुरन्त प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति को अपना कार्य पूरा होने तक यदि आवश्यक हो तो वर्तमान समिति का पुनर्गठन करके भी काम करते रहने की अनुमति देने का है जैसे कि कम व्यापक तथा छोटे विषयों सम्बन्धी अनेक समितियों को 6 वर्ष तक काम करते रहने की अनुमति दी गई थी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती फूलरेणू गुह) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि समिति में विचारों का अन्तिम रूप यह है कि किसी और संघ राज्य क्षेत्र का दौरा न किया जाए । समिति ने असम, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा

पश्चिमी बंगाल का दौरा करने की कई योजनाएं बनाई, पर वे अब तक पूरी नहीं की जा सकी हैं। अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के भागों का दौरा किया है। समिति के स्टाफ ने पश्चिमी बंगाल तथा राजस्थान का दौरा किया है । अध्यक्ष के दिल्ली से कुछ समय से बाहर गए होने के कारण, वर्तमान कार्यक्रम का पता नहीं है ।

(ग) समिति का कार्यालय 6 बार बढ़ाया जा चुका है। अन्तिम मसौदा रिपोर्ट कई महीनों से समिति के सामने है। पता चला है कि समिति के सचिवालय के बहुत से सदस्यों के के पास लम्बे अर्सों तक कोई काम नही था । उसके अतिरिक्त, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की तैयारी शुरू हो जाने के कारण समिति की रिपोर्ट पेश किए जाने में यदि और विलम्ब किया गया तो उस का प्रयोजनीय उपयोग करना कठिन होगा ।

(घ) यह सबसे अच्छा होगा कि इस बात का फैसला सरकार तथा समिति के अध्यक्ष के मध्य विचार-विमर्श के बाद किया जाए। यह समिति पिछले 36 महीनों से काम कर रही है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग का कार्यकाल 18 महीने का तथा शिक्षा आयोग का 25 महीने का था ।

बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

8906. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के अन्त तक भारत के रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा उसकी शाखाओं देश के अन्य वाणिज्यिक बैंकों में अलग-अलग श्रेणीवार तथा वेतनमानवर कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या भारत का रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक और उसकी शाखाओं में सरकार की इस नीति का पूरी तरह पालन हो रहा है कि इन सेवाओं में इन समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या इन पर सामाजिक नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में इन वाणिज्यिक बैंकों को कोई नीति सम्बन्धी निदेश अथवा सामान्य अनुदेश देने का कोई प्रस्ताव है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तीन विवरण, जिन पर 'क' 'ख' और 'ग' लिखा हुआ है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1084/68**] इनमें क्रमश: (1) गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, (2) भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों, तथा (3) भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना दी गयी है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के नियोजन के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। भारतीय राज्य

बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में अनुबन्ध 'घ' और अनुबन्ध 'ङ' में सूचना दी गयी है। राज्य बैंक के सहायक बैंकों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज़ पर रख दिया जायगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राज्य बैंक तथा इसके सहायक बैंक इस विषय में प्राय: सरकार की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। फिर भी जिन पदों के लिए विशेष ज्ञान और अनुभव आवश्यक है उन पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रतिशत के आधार पर विशिष्ट प्रारक्षण करना रिजर्व बैंक के लिए सम्भव नहीं होता।

(ङ) जी, नहीं।

तुंगभद्रा बोर्ड के अध्यक्ष

8907. श्री राम चरण : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए स्थायी प्रबन्ध कर लिये गए हैं ; और

(ख) पिछला अध्यक्ष अपने पद पर कितने समय तक रहा तथा कितनी आयु तक कार्य करता रहा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पद को भरने के लिये दीर्घकालीन प्रबन्ध किए जा रहें हैं।

(ख) भूत-पूर्व अध्यक्ष ने इस पर 3 महीने और 12 दिन काम किया था और जब उन्हों ने कार्यभार छोड़ा, उनकी आयु 60 वर्ष 11 दिन थी।

पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

8908. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैसोलीन तथा मिट्टी के तेल से बनने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत भारत में अमरीका, ब्रिटेन, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका में इनकी उत्पादन लागत की तुलना में बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) भारत में इन उत्पादों की उत्पादन लागत अधिक होने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया): (क) और (ख) बिदेश स्थित हमारी मिशनों से प्राप्त सूचना के आधार पर, बम्बई में ब्रिटेन, जापान और लंका की तुलना में गैसोलीन तथा मिट्टी के तेल के विक्रय मूल्य निम्न प्रकार हैं:—

उत्पाद	बम्बई	ब्रिटेन	*जापान (टोकियो)	लंका (कोलम्बो)
	रुपये । किलोलिटर	रुपये । किलोलिटर	रुपये । किलोलिटर	रुपये । किलोलिटर
विमानन गैसोलीन 100/130	893.01	1141.55	562.60	1065.26
विमानन गैसोलीन 115/145	912.37	1154.05	593.75	1088.42
विमानन गैसोलीन 73	870.82	1129.05	बेची नहीं जाती	1157.89
मोटर गैसोलीन 93	901.21	बेची नहीं जाती	...	1030.53
मोटर गैसोलीन 79	867.69	...	...	बेची नहीं जाती
बढ़िया मिट्टी का तेल	420.89	411.63	235.06	231.58
घटिया मिट्टी का तेल	286.37	361.63	बेची नहीं जाती	231.58

अमरीका और पाकिस्तान के बारे में ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है किन्तु यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) लागत का मुख्य भाग उत्पादन शुल्क है । इस समय इन को कम करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आय संसाधन बुरी तरह प्रभावित होंगे । परन्तु पैट्रोलियम उत्पादों के निःशुल्क मूल्यों का एक समिति द्वारा, जो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की जा रही है, शीघ्र ही पुनरीक्षण प्रस्तावित है ।

*टोकियो में स्थित हमारे राजदूत द्वारा भेजी गई सूचना से यह पता नहीं चलता कि मूल्यों में शुल्क । महसूल शामिल है या नहीं ।

नेफ्था-आधारित उर्वरक उद्योग

8909. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने है की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैमिकल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली ने नेफ्था आधारित रासायनिक उद्योग आरम्भ करने के लिये विशाखापतनम के निकट स्थानों का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) क्या इस फर्म के प्रबन्धकों ने सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) :

(क) नेफ्था आधारित रासाईनिक उद्योग के लिए विशाखापत्तनम के निकट स्थानों के कैमीकल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश

8910. श्री हो० ना० मुकर्जी : श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1968 के "नैशनल हेरल्ड" (दिल्ली संस्करण) में "फिफ्ट करोड़ स्टेट प्रोजेक्ट बीइंग स्क्टल्ड इमिजिएट थौरो इन्कवायरी नीडिड" (पचास करोड़ की लागत की राज्य की परियोजना समाप्त की जा रही है ; तत्काल पूर्ण जांच-पड़ताल की आवश्यकता है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए मेजर-जनरल एस० एस० सोखी के विशेष लेख की ओर ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या उस लेख में ऋषिकेश स्थित इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्युटिकल लिमिटेड के कार्यकरण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सरकार ने जांच की है ; और

क्या इस मामले की विशेषत: एक उच्च वैज्ञानिक पदाधिकारी द्वारा जिसका ऋषिकेश में इस कारखाने को स्थापित करने में निकट का सम्बन्ध रहा था, लगाये गये आरोपों का कारण सरकार का विचार उच्च स्तरीय जांच कराने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया): (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) सरकार की दृष्टि में लगाये गये आरोप आधार रहित हैं ; अतः वह जांच कराने का विचार नहीं रखती है ।

अवीलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

हरिजनों के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के कृषि मन्त्री का कथित वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह-मन्त्री जी।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्रीमान्.....

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य सूची के अनुसार वक्तव्य सम्बन्धी प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे। पिछली बार जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी तो प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री शिवाजी राव देशमुख (परभानी) : उस दिन मन्त्री महोदय ने अपना वक्तव्य नियम 197 के अधीन दिया था। अत: इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि उस दिन मन्त्री महोदय के पास जानकारी नहीं थी, अत: इसे स्थगित कर दिया गया था। इस समय वही ध्यानाकर्षण सूचना दी जा रही है। 40-50 सदस्यों ने इसकी सूचना दी थी और लाटरी निकाल कर नाम चुने गए हैं। मन्त्री महोदय उसी का उत्तर अब दे रहे हैं।

श्री चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने 25 अप्रैल, 1968 के वक्तव्य में बताया था कि मुख्य मन्त्री व्यक्तिगत रूप से मामले की पड़ताल कर रहे हैं और फिर वे मुझे प्रतिवेदन भेजेंगे। मैं उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

2. फिर भी आंध्र प्रदेश के कृषि मन्त्री श्री पी० थिम्मा रेड्डी ने मेरे मन्त्रालय को एक पत्र भेजा है, जो इस प्रकार है :—

"तथाकथित मेरा यह ब्यान कि हरिजनों को ठुकराया जाय बनावटी, निराधार, द्वेषपूर्ण तथा शरारती है। एक जिम्मेदार मन्त्री ही नहीं किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता। किसी तरह का आरोपित वक्तव्य का सम्बन्ध मेरे से होने का कोई हवाला नहीं दिया गया। जहां तक मुझे मालूम है पेट्रियट के संवाददाता मीटिंग में उपस्थित नहीं थे और उन्होंने न तो मेरे से भेंट की थी तथा न ही मुझ पर आरोपित वक्तव्य को मुझसे सत्यापित करवाया था। किसी समाचार को प्रैस में देने से पूर्व इसे सत्यापित करवाना एक संवाददाता का प्रारम्भिक नियम होता है।"

Shri Rabi Ray (Puri): We anticipated what the Minister would say in reply Shri Thinma Reddy is reported to have said this also that the Journalist covering this incident deserved to be kicked. I allege that Shri Reddy's statement was recast after his talks with the State Revenue Minister, Shri Raju and that the hon. Home Minister prevailed upon Shri Raju to release such a statement, I demand immediate dismissal of Shri Reddy and the whole matter should be investigated through a judicial enquiry. Secondly since the Home Minister has not been able to safeguard the life and property of the Harijans, as provided in the Constitution, he should himself resign.

Shri Madhu Limaye : The Minister is not discharging his duty.

Shri Y. B: Chavan : The hon. Member has no right to remind me of my duty.

यह आरोप लगाना कि मैंने श्री राजू को सिखा पढ़ा कर कुछ कहने के लिए कहा, गैर जिम्मेदारी की हद है। मैंने मुख्य मन्त्री से चर्चा की थी। उन्होंने मुझे बताया है कि वह 4 या 6 मई को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। मैं अपना वक्तव्य राज्य सरकार से मिली जानकारी के आधार पर दे रहा हूं। प्रकाशित समाचारों के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Contradicting a report is the last weapon in 'the armoury of a politician. There is nothing new in it. A Minister who calls Harijans thiefs' has no culture. In fact we are the actual 'thieves' who have been exploiting Harijans for the past twenty years and who have been indulging in nothing but slogans and paper plans. I have just received a telegram from Andhra Dalit Jati Sangh stating that the Agriculture Minister pressed Journalists to contradict etc. etc. Another similar telegram has been received from Harijan Sewa Sewak Sangh. There are allegations against theState Chief Minister also. The President of the State Congress and many M.L.As are henchmen of big landlords who perpetrate atrocities on Harjans and Government have taken no action thereon. 10-20 incidents have occurred in Andhra in the last 1½ months. Some policemen who took some action in such cases have been suspended for doing so.

Andhra Chief Minister and his Government have forfeited our confidence in this matter. He is a culprit himself and it is futile to expect justice from him. I would request that a parliamentary Committee be sent there to look into such incidents in the State with the help of C.B.I. and submit its report to the House.

I want to know the steps contemplated to be taken to root out this evil from the country, at political, official and non-official level ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं श्री (की इस बात से सहमत हूं कि देश को गम्भीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए। क्योंकि तथ्य मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं इसलिए मुझे मन्त्री के वक्तव्य का सहारा लेना पड़ा है।

श्री रंगा : गृह मन्त्री स्वयं दोषी है। उन्हें अपने साधनों से तथ्य प्राप्त करने चाहिए थे।

श्री हेम बरुआ : यह नितांत उपेक्षा है।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): Dismiss the State Ministry and appiy President's rule there.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस मामले में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। मुख्य मन्त्री ने मुझे लिखा है कि वह स्वयं मामले की जांच करके 4-5 मई को रिपोर्ट भेजेंगे।

Shri Madhu Limaye: What has Chief Minister got to do with it. On a point of order, sir,

श्री कंवर लाल गुप्त : आप अपनी ओर से क्यों जांच नहीं कराते ? यह सभा का अवमान है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय के पास जितनी जानकारी है वह उन्होंने दे दी है। हाँ आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मधु लिमये खड़े हुए।

श्री समर गुह (कंटाई) : कृपया हमें पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर दिलाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य कृपया शांत रहें। अब श्री समर गुह और श्री श्रीधरन अपने प्रश्न पूछेंगे क्योंकि व्यवस्था के प्रश्नों का उत्तर मन्त्री महोदय के पास नहीं है।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : सूची में दर्ज नामों के बाद आप व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति दें।

Shri Madhu Limaye : According to rules, points of orders should be allowed before questions.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, परन्तु मैं चाहूंगा कि सदस्य पहले प्रश्न पूछें मन्त्री उनका उत्तर दें और इन उत्तरों में से यदि व्यवस्था का कोई प्रश्न उठे तो सदस्य उठकर उसे उठाये। अब, श्री कंवर लाल गुप्त प्रश्न करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : I had asked three questions: first did the Minister contact the four correspondents present there. Secondly, whether he sent an officer to conduct an enuiry and if so, whether he sent a report and thirdly, whether a Parliamentary Committee is proposed to be set up in view of the fact that the attitude of State Cheif Minister and the State Government is not above board ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वह थोड़ा शान्ति से काम लें और गृह मन्त्री के कर्त्तव्यों को समझे। मुझे ऐसे मामलों में पहले मुख्य मन्त्री से ही सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है और उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। मैं इस मामले में अपनी निजी राय देने को स्वतन्त्र नहीं हूं। मैंने मुख्य मन्त्री से जांच करने को कहा था और उन्होंने ऐसा करना मान लिया है। दुर्भाग्यवश, अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह तत्काल ऐसा नहीं कर सके। फिर भी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह मुख्य मन्त्री की रिपोर्ट अपने तक प्रतीक्षा करें। तब मैं मामले पर अपनी निजी राय दे सकूंगा। जब राज्य का मुख्य मन्त्री स्वयं मामले की छानबीन कर रहा हो तो औपचारिक जांच नहीं कराई जा सकती। हमें उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी यह कहना भी बहुत अनुचित है कि क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भेजने के लिए कुछ समय मांगा हैं। आखिर मुख्य मन्त्री अपने विधान मण्डल के प्रति भी उत्तरदायी हैं। हमें उनके विरुद्ध ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। मेरा इतना ही निवेदन है।

Shri Kanwar Lal Gupta : No reply has come to my questions.

Shri A.B. Vajpayee : On a point of order, Sir.

Shri Madhu Limaye : I had raised a point of order earlier than this.

"**अध्यक्ष महोदय** : आपने पूछा था कि क्या उन्होंने कोई जांच की है। उन्होंने उत्तर दिया है कि मेरी सूचना का स्रोत अपना हैं परन्तु उसके बारे में मैं अब कोई वक्तव्य नहीं दे सकता"।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, he has not replied to my question and so I want your protection. Has the hon. Minister contracted the four news reporters and sent some officer for this. The hon. Minister shall give a categorical answar to it.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : क्या कोई अधिकारी वहां भेजा हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मेरा सूचना प्राप्त करने का अपना स्रोत है जिसे मैं नहीं बता सकता। यदि सदन मुझ से यह कहेगा कि मैं अपना अनुमान इस बात के बारे में दूं तो वह मुख्य मन्त्री से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही कर सकता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. Sir, you asked the hon. Minister to give the statement after ascertaining all the facts or did you ask him to give the statement after receiving report from the Chief Minister? I want your ruling on it.

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी एक दम विनिर्णय नहीं दे सकता।

श्री श्री अ० डांगे (बम्बई –मध्य दक्षिण) :महोदय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्य मंत्री जांच कर रहे हैं। परन्तु गृहकार्य मंत्री तो दौरे पर गये हुये हैं। क्या कारण है कि वह एक हत्या पर गम्भीरता से कार्य नहीं कर रहे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि छूतछात का हटाना हमारे संविधान में लिखा है। इस कारण एक संसदीय समिति इसकी जांच के लिए नियुक्त की जा सकती है क्योंकि इसमें राज्य के आन्तरिक मामलों में दखल देने की बात नहीं है अपितु संविधान का उल्लंघन है।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : Sir, this call attention matter refers to a point of public importance against a Minister who has made a derogatory statement, not against one individual but against seven crore people of this nation who are considered to be a weak section of the whole society. I want to know whether parliament can or not appoint a committee to get information as the Chief Minister knowing fully well the importance of this matter is away on tour?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी): जब एक मंत्री यह कहता है कि हरिजन लड़के को लात मारो तो वह एक मंत्री के रूप में कार्य करते नहीं समझे जा सकते। यदि एक मंत्री के रूप में उन्होंने यह कहा तो सारे मन्त्रिमण्डल की जिम्मेदारी होती है और ऐसी स्थिति में मुख्य मन्त्री द्वारा जांच कराना ठीक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सर्वाश्री डांगे, यादव तथा देशमुख ने संसदीय समिति नियुक्त करने के बारे में कहा है। अध्यक्ष को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार की समिति केवल सदन ही नियुक्त कर सकता है और उसके बारे में कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है।

श्री धरन (बडागरा) : महोदय मुख्य मंत्री में हमारा विश्वास नहीं है। यदि उन में जिम्मेदारी की कुछ भी भावना होती तो वह सम्बन्धित मन्त्री को मन्त्रीमण्डल से निकाल देते आन्ध्र प्रदेश के मंत्री अपनी जान बचाने के लिए अब समाचार पत्र वालों की गलती बता रहे हैं। वहाँ के राज्यपाल ने भी अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं किया है। क्या गृह कार्य मंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देंगे कि आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के स्थान पर किसी अन्य राज्यपाल की नियुक्ति करें और यदि हो सके तो वह राज्यपाल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन्होंने राज्यपाल को हटाने के बारे में कहा है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं हैं।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप) : मेरा सम्बन्ध अनुसूचित जाति से है, इसलिये मुझे भी बोलने का अवसर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दे सकता।

श्री प्र० रं० ठाकुर : विरोध के रूप में मैं, सदन छोड़कर जा रहा हूं।

श्री प्र० रं० ठाकुर सभा भवन से बाहर चले गये :

(Shri P. R. Thakur then left the House)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे न केवल आन्ध्र प्रदेश के मंत्री के वक्तव्य से अपितु केन्द्रीय सरकार के रवैये से भी दुःख पहुंचा है । इस सरकार को चाहिये था कि इस समाचार के मिलते ही एक संसदीय समिति को भेजती तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस को भी वहां जांच करने के लिये भेजती । क्या सरकार ऐसा करेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह विचार करने के लिये एक सुझाव हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / Mr. Deputy Speaker in the Chair]

कच्छ में सदस्यों का अवरुद्ध किया जाना, हटाया जाना और गिरफ्तार किया जाना

RESTRAINT AND REMOVAL AND ARREST OF MEMBERS IN KUTCH

Shri A B. Vajpayee (Bahrampur) : Sir, the hon. Speaker read out a telegram from the D. S. P. regarding the arrest of members in Kutch. The hon. Home Minister also gave a statement in that connection. There is difference between the telegram and the statement and we had invited attention about it. We want to raise a question of privilege on this matter. In the telegram of the D.S.P. he had stated : "Members of Parliament are detained and removed." But the hon. Minister stated, "As the Satyagrahis did not leave the prohibited area, they were restrained and removed by the police", There is difference between the words "detained" and "restrained". How were these two contradictory statements given ? Another anomaly in the statement of the hon. Minister is that he stated : "members of Parliament taken to Gandhidham, which is the nearest police station 28 miles from Khavda". Both these statements are wrong. Khavda is not just 28 miles from Gandhidham, but is much father away. It is also not true that Gandhidham is the nearest station from Khavda. There are other stations still nearer to Khavda.

All these issues cannot be adequately debated unless you give an opportunity to the House to discuss these. The hon. Speaker had promised to give an opportunity to the House to discuss these.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने केवल विचार करने के बारे में कहा था । इसका और कोई अर्थ नहीं है ।

Shri A. B. Vajpayee ; The Satyagrahis have not been treated properly. They were made to sit in the sun.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी सत्याग्रहों में भाग लिया है । वास्तविक सत्याग्रहियों को इस प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिये ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह राज्य सरकार से सम्बन्ध रखती है । इस प्रश्न को यहाँ कैसे उठाया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अध्यक्ष के नाम कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 24 अप्रैल, 1968 के चार सदृश पत्र प्राप्त हुए हैं और मैं सभा को उनकी सूचना देता हूं । जिसमें बताया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेध आदेशों का पालन न करने पर और सत्याग्रह में अपने साथियों के साथ कच्छ के रन की ओर निषिद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने पर लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री मधुलिमये, हेम बरुआ नाथ पाई और जगन्नाथ राव जोशी को 21 अप्रैल, 1968 को 09-15 बजे अवरुद्ध किया गया । तदनुसार इन सदस्यों को बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत अवरुद्ध किया गया और उन्हें उसी दिन कच्छ जिला स्थित गांधी धाम से हटा दिया गया और 21 अप्रैल, 1968 को 15-00 बजे गांधी धाम रेलवे स्टेशन पर जाने दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास अध्यक्ष के नाम कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 24 अप्रैल, 1968 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना मैं सभा को देता हूं जिसमें बताया गया कि कच्छ न्यायाधिकरण द्वारा घोषित पंचाट के विरुद्ध सत्याग्रह करने लिए अपने साथियों के साथ कच्छ के रन में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए भारतीय दन्ड संहिता की धारा 143, 145, 188 के अन्तर्गत अपराध में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने पर लोक-सभा के सदस्य श्री कामेश्वर सिंह को 22 अप्रैल, 1968 को 09-15 बजे गिरफ्तार किया गया और उन्हे भुज स्थित भुज जेल में रखा गया ।

Shri A. B. Vajpayee : In the telegram they have used the words "detained" and in the statement they have used it "restrained". How can these be reconciled.

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करना ठीक नहीं है । मैं इस पर अब चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप नियमों का निलम्बन कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला अध्यक्ष महोदय के पास हैं इस कारण इसे मैं नहीं ले सकता ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1968

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं डा० त्रिगुण सेन की ओर से पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या (5) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 26 मार्च, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1065/68**]

अस्पताल समीक्षा समिति (1968) के निष्कर्ष तथा सिफारिशें

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से अस्पताल समीक्षा समिति (1968) के मुख्य निष्कर्षों तथा सिफारिशों के सरांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1066/68)**

पंजाब अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (हरियाणा संशोधन) अधिनियम 1968

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबालसिंह): मैं श्री जगन्नाथराव की ओर से हरियाना राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (हरियाना संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1067/68**]

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड, प्रिम्परी के वर्ष 1966-67 आदि के कार्य की समीक्षा

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया): मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्प्री के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1068-68**]

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च, 1967 तक की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग का 17 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उक्त प्रतिवेदन के पैरा 33 में निर्दिष्ट मामले में आयोग की सलाह सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1069-68**]

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : महोदय इस प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखने में बहुत देर हो गई है।

श्री के० एस० रामास्वामी : इसका कारण यह है कि हिन्दी का अनुवाद करने में देर हो गई।

Shri A. B. Vajpayee : Sir, that is not an explanation that he wants to take shelter behind the translation.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्य महोदय से सहमत हूं कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हैं ।

सीमा शुल्क, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना ।

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 697 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1070-68**]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE MINUTES
कार्यवाही सारांश

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं (एक) खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय--(कृषि-विभाग) —मीन क्षेत्र—के बारे में 36वें से 43वां प्रतिवेदनों, (दो) पैट्रोलियम तथा रसायन-मंत्रालय—पैट्रो रसायन, उर्वरक तथा पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद--के बारे में 48वें से 50वें प्रतिवेदनों और (तीन) शिक्षा मंत्रालय—इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली - के बारे में 53वें प्रतिवेदन के विषय में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
कार्यवाही सारांश

मनु भाई पटेल (दभोई) : तीसरे चौथे, छटे से चोदहवें और सोलहवें से इक्कीसवें प्रतिवेदनों और प्रक्रियात्मक तथा विविध विषयों के विषय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री मनुभाई पटेल (दभोई) : मैं सरकारी उपक्रमों—मुख्य नगरों में किराये पर लिए गए स्थानों ; उनकी देख-रेख में अतिथि गृहों, स्टाफ कारों आदि - के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 50वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का इक्कीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

सांप की खाल पर निर्यात शुल्क के बारे में संविधिक संकल्प
STATUTORY RESOLUTION RE: EXPORT DUTY ON SNAKE SKINS

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) से अनुसरण में यह सभा भारत सरकार

के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1340 का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा सांप की खाल पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत यथामूल्य से बढ़ाकर 25 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया है।"

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 में पास किया गया था। सकल्प में भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा 4क के बारे में कहा गया है। उप-धारा (2क) में कहा गया है कि यदि संसद सत्र में हो तो प्रत्येक अधिसूचना को जितनी जल्दी हो सके सभा-पटल पर रखा जायेगा। अधिसूचना 10 तारीख को जारी की गई थी तथा इसे 15 तारीख को सभा पटल पर रखा गया हैं।

मन्त्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ।। यह जल्दी से जल्दी सभा पटल पर क्यों नहीं रखी ? इसके अतिरिक्त प्रशुल्क में परिवर्तन का अर्थ करों सम्बन्धी परिभाषा के अन्तर्गत कर लगाना होता है जिसका सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 110 तथा 117 से है। इस कारण अनुच्छेद 117 की प्रक्रिया पर चलना होगा। संकल्प लाने से काम नहीं चलेगा।

अनुच्छेद 165 के अन्तर्गत कानून के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। संविधान के लागू होने के पश्चात संकल्प द्वारा सरकार अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकती।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : यह कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। परन्तु "कानून" की परिधि में उप-कानून की अधिनियम को भी शामिल कर लिया गया है। वित्तीय विधेयक में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर कर लगाने का अधिकार है। यह प्रत्यायोजित विधान के अन्तर्गत आता है। हमारे यहां अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति है जिसका कार्य यह है कि देखे कि अधीनस्थ अधिकारों का ठीक प्रकार से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, no act can exceed the provisions of the constitution. If some act exceeds then it will be illegal to that extent. According to our Constitution the procedure laid down for a Money Bill should have been followed in this case too. It can be changed only according to the provisions of the Constitution. They cannot change it by means of a resolution.

श्री तेन्नेटि विश्वानाथम (विशाखापतनम्) : एक सीमा तक करों में वृद्धि की अनुमति हो सकती है। परन्तु सरकार के लिए यह उचित नहीं है कि सीमा के बाहर भी कर लगाये। संविधान में लिखा है कि संसद कार्यपालिका को करों का अधिकार नहीं दे सकती।

न्यायालयों द्वारा भी प्रत्यायोजित विधान के द्वारा अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : भारतीय प्रशुल्क अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रत्यायोजित किया जाना अच्छा था या बुरा इसके बारे में न्यायालय ही बता सकेगी। परन्तु पूरे अधिकार इसके अन्तर्गत नहीं दिये गये हैं। इस अधिकार का प्रयोग कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है। परन्तु इस अधिसूचना के अनुसार शुल्क की दर 10 से 25 प्रतिशत कर दी गई हैं। अधिसूचना जारी करने की परिस्थितियों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

निदेश

श्री निदेश सिंह : रुपये का अवमूल्यन 6-6-1966 को किया गया था तो इस समय खाल और चमड़े का 10 प्रतिशत की दर से यथामूल्य निर्यात शुल्क लगाया गया था। शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुनाफा भी बढ़े और निर्यात मद के इकाई मूल्य को भी संरक्षण दिया जा सके। ऐसी आशा है कि रुपयों में प्राप्त होने वाली शेष रकम से खाल और चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

बकरी, भेड़ तथा भेड़ बकरी के बच्चों को तैयार किये गये चमड़े का काम जिस से प्रति बर्ष लगभग 2 करोड़ रु० का निर्यात होता है अच्छी तरह नहीं चल रहा है। इस प्रकार के तैयार किये गये चमड़े पर से निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय किया गया। सांप की खाल के बारे में यह अनुभव किया जा रहा है कि इस मद का निर्यात काफी अच्छा हो रहा है। बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि सांप की खालों के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की गुंजाइश है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सांप की खालों पर निर्यात शुल्क की दर 10 प्रतिशत तथा मूल्य से बढ़ा कर 25 प्रतिशत यथा मूल्य कर दिया गया।

अधिसूचना इस कारण जारी करनी पड़ी कि हमने चमड़े के दूसरे सामान पर निर्यात-शुल्क समाप्त कर दिया था और यदि हम सांप की खाल पर निर्यात शुल्क न बढ़ाते तो उस पर भी निर्यात शुल्क समाप्त हुआ समझा जाता। इस प्रकार सरकार को अनावश्यक घाटा उठाना पड़ता।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4 क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1340 का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा सांप की खाल पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत यथामूल्य से बढ़ाकर 25 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया है"।

श्री दत्तात्रेय कुंटे (कोलाबा) : सरकार को 1967 के जुलाई,–सितम्बर में पता चल गया था कि सांप की खालों का मूल्य 80 रु० से बढ़ कर 217 रु० हो गया है। फरवरी से 10 अप्रैल तक सभा का सत्र चल रहा था और एक दम सरकार ने 10 अप्रैल को ही अधिसूचना जारी कर दी। ऐसा करने का उन्होंने कारण नहीं बताया है। यदि वह 1967 के जुलाई-सितम्बर से अप्रैल 1968 तक इस अवधि के दौरान वसूल किये जाने वाले शुल्क का इन्तजार कर सकते थे तो उन्हें अब चाहिये कि धारा 4 में निहित भावना का सम्मान करें और इस अधिसूचना को वापिस ले लें। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। वह कल फिर इसे सभा के सामने ले कर आ सकते हैं।

Shri A.B. Vajpayee (Balrampur): The Commerce Minister has said that the Government had to abolish export duty on some items and the notification was issued so as to avoid any loss to the Government. But it has not been made clear as to why the export duty on this item was increased.

I have my doubts about this motion. If this motion had been brought before the office in the form of money bill, then the position would have been different. As far as the question of increasing or decreasing duty is concerned, it is the prerogative of Lok Sabha and Rajya Sabha cannot consider this Bill or suggest any amendments therein. But Government did

not present any Bill in this regard and issue the notification and by this motion, Government is giving the right to Rajya Sabha also in regard to making amendments in this regard. This may create difficulties for the future.

Besides, it has not been clarified as to whether it was very necessary to issue the notification on the date on which it was issued. Couldn't, the Government wait for some days more and was it not possible for the Government to include this motion in the Firance Bill and then present it before the House ?

I request that the Commerce Minister to answer these questions properly otherwise the House would have to reject this motion.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Through this discussion it has become quite clear that the parent act has been passed by this house and that parent act has given to this House the right to increase the duty but the Government would have to move a motion in this house to the effect that the duty be increased.

Now it has been asked as to why the duty was increased on the 10th April. But this question is superfluous. After consultations with others, Government considered it worthwhile to increase the duty and it was increased and the reafter Government moved a motion before the House in this regard, as early as possible. It is neither an amending bill nor a money bill.

Threefore the motion may be adopted.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : धारा 4 (क) में कहा गया है कि यह अधिसूचना 7 फरवरी, 1968 से लागू मानी जायेगी । सरकार भूतलक्षी प्रभाव से कर नहीं लगा सकती ।

दूसरे धारा 4 (क) (1) में कहा गया है कि "सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा दूसरी अनुसूची के संशोधन का आदेश कर सकती है ।" किन्तु दूसरी अनुसूची तो संकल्प द्वारा ही संशोधित की जा रही है । अधिनियमों में संकल्पों द्वारा संशोधन करके हम एक खतरनाक उदाहरण पेश कर रहे हैं ।

जल्दबाजी करना उचित नहीं है । यह भूतलक्षी प्रभाव रखने वाले एक विधेयक के रूप में लाया जा सकता है और यदि सभा इसे भूतलक्षी प्रभाव देना चाहती है तो इस अधिनियम को संशोधित करने वाला विधेयक पास किया जा सकता है ।

Minister for Commerce (Shri Dinesh Singh) : I had told as to how the pricess had gone up in one particular quarter. It is obvious that they must be pertaining to some previous quarter and I have already given figures in regard to that particular quarter. I cannot give figures for any quarter in future.

It has been asked as to why the notification was issued on a particular date. In this connection I just now said that we had removed export duty on the skins with effect from the 1st February. At that time we knew that the snake skin would yield more profit and therefore export duty need not be imposed on the snake skin. If we had enhanced the duty after a month, it would have done us no good.

We had issued the notification on that date only because on that date we had removed the export duty. We did not want to incur the loss of the export duty and there is no such provision in law.

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : श्रीमान् इस पर मतदान करने से पहले मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूँ कि क्या संविधान के अनुसार सरकार को समुचित विधान के अलावा एक अधिसूचना जारी करके भूतलक्षी प्रभाव से कर लगाने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने धारा को पढ़ लिया है। यह किसी अधिसूचना को भुतलक्षी प्रभाव देने से नहीं रोकता।

श्री सेझियान (कुम्बकोणाम्) : किन्तु यह धारा वह शक्ति भी नहीं देती।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात के बारे में धारा में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया हैं। अब प्रश्न यह हैं कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 1968 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1340 का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा सांप की खाल पर निर्यात शुल्क 10 प्रतिशत **यथामूल्य** से बढ़ाकर 25 प्रतिशत **यथामूल्य** कर दिया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

वित्त विधेयक–1968

FINANCE BILL—1968

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि।

" वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रस्तावों में सबसे अधिक टिप्पणी उस प्रस्ताव पर की गई जो सम्पत्ति को छिपाने के लिए सम्पत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत लगाये जाने वाले जुर्माने में वृद्धि करने के बारे में है। चिन्ता का वास्तविक कारण यह है कि उचित कर निर्धारण के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिस कर-दाता ने अपनी आस्तियों का उचित मूल्यांकन करने का प्रयास किया है उसे दण्डित न किया जाये और किसी भी अवस्था में जुर्माना एक स्वतन्त्र प्राधिकारी द्वारा सही मूल्य निर्धारित किये जाने के बाद ही वसूल किया जाये। जुर्माने को कार्यवाही में साबित करने की जिम्मेदारी राजस्व से हटा कर कर-दाता पर डालने से पहले हमारा यह विचार है कि निर्धारित सम्पत्ति और विवरणी में बताई गई सम्पत्ति के बीच के अनज्ञेय अन्तर को 20 प्रतिशत से बढाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये। इस बीच एक विभागीय मूल्यांकन संगठन स्थापित किया जायेगा और मूल्यांकन करने वाली अधिकारी की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जायेंगी तथा उनका मूल्यांकन कर अधिकारियों को भी मानना होगा। इस आशय के प्रशासनिक अनुदेश कर दिये जायेंगे कि आस्तियों के कम मूल्यांकन द्वारा छिपाई गई सम्पत्ति के लिए जुर्माना अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मूल्यांकन सम्बन्धी निर्णय दिये जाने के बाद ही वसूल किया जायेगा। आशा हैं कि इन उपायों के अपनाये जाने के बाद ईमानदार व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं होगी।

विधेयक के उस उपबन्ध की भी आलोचना की गई हैं जो क्रास चैक अथवा क्रास बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त 2500रुपये से अधिक की राशि में किये गये भुगतान के खर्च की अस्वीकृति के सम्बन्ध में है।

संभवत: सदस्यों ने करापवंचन की घटनायें रोकने के उद्देश्य का समर्थन किया है और इस विधान का भी यही आशय है। एक सुझाव यह दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चैक

अथवा बैंकें ड्राफ्ट द्वारा भुगतान में कुछ कठिनाईयां हो सकती हैं। किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए विधेयक के अन्तर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त किये जा रहे हैं ताकि इस आय-कर नियमों में ऐसे मामलों और परिस्थितियों का उल्लेख किया जा सके जिनमें अस्वीकृति के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। नियमों के प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व लोकमत जानने के लिए परिचालित किया जायेगा।

इस प्रस्ताव का कि कृषि-आधारित उद्योगों द्वारा बीज खाद और कृषि के लिए विस्तार सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय पर करारोपण से छूट दी जाये, सामान्यतः स्वागत है। कुछ अभ्यावेदनों में और विधेयक पर पेश किये गये कुछ संशोधनों में यह सुझाव दिया गया है कि पशु-पालन, दुग्ध-शाला, और कुक्कुट पालन में इस्तेमाल के लिए सामान और विस्तार सेवाओं पर होने वाले व्यय पर भी छूट दी जाये। मैं इन सुझावों को स्वीकार करता हूं और मेरा इस महती उद्देश्य के लिए विधेयक के उपबन्ध में सरकार की ओर से एक संशोधन पेश करने का विचार है। विधेयक में यह व्यवस्था करने का बिचार है कि 1968-69 के लिए भी मूल कार्यवाही में कर निर्धारण कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा को उस कर-निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से चार वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया जाये। यह भी विचार है कि कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए रकम वापस करने के दावों को निपटाने की समय-सीमा भी चार वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दी जाये।

विधेयक में ऐसी व्यवस्था है कि सरकार पांच वर्षीय जमा खातों को आय-कर से मुक्त कर सकती है। सम्पत्ति कर अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार के पास जमा राशि पर सम्पत्ति-कर से छूट तो मिलनी थी किन्तु उसको नियोजक की कर-योग्य सम्पत्ति पर वसूल किये जाने वाले सम्पत्ति-कर की दर तय करने के लिये हिसाब में जोड़ा जाना था।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाक-घर बचत बैंकों में जमा राशि पर सम्पत्ति-कर से पूरी तरह छूट हैं, यह विचार है कि सरकार के पास पांच वर्ष के लिए जमा राशि को सम्पत्ति कर से पूरी तरह छूट दी जाये।

अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जन समुदाय के उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। प्रस्तावित शुल्क से प्रभावित उद्योगों ने अनेक अभ्यावेदन दिये हैं जिनके कर प्रस्तावों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। उनमें यह विचार प्रकट किया गया है जैसे कुछ उद्योगों को मंदी से काफी नुकसान हुआ है और यह कि इस शुल्क से निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा आदि आदि। हमने देखा कि इन आपत्तियों की कोई वैद्यता नहीं है और इनका उत्पादन शुल्क हटाने या उसमें कमी करने के अतिरिक्त अन्य ढंग से समाधान अच्छी तरह हो सकता है। अतः इन प्रस्तावोंमें कोई सारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं।

स्टील फर्नीचर बनाने वाले और मिठाई तैयार करने वाले उद्योगों को छोटे-छोटे यूनिटों से राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में कुछ प्रशासनिक कठिनाईयां हो सकती हैं। जब तक ये उद्योग बिजली से नहीं चलते इन पर कर नहीं लगता लेकिन इनमें से कुछ छोटे उद्योगों को चाहे वे बिजली से चलते हों, छूट देना उचित ही होगा। इसलिए सरकार का विचार है कि किसी वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक 50,000 रुपये का स्टील फर्नीचर तैयार करने वाले उद्योगों को

पूरी छूट दी जाये। ऐसे उद्योगों को जिनमें स्टील फर्नीचर का वार्षिक उत्पादन दो लाख रुपये से कम मूल्य का होता है। पहले 50,000 रुपये के उत्पादन पर छूट मिलेगी। इसी प्रकार मिठाई उद्योगों को किसी वित्तीय वर्ष में 20 टन उत्पादन पर पूरी छूट देने का विचार है। यह छूट उन उद्योगों को भी मिलेगी जिनका वार्षिक उत्पादन 40 टन से अधिक नहीं है।

मिठाई पर शुल्क की दर में कमी करने की कोई जरूरत नहीं है।

कसीदाकारी उद्योग पर करों के बारे में यह प्रस्ताव है कि प्रशुल्क मुल्य निर्धारित कर दिया जाये जिसमें कर-निर्धारण व्यवस्था सरल होगी और शुल्क में एक रूपता आयेगी। रेडियो वाल्वों और ट्रांसिस्टरों पर शुल्क का इसलिए विरोध किया गया है कि इससे कम मूल्य वाले रेडियो सैटों की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि ट्रांसिस्टर और रेडियो रखने की इच्छा मौजूदा समय की तरह चलती रहे तो निश्चय ही मंडी में आगामी वर्षों में सस्ते रेडियो के उत्पादन में बहुत विकास होगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को देखते हुए यह कोई ठोस कारण नहीं है।

जहां तक इस आलोचना का सवाल है कि इससे विशेषकर ट्रांसिस्टरों और वाल्वों की तस्करी बढ़ेगी, हम इसको रोकने के लिये हर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

शक्ति–चालित करघा बुनकरों को कुछ सहायता देने के लिए फाइन और सुपरफाइन काउन्टस के 'साइज' धागे पर शुल्क को कम कर दिया गया है और इस प्रकार होने वाली राजस्व की हानि को धागा तैयार करने के तरीके पर शुल्क को बढाकर पूरा करने का प्रस्ताव है। यह अभ्यावेदन किया गया है कि स्वतन्त्र प्रोसेसरों से प्रोसेसिंग का काम अन्यों को सोंपने के कारण प्रोसेसिंग शुल्क की चोरी की जा सकती है। और इस बात को रोकने के लिए यह प्रस्ताव है कि धागे पर से, जो बिजली की सहायता से और मानवीय परिश्रम से बनाया जाता है, प्रोसेसिंग शुल्क पर मिलने वाली वर्तमान छूट को वापस ले लिया जाये।

उत्पादन शुल्क अधिकारियों के कारखानों में तैयार होकर निकलने वाले माल पर व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि इस वर्ष प्रथम जून से यह योजना लागु कर दी जायेगी।

डाक तथा तार शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि की अनेक सदस्यों ने आलोचना की है। इस बारे में दिए गये सभी सुझावों पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है। दुर्भाग्य से कुछ सुझाव के माने जा सकते हैं उनसे कोई विशेष बचत नहीं होगी। पोस्ट कार्डों की 80 प्रतिशत लागत उन को संभालने में होने वाले व्यय से सम्बन्धित है। डाक तथा तार शुल्क में वृद्धि करने से पूर्व अन्य देशों में वसूल किये जाने वाले शुल्क पर ध्यान दिया गया है, और यहां जिन दरों का प्रस्ताव किया गया है वे किसी प्रकार भी अन्य देशों में वसूल किये जाने वाले शुल्क से अधिक नहीं है। सरकार डाक तथा तार विभाग को ही राजस्व का बड़ा साधन नहीं मानती है। लेकिन सरकार को आशा है कि वह अपने पूंजी विनियोजन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कुछ आन्तरिक साधन जुटाये और अपना अंश दे।

पिछले कुछ सप्ताहों में मूल्यों का ढंग लगभग सन्तोषजनक रहा है। थोक मूल्य सूत्रकांक में निरन्तर गिरावट आई है और मार्च 1968 के अन्त में यह वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय की तुलना में लगभग एक प्रतिशत कम रहा है। खाद्यान्नों के मूल्य में गिरावट पर कुछ सदस्यों द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह इस कारण उचित नही है कि खाद्यान्न के मूल्य अभी भी

बारह महीने पहले के मूल्यों से 4 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने गेहूं के समाहार मूल्य की जो घोषणा की है वह पंजाब के बड़े बाहुल्य क्षेत्रों में लगभग वही है जो पिछले मौसम में थे। जो समाहार मूल्य निर्धारित किये गये हैं उनसे किसानों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा यह भी घोषणा की गई है कि समाहार मूल्य पर जितना माल मिल सकेगा, सरकार उसे खरीदने को तैयार रहेगी। अनाज बाहुल्य वाले क्षेत्रों में गोदामों की कमी की ओर ध्यान दिया जा रहा है। आशा है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में अनाज का समाहार करने के लिये हर सम्भव उपाय करेगी। सामान्यतः आर्थिक स्थिति में सुधार से यह सम्भावना नजर आती है कि हम चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिसको तैयार करने का काम सत्यनिष्ठा से शुरू कर दिया गया है, आर्थिक विकास में और योगदान दे सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं वित्त विधेयक के सम्बन्ध में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि वित्त विधेयक आय-कर अधिनियम में संशोधन करने का साधन बन रहा है और गत वर्ष संशोधन दोहरे थे। एक प्रकार के संशोधन चालू वित्तीय कर-निर्धारण वर्ष में लागू आय-कर अधिनियम के बारे में थे और दूसरे संशोधन अगले कर-निर्धारण के लिए थे। इस वर्ष फिर चालू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में संशोधन और दूसरे अगले वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में संशोधन दोहरे संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है इससे करदाता और विभाग को बड़ी भ्रान्ति होती है और अधिकारियों को जब वे कर-निर्धारण करने आते हैं, ये पता नहीं चलता है कि उन्हें किस ढंग से काम करना है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहले वाणिज्य मंत्री द्वारा पेश की गई एक अधि-सूचना पर चर्चा हुई थी और इसका इस वित्त विधेयक से कुछ सम्बन्ध रहा हैं। अधिसूचना में कई परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया था जब इनमें अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के गुणावगुणों के बारे में इन बातों के महत्व और स्थितियों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान असम्भव है। अच्छा यह होता यदि वित्त विधेयक को इस प्रकार पेश करते समय प्रशुल्क में सभी परिवर्तन वित्त विधेयक में अनुसूची के रूप में शामिल किये जायें बजाय इसके कि कुछ संशोधन वित्त विधेयक द्वारा किये जाये और कुछ अधिसूचना द्वारा। जब वित्त विधेयक बाजार के साथ सभा में पेश किया गया था तब हर कोई यह समझता था कि काफी कुछ किया जा रहा है। वह एक पहला मौका था जब वित्त मंत्री कुछ बातों में कराधान ढांचे में परिवर्तन करने के लिये जनता की मांग के अनुरूप कार्य कर रहे थे। किन्तु यह एक ऐसा तरीका साबित हुआ जिसमें एक हाथ से एक चीज दी गई और दूसरे हाथ से छीन ली गई। उदाहरण के लिये, संशो-धनों में 500 रुपये तक की लाभांशों से आय की छूट की व्यवस्था थी जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये थी। कराधान ढांचे में यह परिवर्तन जोकि बड़ा उचित परिवर्तन था ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों कमा रहे हों, पति या पत्नी भत्ता समाप्त करके बराबर कर दिया गया है।

[**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुई**
Shrimati Lakshmikanthamma in the chair]

परिणामस्वरूप इन दम्पत्तियों को जो अब तक 150 रुपये की छूट मिल रही थी वह खत्म कर दी गई।

रजिस्टर्ड फर्मों के भागीदारों पर कराधान के मामले में रजिस्टर्ड फर्मों के नाम से होने वाली शुद्ध आय पर कराधान की नई व्यवस्था इस पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा, जहां उन पर कुल आय पर कर लगता था और उनको रजिस्टिर्ड फमों द्वारा दिये गये कर के बारे में कर की औसत दर पर छूट मिलती थी, उत्तम है। लेकिर इसको भी एक और छूट देकर दूसरी ओर से रजिस्टर्ड फर्मों पर कराधान की दर में वृद्धि करके छीन लिया गया है क्योंकि रजिस्टर्ड फर्मों की आय पर कर की छूट को भागीदारों पर कराधान के समय ध्यान में रखा जायेगा। वार्षिक जमा योजना और अर्जित आय पर भिन्न अधिकार अनुचित उपबन्ध के उदाहरण हैं। वित्त मन्त्री के तीनों परिवर्तनों द्वारा संशोधन पेश करके इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाले सभी सम्भावित आर्थिक लाभ को नगन्य कर दिया है पहला अल्पाविधि पूंजी की अवधि फिर 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई हैं। दूसरे 75000 रुपये से अधिक आय पर आय-कर की दर में वृद्धि और 1,00,000 रुपये से अधिक की आय में कर की दर में और अधिक वृद्धि और तीसरे, सम्पत्ति पर कर की दरों में वृद्धि जहां तक व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष कराधान का सम्बन्ध है इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि इसका शुद्ध आर्थिक प्रभाव नगण्य होगा। प्रत्यक्ष कर-दाताओं में तो थोड़े समय के लिये खुशी की लहर आई थी वह ठंडी पड़ गई है। एक और सहायता देकर अनुचित तौर पर दूसरी ओर कर लगाकर इसे बराबर कर देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा लगता हैं कि या तो प्रत्यक्ष करों मे ये परिवर्तन जहां तक वे लाभप्रद थे सिद्धान्त रूप से उचित थे या नहीं थे। अति लाभांश कर की समाप्ति समेत प्रत्येक सुविधद उसके गुण-दोषों को देखते हुए उचित थी क्योंकि इनमें परिवर्तन कर दिया गया हैं।

यदि वे 1969-70 के कर निर्धारण वर्ष में उचित थी तो 1968-69 के कर निर्धारण वर्ष के लिये उन्हें उचित क्यों नहीं समझा गया ? यदि वे उनके गुण-दोषों को देखते हुए उचित थी उन्हें 1968-69 के कर-निर्धारण वर्ष के बारे में जितनी जल्दी लागू किया जाये उतना ही अच्छा होगा।

कर अपवंचन की एक बड़ी पेचीदी समस्या है और कई वर्षों से वित्त विधेयक में विभिन्न उपाय किये गये है, पर यह बुराई बढती ही जा रही है। मेरे विचार से इसे रोकने के लिये वित्त विधेयक में ठीक रास्ता नहीं अपनाया। वास्तव में कर-अपवंचन और कर की दरों में सीधा सम्बन्ध है और जब तक कर की दरों के स्तर को इतना कम नहीं किया जायेगा जिसे ईमानदार करदाता भी उचित समझे, तब तक कर अपवंचन जारी रहेगा।

जहां तक कर-प्रशासन का सवाल है यह विधान जो इसको सरल बनाने के लिये पेश किया गया है वह और पेचीदा हो गया है। इसमें कई प्रकार से तकलीफें और पेचीदगियां बढ़ गई हैं जैसे पुरस्कारों, मनोरंजन-व्यय, विज्ञापन, उस राशि से अधिक का भुगतान जो आय-कर अधिकारी व्यापार चलाने के लिये उचित और आवश्यक समझता हैं, आदि का न माना जाना। फलस्वरूप करदाता की कर देने की क्षमता की परीक्षा ली जा रही है। दूंसरी न माने जाने वाली बात कर की प्रभावी दर है। करदाता को पता नही चलता कि कर की प्रभावी दर क्या होगी क्यों कि उसे यह पता नहीं कि आय कर अधिकारी की राय में कौन सी मद पर और कितना व्यय वह उचित समझेगा और कितना नहीं।

इस प्रकार के प्रशासन से कर-निर्धारण और कर-वसूली में विलम्ब हुआ है जिसमें करावंचन की सम्भावनायें बढती हैं। आय-कर अधिनियम में स्वेच्छा से प्रकट करने सम्बन्धी उपबन्ध

समाप्त होने चाहिये । ईमानदार करदाता कराधान प्रशासन के प्रकार, दर के ढाँचे का प्रकार और विभिन्न प्रकार के व्यय के लिये अनुमति न दिये जाने योग्य व्यय के रूप में स्वीकार की जाने वाली किसी चीज के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक होना चाहिये। आय, कर-वसूली की तंत्र-प्रणाली दण्ड लागू करने वाली यंत्र-प्रणाली और दोनों को ही अपर्याप्त प्रवर्तन वास्तविक कर अपवंचनों के मुकाबले में बिल्कुल ही असहाय हो गया हैं। और एक ईमानदार करदाता के संदर्भ में परेशान करने का एक भंयकर साधन बन गया है।

आयकर और सम्पत्ति-कर की दरों में वृद्धि की जा रही है। कर्मचारियों की परिलब्धियां, मनोरंजन-व्यय और कर्मचारियों के सम्बन्धियों को मजदूरी तथा वेतन में और कटौती की जायेगी।

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी निदेशक के किसी सम्बन्धी को नियोजित किया जाता है तो कई मंजूरी लेनी पड़ती हैं। उन स्वीकृतियों-अंशधारियों की अनुमति, सरकार की अनुमति, जहां आवश्यक हो, की छानबीन की जाती है। लेकिन कर्मचारी के सम्बन्धियों को भुगतान की,जिसके बारे में अनुमति और स्वीकृती प्राप्त की जा चुकी है। एक बार फिर आय-कर अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। अब वित्त विधेयक में कर्मचारी के सम्बन्धियों को दिये जाने वाले वेतनों और मजदूरियों को नामंजूर करने के लिये वित्त विधेयक में सभी तरह के जटिल माप-दण्ड शामिल किये गये हैं। इतना ही नहीं कर अपवंचन के लिये दण्डों सम्बन्धी अत्यन्त असाधारण उपबन्ध भी विधेयक में शामिल किये गये हैं।

धारा 32 के द्वारा सम्पत्ति-कर अधिनियम में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित उपबन्धों में उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर आय का हिसाब किताब छुपाता है तो समझा जायेगा कि उसने अपराध किया है। किसी व्यक्ति द्वारा घोषित परि-सम्पत्ति और कर अधिकारी द्वारा मूल्यांकित परिसम्पत्ति के मूल्य में अन्तर कोई विषयपरक अन्तर नहीं हैं। यह राय का अन्तर हैं। लेकिन नये उपबन्ध के अनुसार, यह समझा जायेगा कि उसने जान बूझकर अपनी आय का हिसाब-किताब छिपाया है। यह कुछ विचित्र हैं क्योंकि निजी मतों में मतभेद हो सकता है फिर दण्ड उस रकम से कम नहीं होगा जो कम बताई गई है और उस रकम से दुगुनी रकम से ज्यादा भी नहीं होगा। एक ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वह बहुत कम कर की रकम का अपवंचन करता हैं, 10 लाख रुपये की सलैब वाले व्यक्ति की अपेक्षा कर से अपवंचित रकम के अनुपात से अधिक दंड देना पड़ता है। यह सिद्धान्त उचित दिखाई नहीं देता। कर शून्य रक़म तथा दंड की रक़म में कुछ सम्बन्ध होना चाहिये।

पिछले अनुभव से स्पष्ट हो गया है कि अधिक कराधान, जिसे ईमानदार लोग उचित नहीं मानेंगे, इस पर अधिक निषेध और आय-कर अधिकारी पर मुख्य बोझ डालने का परिणाम यह होगा कि निरन्तर परेशान किया जायेगा और निर्धारिती यह नहीं जान सकेगा कि उसकी क्या स्थिति है और इस तरह के दूषित दंड से कर-अपवंचन और अधिक होगा। सरकार को इस सम्बन्ध में स्वस्थकर दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

पिछले 20 वर्षों में कपड़ा उद्योग विशेष रूप से मध्यम और मोटा कपड़ा बनाने वाले उद्योग की स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। काफी स्टाक इक्ट्ठा हो गया है। मन्दी बड़ी विचित्र है और इन मध्यम और मोटे कपड़ों पर उत्पादन शुल्क लगाने के कारण लोग कपड़ा नहीं खरीद रहे

हैं। इसका कारण यह नहीं है कि कपड़े की लागत बहुत ज्यादा है, बल्कि इसका कारण यह है कि लोग इन मूल्यों पर कपड़ा नहीं खरीद सकते।

प्रशीतन यंत्र और वातानुकूल, रेडियो और फालतू पुर्जे बनाने वाले उद्योगों को मंदी से इतना नुकसान नहीं हुआ है, जितना कि अन्य बहुत से उद्योगों को। लेकिन यदि देश को मंदी से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है तो उन उद्योगों को भी जिन्हें नुकसान नहीं हुआ है, काफी नुकसान होगा। यह वित्त विधेयक समग्र रूप में ठीक नहीं है।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : वित्त मंत्री ने यह एक सही नीति ही अपनायी है कि 1969-70 से सभी आयकर मूल्यांकन 2 वर्षों की अवधि में पूरे हो जायेंगे, जबकि इस समय वर्षों में पूरे किये जाते हैं। इससे बकाया रकम कम करने में सहायता मिलेगी और करदाता भी कर-दायित्व के बारे में सही स्थिति जान सकेगा। यह भी व्यवस्था की जाएगी कि उन मामलों को भी दो वर्षों के अंदर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये जिन्हें पुनः खोला जाता है। ऐसे आय-कर मामलों को एक वर्ष के अन्दर पूरा किया जाना चाहिये जहां आय-कर अधिकारी के मूल्यांकन अपीलीय अधिकारियों द्वारा अलग कर दिये जाते हैं। ऐसे मामलों को भी एक वर्ष में अन्तिम रूप दिया जाना चाहिये जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के आयुक्त को भेजे जाते हैं और अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास भेजी जाती है।

प्रति वर्ष कर दाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आयकर अधिकारियों की संख्या उस सीमा तक नहीं बढ़ी है। इस आयकर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि आवशयकीय है। 7500 रुपये तक का मूल्यांकन आय-कर निरीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिये ताकि उच्चतर अधिकारियों को बकाया रकमों की वसूली के अधिक बड़े मूल्यांकनों को निपटाने में अधिक समय मिल सके।

पिछले वर्ष सूत के उत्पादन शुल्क में इतनी ज्यादा वृद्धि की गई थी कि अब जो राहत दी जा रही है उससे उद्योग को कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस वर्ष के दौरान 7 मिलें और बन्द हो गयी हैं। इस समय कुल 59 मिलें बन्द हो चुकी हैं और बहुत सी अनेक संकट से गुजर रही हैं। इसलिये कपड़ा उद्योग, विशेष रूप से कताई मिलों की ओर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। इसलिये शुल्क कम कर दिया जाये ताकि वे अपना धागा कम मूल्य पर बेच सकें। वे अपना धागा बेचने की स्थिति में नहीं हैं और स्टाक जमा हो गया है।

इसलिये उत्पादन शुल्क कम किया जाये ताकि वे कम मूल्य पर धागा बेच सकें। सूत पर उत्पादन शुल्क में कमी करने से राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा। कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में शामिल किया जाये ताकि इसे अग्रिम लेने तथा कर-राहत प्राप्त करने का लाभ मिल सके। कुछ अन्य उद्योगों को जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

मंदी के कारण कोई देश आयात नहीं करना चाहता। निर्यात-वृद्धि कठिन है और इसमें कुछ समय लगेगा। प्रतिकूल व्यापार के अन्तर को ठीक करने के लिये यह जरूरी है कि आयातों पर रोक लगायी जाये।

हम अपने आयात कम कर सकते हैं बशर्ते कि हम सही दिशा में उचित कार्यवाहीं करें।

इस समय हमें निर्यात से 1,1000 करोड़ रुपये की आय होती है। 600 करोड़ रुपये की आय पारस्परिक और 500 करोड़ रुपये की आय गैर-पारस्परिक निर्यातों से होती है। हम अपनी अविलम्ब आयात आवश्यकताओं को पारस्परिक निर्यातों से पूरा कर सकते हैं। अन्य आयातों को गैर-पारस्परिक निर्यातों से सम्बन्ध किया जा सकता है। यदि हम शुल्कों तथा कटौती की दरों में कुछ अन्तर करें और अपने उद्योगों को कुछ सीधे प्रोत्साहन दें तो हम काफी हद तक अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। हमें देश में निर्मित पूंजी सामान पर अधिक विकास और ह्रास मूल्य में छूट देनी चाहिये। हम इस समय भी बहुत सी ऐसी चीजों का आयात कर रहे हैं जिनका निर्माण देश में होता है। हमें ऐसे आयतों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिये ताकि हम अपने प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन को सन्तुलित कर सके।

इस समय देश से बाहर काफी चाँदी तस्कर व्यापार द्वारा भेजी जा रही है। हर रोज 20-25 लाख अर्थात् 80 करोड़ रुपये की चाँदी हर साल तस्कर व्यापार द्वारा बाहर भेजी जा रही है क्योंकि अन्य देशों में चाँदी की कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिये यदि हम इसका निर्यात नियमित कर दें तो हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और बहुत सी चीजों की तस्करी भी रोक सकते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मण्डसौर) : सभापति महोदय, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य विकास की उच्च दर, जिसमें स्थिरता हो, प्राप्त करना होना चाहिए। इस संदर्भ में कराधानन्त्र ऋण और घाटे की अर्थ-व्यवस्था का विशेष महत्व है क्योंकि सकल आर्थिक गतिविधि पर इनका प्रभाव पड़ता है।

सरकार की कर नीति से यह काम पूरा नहीं हो सका और गति अविरुद्ध हो गई है। दूनिया के देशों में भारत में सबसे अधिक कर लगाये गये हैं। उत्पादन शुल्क हर साल बढ़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप साधारण आदमी पर बोझ निरन्तर बढ़ रहा है। यदि यह बोझ कम कर दिया जाये तो इससे सामान्य कल्याण-कार्यों को योगदान मिलेगा और इससे उपभोक्ता मांग को पुनर्जीवित करने में भी सहायता मिलेगी। उच्च उत्पादन शुल्क वस्तुओं की कीमत में शामिल हो गये हैं जिससे मुद्रास्फीति पैदा हो गई है और अर्थ-व्यवस्था में मन्दी की प्रकृति के बावजूद भी दाम नीचे गिर रहे हैं। इसलिये सामान्य उपभोक्ता की वस्तुओं जैसे कि मोटे कपड़े पर उत्पादन-शुल्क कम किये जाने चाहिये।

बजट में अनिमित तम्बाकू तथा बीड़ी पर जो शुल्क लगाई गई है उससे निर्धन व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

ऐसी अर्थ व्यवस्था में, जो मन्दी से गुजर रही है और जब लाभ गिर रहे हैं, अतिकर लगाने में कोई औचित्य नहीं हैं। इससे अर्थ-व्यवस्था का पुनर्जीवित होना अधिक कठिन हो जाता है और इसके अलावा यह कार्य कुशलता पर बोझ है। भूथालिंगम समिति ने भी सिफारिश की थी कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिये।

जब किसी कम्पनी को समाविष्ट किया जाता है तो इसे परियोजना की तैयारी, कम्पनी को चालू करने जैसे काम शुरू होने से पहले कुछ कार्यों पर खर्च करना पड़ता है। इन खर्चों को किस्तों में अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

ऊंचे करों से अर्थ-व्यवस्था पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। पहले तो यह कि आद्योगिक विस्तार के लिये लाभों का उपयोग करने के लिये आरक्षित निधियों का निर्माण करने के लिये उद्योगों की अक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कम्पनी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। शेयरों में पैसा लगाने वाले लोगों के लिये आकर्षण काफी कम हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप बाजार से शेयर पूंजी की व्यवस्था करने में कम्पनियों को कठिनाई होती है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ देशों ने करों में कटौती की है और इन कटौतियों से अर्थ-व्यवस्था को बहाल करने को इतना प्रोत्साहन मिला कि राजकोष को भी कोई नुकसान न हुआ। कर ढांचा देश में विद्यमान स्थितियों, स्थिर विकास की आवश्यकता, न कि सैद्धान्तिक विचारों, के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

श्री भूलिंगम ने सिफारिश की थी कि विकास छूट खत्म की जानी चाहिये और निगमों पर एक प्रतिशत पूंजी परिसम्पति शुल्क लगाया जाना चाहिये। यदि इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है तो इनसे आगामी आर्थिक विकास की गति काफी तेज हो जायेगी।

मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति की स्थितियों में वृद्धि को देखते हुये 4,000 रुपये की न्यूनतम कर छूट सीमा कम से कम 6,000 रुपये तक बढ़ायी जानी चाहिये।

आय खण्डों के सम्पूर्ण ढांचे, विशेष रूप से 10,000 रुपये से 70,000 या 60,000 रुपये की आय पर पुनः विचार किया जाये ताकि विभिन्न आय खण्डों की आय कर में वृद्धि को बढ़ाया जा सके दूसरे शब्दों में ऐसे आय खण्डों पर करं की दरों को घटाया जा सके।

पंजीकृत फर्मों पर दोहरा कर लगाने में कोई औचित्य नहीं है। विधि आयोग तथा श्री भूतलिंगम ने सिफारिश की थी कि इस दोहरे कर को खत्म किया जाये।

केवल साधारणीकरण से कर ढांचा उत्पादन-प्रधान अथवा विकासोन्मुखी नहीं बन जाये गा। जरूरत इस बात की है कि कानून के असमान और सताने वाले उपबन्धों को हटाया जाये। कर की दरों को कम करना जरूरी है।

वित्त मन्त्री के इस प्रस्ताव का स्वागत है कि मूल्यांकन दो वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना चाहिये। मूल्यांकन को पुनः आरम्भ करने के बारे में भी दो वर्षों की सीमा रखी जानी चाहिये। यह भी महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिकारियों द्वारा अपीलीय निर्णयों को अमल में लाने के समय की भी सीमा होनी चाहिये। आय-कर अधिकारियों के लिए अन्तिम मूल्यांकन करना अनिवार्य बना दिया जाये जहां कर का लेखा प्रस्तुत करने पर करदाता को रकम वापिस की जाये। इस समय कानून में व्यवस्था है कि वह ऐसा कर सकता है लेकिन ऐसा कभी नहीं किया जाता।

केवल व्यय के लक्ष्यों तक पहुँचना ही पर्याप्त नहीं है। उत्पादन व्यय अथवा पंजी व्यय के बराबर होना चाहिए तभी मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है।

चौथी योजना बनाते समय पिछले दस वर्षों के अनुभव को नहीं भूल जाना चाहिए। योजना वास्तविक होनी चाहिये और उपलब्ध संसाधनों के अनूकूल होनी चाहिये। योजना की निरन्तर समीक्षा आवश्यक है। हमें लचीला होना चाहिये और कार्यान्वित की निकटता से जाँच की जानी चाहिये ताकि लक्ष्यों में असंतुलन और कमियों से बचा जा सके।

सरकारी उद्यमों में उच्चतम अधिकारी सिविल नौकर या राजनीतिज्ञ न हों। वे टैकनो-

लीविज्ञ हों । उन्हें समाजवादी देशों तथा पूंजीवादी देशों में उन संयुक्त निगमों में प्रशिक्षण दिया जाये तो सफलतापूर्वक टेकनोलोजीविज्ञों द्वारा चलाई जाती है ।

वित्त मन्त्री ने जो कुछ किया है, उसके अलावा व्यय में 5 प्रतिशत कटौती करें । योजना आयोग, लौह तथा इस्पात निर्यत्रक का कार्यालय, खाद्य विभाग, इंगलैण्ड में भारतीय दूतावास, सामुदायिक विकास तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय में बचत की जा सकती है । फ्रांस के योजना आयोग में केवल 60 स्थायी सिविल कर्मचारी हैं और उन्होंने पहले दर्जे के परिणाम प्राप्त किये हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : डाक की दरों में किसी राहत की व्यवस्था न करने के लिए वित्त मंत्री ने यह तर्क दिया है कि डाक सम्भालने पर बहुत व्यय होता है और वह चाहते हैं कि डाक-तार विभाग आत्म-निर्भर हो । हम चाहते हैं कि सरकारी कार्य कलाप का मापदण्ड आत्म-निर्भरता हो ।

वित्त मंत्री ने अनेकों कार्य ऐसे शुरू किये हैं जिनसे बचत तो होगी लेकिन इनमें वह अविलम्बनीयता नहीं जो कि दिखाई जानी चाहिये थी । भारत की अर्थव्यवस्था चुनोतियों को भी स्वीकार कर सकती थीं और यदि चुनोंतियों का दिलेरी से मुकाबला किया जाये तो वे सदा अवसर बन सकती हैं ।

वित्त मंत्री उस चुनौती को स्वीकार करने की स्थिति में थे क्योंकि प्रकृति ने कृषि क्रान्ति लाने में सहायता की है । कृषि उत्पादन, जो 1000 से 1050 लाख टन हो सकता है, की अपेक्षा कृषि में क्रान्ति की ओर अग्रसर होना अधिक महत्वपूर्ण है । इससे हम सम्पन्नता की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि कृषि उत्पादन इस देश में सभी उत्पादन का आधार हैं ।

रचनात्मक शक्ति प्रदान करने तथा संसाधनों की व्यवस्था करके कृषि को जीने योग्य बनाना आवश्यक है ।

हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण इतना सीमित है कि वे केवल शहरी इलाकों तक ही सीमित रहते है वे बड़े नगरों में शाखायें खोलते हैं । परिणाम यह होता हैं कि वे केवल कुछ चुनीदां लोगों की मांग पूरी करते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोलने के लिए बहुत कुछ कहने के बावजूद भी उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है । यदि वित्त मन्त्री अपने सामाजिक नियंत्रण विधान द्वारा बैंकों को अधिक उपयोगी बना सकें और हर जगह पर इनका जाल बिछा सकें तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती । लेकिन इस समय स्थिति ऐसी है कि देहाती इलाकों में काफी धन राशि दी जा रही है । यदि हमने इस पर तत्काल कर लगाना चाहा तो हम सफल नहीं होंगे क्योंकि वे इसके आदी नहीं है । इसलिये हमें व्यापक ढंग से देहाती क्षेत्रों में बैंक प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उस आय का उपयोग कर सकें । उन लोगों को इन बैंकों में अपना धन जमा कराने मैं प्रसन्ता होगी । ऐसा छोटे या सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जाता हैं ।

लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि स्वार्थी लोग इससे लाभ न उठायें । बिहार में निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने के लिये सहकारी समितियों को इस्तेमाल किया जा रहा है । रिजर्व बैंक को एक सर्वेक्षण करना चाहिये और उन सूराखें को बन्द करना चाहिये ताकि हम जो धन देहाती क्षेत्रों में लगाते हैं उसका दुरुपयोग न किया जाये । देहाती बैंकिंग प्रणाली का विस्तार

करके तथा इसे शक्तिशाली बना कर देहाती बचतों को एकत्र किया जा सकता है और देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि हमें देहाती अर्थव्यवस्था से लगभग 500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। जब तक हम देहाती सहकारी समितियों तथा छोटे बैंकों की व्यवस्था नहीं करते तब तक हम देहाती साधनों को जो व्यर्थ पड़े हैं, प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

एक और जरूरी बात यह हैं कि मूल्य में स्थिरता लाई जाये। मूल्यों में काफी कमी की गुंजाइश नहीं है लेकिन नये सापेक्ष मूल्य होने चाहिये। जिनमें ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिये। यदि हम 12 महीनों के लिये मूल्यों में सापेक्ष स्थिरता रखने में कामयाब हो गये तो भारतीय अर्थव्यवस्था का काफी संकट समाप्त हो जायेगा।

भारत में माल की तस्करी ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। इसके पीछे कोई षड़यत्र है और इस षड़यंत्र में कुछ देशों विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान का हाथ है क्योंकि वे हमारी अर्थ व्यवस्था नष्ट करना चाहते हैं। यह तस्करी उत्तरी सीमाओं, पूर्वी सीमाओं, समुद्रों तथा अन्य मार्गों से हो रही है। इस चाल में हमारे कुछ लोगों का भी हाथ है। यदि तस्करी को न रोका गया तो सम्पूर्ण भारतीय अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी, इस प्रश्न को युद्ध-स्तर पर हल किया जाना चाहिये।

हमारे कम्पनी कानून का उद्देश्य यह है कि विदेशी कम्पनियों कार्यकारी अधिकारियों के काफी पदों की काफी संख्या में व्यवस्था नहीं कर सकेंगी। कम्पनी कानून में व्यवस्था की गई है कि कम्पनी के लाभ का केवल 5 प्रतिशत वेतनों के लिये इस्तेमाल किया जायेगा। लेकिन यह 10 या 15 प्रतिशत तक किया गया है। कुछ ऐसी भारतीय और विदेशी कम्पनियां हैं जहां एक व्यक्ति का वेतन ढाई लाख रुपये से ज्यादा है। हम वित्त मन्त्री से अपील करते हैं कि प्रशासन को तेज किया जाये कम्पनी कानून प्रशासन क्या कर रहा है ? यदि जीवन बीमा निगम पहल करे तो वे काफी कुछ कर सकते हैं क्योंकि निजी रूप से जीबन बीमा निगम का शेयर सबसे ज्यादा है वित्त मन्त्री को इसकी गम्भीर रूप से जांच करनी चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : बजट प्रस्तावों पर वाद-विवाद के दौरान परिवहन मंत्री द्वारा घाटे की अर्थव्यवस्था के मामले की वकालत बड़े अच्छे ढंग से की गई थी, उप-प्रधान मन्त्री ने भी इस वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था की बात कही और दोनों ने घाटे की अर्थव्यस्था को सर्वोत्तम समाधान बताया और इससे जो लाभ हो सकता है उसके आधार पर लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है।

पिछले वर्ष जब उप-प्रधान मन्त्री बजट पेश कर रहे थे तो यह घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि "हम इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं कि इस समय हमारा प्राथमिक विषय यह होना चाहिए कि मुद्रास्फीति की मनोवृति को खत्म किया जाये।" इसके बाद उन्होंने कहा "यह संतुलित बजट होना चाहिए। यदि यह संतुलित बजट नहीं है और यदि इससे घाटा होता है तो इससे हर व्यक्ति को नुकसान होगा।" पिछले वर्ष एक संतुलित बजट को अच्छा समझा गया था। इस वर्ष घाटे के बजट को अच्छा समझा गया है।

घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाने का एक मुख्य तर्क यह दिया गया है कि चालू वर्ष 1967-68 में अच्छी फसल हुई है और इसलिए 290 करोड़ या 300 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था

अर्थ प्रणाली में खपाई जा सकती है। यदि ऐसा है तो यह अच्छी बात है। लेकिन पहले का अनुभव यह है कि उत्पादन में काफी कमी होने पर भी घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। उनका सिद्धान्त यह है कि घाटे की अर्थव्यवस्था से मूल्य नहीं बढ़ेंगे और यह उत्पादन द्वारा जज्ब कर लिया जायेगा लेकिन अनुभव से मालूम होता है कि ऐसी बात नहीं है मूल्य स्तर बढ़े बिना की अर्थव्यवस्था घाटे की अर्थव्यवस्था को खपा नही सकेगी।

उत्पादन अधिक होने पर भी थोक मूल्य सूचकांक में कोई कमी नहीं हुई। सरकार को आशा है कि औद्योगिक उत्पादन 5-6 प्रतिशत अधिक होगा और इस वर्ष अच्छी फसल होगी। सन् 1964-65 और 1965-66 में भी यही स्थिति थी। लेकिन उस समय मूल्य नहीं गिरे थे। घाटे की अर्थव्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था से उत्पादन बढ़े तो यह अच्छी चीज है। लेकिन यदि इससे केवल मांग बढ़ेगी तो इससे मूल्य बढ़ जायेंगे और मुद्रास्फीति की प्रवृतियां पैदा हो जायेंगी।

परिवहन मन्त्री ने अपने भाषण में कहा कि सरकारी व्यय में वृद्धि भी उत्पादन वढ़ाने का एक उपाय है। इससे केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यदि यह विकास व्यय है तो ठीक है लेकिन यदि यह विकास व्यय नहीं है तो इससे मुद्रास्फीति की प्रवृति बढ़ेगी और गैर-विकास व्यय को हमारी अर्थव्यवस्था में अधिकाधिक स्थान दिया गया है।

इस वर्ष तथा पिछले वर्ष के बजट प्रस्तावों से स्पष्ट हो जाता है कि कर लगभग स्थिर हो गये हैं। इन परिस्थितियों में, हो सकता है कि मुद्रा सप्लाई की वृद्धि से माल और सेवाओं की मुद्रास्फीतिजनक मांगें पैदा होगी। लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 77 करोड़ रुपये फिजूल खर्च किया गया और इससे बचा जा सकता था। हम जानता चाहते हैं कि क्या वित्त मन्त्री ने इसे खत्म करने के लिये कोई कदम उठाया था।

जहां तक पोस्ट कार्ड का सम्बन्ध है, एक विचित्र तर्क यह दिया गया है कि देश में 75 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं और इसलिए वे इसका इस्तेमाल नहीं करते और इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तर्क के आधार पर हम इस रकम की बचत कर सकते हैं जो शिक्षा और इसी तरह के अन्य कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण भी, चाहे वे अनपढ़ हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं।

श्री भूतलिंगम ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में तर्क दिया था कि आय-कर छूट सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कर दी जाये। वित्त मन्त्री को इस सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री बी० ना० कथ्थम (जलपाईगुडी) : मैं उन उपायों का पूरा समर्थन करता हूं जिनका वित्त मन्त्री ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव दिया है। उनके समुदाय के सभी वर्गों को कुछ राहत देने सम्बन्धी प्रस्ताव अत्यन्त सराहनीय हैं। मन्त्री महोदय जो कुछ कर रहे हैं उससे अधिक करना कठिन है।

उत्तर बंगाल में स्थिति सामान्य नहीं है। इस का कारण आर्थिक स्थिति और बेरोज़गारी हो सकती है। कुछ चाय उद्योगों में श्रमिक हड़तालें हुईं जिसके परिणामस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी और भारी नुकसान हुआ। यद्यपि सरकार ने कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाये हैं तथापि अन्य समस्यायें हल नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष

में काफी डकैतियां पड़ीं जिनसे काफी जन धन का नुकसान हुआ। कुछ राजनीतिक दल, जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। इन समाज विरोधी तत्वों का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार को इन घटनाओं की सूचना दी गई लेकिन इन तत्वों को रोकने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई। उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है जिनको नुकसान पहुंचा।

सरकार को ग्रामीणों को कृषि विकास के लिए पूरी सहायता पहुंचानी चाहिये। उत्तर बंगाल में सड़क संचार की कमी है। इस क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिकाधिक सामुदायिक विकास खण्डों की आवश्यकता हैं।

जलपाईगुडी चुनाव क्षेत्र में 3 लाख से अधिक आदिमजाति लोग हैं। वे शिक्षा और अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। निम्नतर प्राथमिक पाठशालायें भी बहुत कम हैं। पीने के पानी की तंगी है। वहां कोई ऐसा औषधालय या अस्पताल नहीं हैं जहां गांव के लोग आसानी से पहुंच सकें। अधिकाँश आदिमजाति क्षेत्रों में गांवों में कोई सड़क नहीं है (इस प्रकार मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं से वंचित रखा गया है। सरकार को मेरे चुनाव क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू बजट में पर्याप्त निधि की व्यवस्था करनी चाहिये।

मेरे चुनाव क्षेत्र में कई हाई स्कूल हैं लेकिन कालेज शिक्षा के लिए सुविधाओं की कमी है। जनता ने सरकार से आग्रह किया है कि धूपगुरी में, जिस के निकट कई हाई स्कूल हैं। एक सरकारी कालेज स्थापित किया जाये। इस मांग को पूरा किया जाये।

मेरे इलाके में सड़क संचार बहुत खराब है। सरकार को कूच-विहार और जलपाईगुड़ी जिलों के सकेन्द्रित आदिमजाति क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था यथाशीघ्र करनी चाहिये।

जलपाईगुड़ी के सभी आदिमजाति क्षेत्रों को आदिमजाति विकास खण्डों में शामिल किया जाना चाहिये। इस वर्ष कम से कम कुमार ग्राम थाना को विकास खण्डों में शामिल किया जाना चाहिये और महाकालगुरी या खोआरडांगा को इस का मुख्य कार्यालय बनाया जाना चाहिये।

हाल ही में जलपाईगुड़ी में पुलिस ने विद्यार्थियों पर गोली चलाई। पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच करने के लिए जनता ने न्यायिक जांच की मांग की। सरकार को न्याय के हित में जनता की इस मांग को स्वीकार करना चाहिये।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : अगली जुलाई तक लगभग 83,000 इंजीनियर और डिप्लोमाधारी बेकार होंगे। हम उप प्रधान मन्त्री से जानना चाहते हैं कि उन को रोजगार देने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है,

जहाँ तक कर अपवंचन का सम्बन्ध है। जो व्यक्ति का अपवंचन करता है। वह एक अपराध करता है और उसे अवश्य दन्ड दिया जाना चाहिये।

जहां तक सम्पति कर का सम्बन्ध है, मेरा तर्क यह हैं कि इसे खत्म कर दिया जाये और इसके स्थान पर पूंजी शुल्क लगाया जाये। सम्पत्ति कर राज्य की आय के साधन के रूप में नहीं लगाया जाता बल्कि यह तो एक समाजवादी उपाय है। इसका उद्देश्य सम्पत्ति में विषमता को दूर करना है और समान वितरण की व्यवस्था करना हैं। लेकिन एक समाजवादी उपाय के रूप में

हमें इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। पूंजी शुल्क से हमारा प्रयोजन अधिक अच्छे ढंग से हल हो जायेगा।

मेरा सुझाव यह भी है कि इस रकम का एक अलग कोष बनाया जाये और इसे केवल निर्धन लोगों पर खर्च किया जाये ताकि गरीब आदमी महसूस करे कि धनी लोगों से वसूल किये जाने वाले कर से उसे कुछ लाभ होता है।

हमें इस समय अपने राजनीतिक वातावरण को साफ करने की कोशिश करनी चाहिये। राजनीति, राजनीतिज्ञों और मन्त्रियों को बड़े-बड़े व्यापारियों की इच्छाओं पर कार्य करने देना भ्रष्टाचार है। वित्त विधेयक में एक ऐसी धारा भी होनी चाहिये जिसके अन्तर्गत किसी भी व्यापारिक संस्था को किसी राजनीतिक दल को कोई अंशदान देने की कोई अनुमति न दी जाये।

इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चुनाव के बाद संसद सदस्यों को चुनाव विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में आंकड़े बहुत कम हो सकते हैं लेकिन हमें अनुभव के आधार पर मालूम है कि संसद सदस्य अपने आप को बचाने के लिए इन विवरणियों में गलत आंकड़े भरते हैं। यदि संसद सदस्य ऐसा करते हैं तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता हैं। मेरा विचार है कि चुनाव कानून में ऐसा संशोधन किया जाये जिससे संसद सदस्य को ग़लत चुनाव विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। इससे वातावरण साफ होगा।

अनुच्छेद 39 के अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को आजीविका का एक पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आय-कर और सम्पत्ति-कर की राशि कुल मिला कर कुछ नागरिकों की कुल आय से भी अधिक है तो यह संविधान के इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। वित्त मंत्री को देश में एक ऐसी स्थिति तैयार करनी चाहिये जिसके अन्तर्गत, करारोपण का स्तर जो भी है। सभी करों के इकट्ठा करने के बाद किसी व्यक्ति की शुद्ध आय का कम से कम प्रतिशत निश्चित किया जाये। सभा इस बात का फैसला कर सकती है कि एक व्यक्ति की कितनी आय हो। किसी नागरिक को अपनी पूंजी पर निर्भर रहने के लिये वाध्य करना आलोकतांत्रिक है। मुझे आशा है कि जन पूंजी शुल्क पर विचार किया जाता है तो सम्पत्ति कर की कोई आवश्यकता नहीं होगी, धनी और निर्धन के बीच अन्तर को न्यूनतम किया जायेगा और निर्धनता को काफी हद तक कम किया जायेगा।

प्रो० कालडर के अनुसार अधिकतम आय कर 45 प्रतिशत होना चाहिये जबकि भारत में 92 प्रतिशत है और न्यूनतम वार्षिक सम्पत्ति कर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत होना चाहिये। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर तरह के कर लगाये जाते हैं।

कुछ लोग अच्छे खासे अमीर लोगों की श्रेणी में आते हैं जो ईमानदार हैं और अपने कर देना चाहेंगे। किन्तु उनकी आय पर अस्वाभाविक रूप से लगाये गये करों के कारण वे भी कभी कभी करापवंचन करने के लिये वाध्य हो जाते हैं। यदि हमारे करारोपण के ढांचे को स्वाभाविक बना दिया जाये तो शायद लोग करापवंचन करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करेंगे।

आय-कर निरीक्षकों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उन से वे अत्याचार करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए वित्त मंत्री को दण्डात्मक खंड पर पुनः विचार करना चाहिये। वित्त मंत्री एक ओर तो भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी ओर इन अधिकारियों को सम्पत्ति के मूल्य से भी दुगुना जुर्माना लगाने की शक्ति दी जा रही है। जो जुर्माना लगाया

जाता है उसका अपराध के साथ अवश्य कुछ सम्बन्ध होना चाहिये । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे । यदि आय कर अधिकारियों को दण्डात्मक अधिकार दिये जाते हैं तो मंत्री महोदय को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यदि आय कर अधिकारी किसी नागरिक के साथ पक्षपात करते है या किसी से अनुचित लाभ प्राप्त करत हैं तो उनको भी दण्ड दिया जाता है । मुझे आशा है कि मूल्यांकन अधिक होने पर सरकार सम्बन्धित सम्पत्ति को खरीदने के लिए तैयार होगी ।

यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय किया जाता है तो वह वित्त मंत्री तक कैसे पहुंचेगा । कई बार पूरा प्रशासन भ्रष्ट होता है । ऐसी अवस्था में मंत्री महोदय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि साधारण नागरिक उन तक पहुंच सके ।

एक ऐसी समिति बनाई जानी चाहिये जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इस बारे में पत्र लिख सके कि अमुक आय कर अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और यह समिति वित्त मंत्री के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये । तभी नागरिक कुछ राहत की सांस ले सकेंगे ।

श्री न० कु० साल्वे (वतूल) : वर्तमान परिस्थितियों में यह बजट सर्वोत्तम है । इसने देश में गतिशीलता का वातावरण पैदा कर दिया है और निवेश बाजार में काफी सुधार हुआ है और औद्योगिक उत्पादन का महत्व काफी बढ़ गया है । निर्यात बढ़े रहे है । मूल्य स्थिर हो गये है । इस प्रकार आशा है कि हम आर्थिक मन्दी को दूर कर सकेंगे । किन्तु वित्त मंत्रीं को स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखनी चाहिये और देखना चाहिये कि हमारे लाभ अल्पकालिक न हों ।

हमारे कर कानून, अयुक्तिसंगत, बोझीले और अत्यन्त पेचीदा हैं । उन्हें न तो कर-विशेषज्ञ और न ही करदाता समझ सकते हैं । गत 6 वर्षों में हमने आय-कर कानूनों में 600 से भी अधिक संशोधन करके उनमें सुधार कर दिया है । ऐसे अस्पष्ट कानूनों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को ही होता हैं । 1967 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि कर-निर्धारण की 10 प्रतिशत जांच पड़ताल करने से ही 740·78 लाख रुपये के कम मूल्यांकन का पता चलता है । ये गणित की गलतियां हैं जो अधिकारियों के इस कानून को न समझ सकने के कारण हुई हैं । इसलिए हमें अपने आय-कर अधिनियम की 75 धारायें बना देनी चाहिए ताकि कर-निर्धारण करने वाले अधिकारी कुल आय को ठीक ढंग से निर्धारित करके उस पर कर का हिसाब आसानी से लगा सकें ।

अलग अतिभार को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि करारोपण की दरों की वह सारणी सरल हो जायेगी जिसमें बड़ी कठिनाई होती हैं और जिसके कारण कर निर्धारण होता है । इसी प्रकार, लोक भविष्य निधि योजना को आरम्भ करके सही दिशा में कदम उठाया गया हैं और इसके द्वारा कर में कुछ राहत देकर बचत को बढ़ावा मिलेगा । इसी तरह पांच वर्षीय जमा योजना है जिसमें 5 प्रतिशत कर मुक्त ब्याज मिलता है । हमारी अर्थ व्यवस्था और बचत के लिए ऐसी अन्य योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए ।

वित्त विधेयक के खण्ड 7 का उद्देश्य आय कर अधिनियम में एक नई धारा 40-क को जोड़ना हैं । यह सम्बन्धियों को किये जाने वाले भुगतान के बारे में कुछ राशि को नामंजूर

करने के सम्बन्ध में है। यह धारा नहीं जोड़ी जानी चाहिए क्योंकि इस से प्रशासन की परेशानियां और बढ़ जायेंगी।

आय-कर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों में, करदाता द्वारा जान बूझ कर की गई उपेक्षा के मामले में न्यूनतम जुर्माना निर्धारित आय का 20 प्रतिशत और अधिकतम जुर्माना निर्धारित आय का 150 प्रतिशत उल्लिखित है। नए उपबन्ध द्वारा न्यूनतम जुर्माने को बढ़ाकर 100 प्रतिशत और अधिकतम जुर्माने को २०० प्रतिशत किया जा रहा है, किन्तु कानून में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, इसलिए इससे भी करापवंचन नहीं रुक सकेगा। इसका अभिप्राय केवल यह होगा कि आय कर अधिकारी को ऐसे करदाताओं के विरुद्ध मुकदमा चला कर उन्हें जेल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि इस समय किया जाता है। वे जुर्माने लगाते रहेंगे। इसी कारण लोक लेखा समिति ने टिप्पणी की थी कि आय-कर विभाग, मुकदमा चलाने के लिए मामला तैयार किये बिना ही जिस ढंग से जुर्माने लगाया जा रहा है, उससे वह परेशान है। यदि प्रत्येक करापवंचन करने वाले व्यक्ति को अनिवार्यतः बन्दी बनाने का उपबन्ध रखा जाता तो उसे हम अधिक पसन्द करते। जो उपबन्ध हम करने जा रहे हैं उस से अधिकारियों में ढील आ जायेगी और वे 1964 में दी गई उस राहत से लाभ उठायेंगे जिसके अन्तर्गत सिद्ध करने की जिम्मेदारी विभाग से छीन कर करदाता पर डाल दी गई थी। इसके फलस्वरूप, विवरणी में बताई गई आय और निर्धारित आय के बीच ज्योंही कोई अन्तर होता है त्योंही विभाग जुर्माना लगा देता है। अतः वे और अधिक जुर्माना लगायेंगे और दोषी करदाता को दण्डित करने और उसे जेल भेजने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। यदि करदाता दोषी है और यदि हम करापवंचन रोकने की वास्तविक इच्छा रखते हैं तो फिर विभाग मुकदमा चलाने से क्यों डरता है ?

सम्पत्ति कर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत यदि कोई करदाता अपनी आस्तियों की विवरणी के आंकड़ों के समर्थन में, सम्पत्ति कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञ का प्रभारण पत्र भी साथ भेजे तो उस करदाता का पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाये। ऐसा जुर्माना अनावश्यक हैं और इस प्रकार हम कर-निर्धारण करने वाले अधिकारियों के हाथों में बहुत अधिक अधिकार और शक्ति सौप देंगें जिनके कारण कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं।

कर-अपवंचन की समस्या सरल नहीं है और इसका कोई तैयार शुदा समाधान नहीं है। इसके लिए निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है और जब तक देश की सम्पूर्ण स्थिति नहीं सुधरेगी और जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जायेगा तब तक कर अपवंचन में कमी की आशा करना असम्भव है।

करापवंचन को समाप्त करने के लिए हमें वित्तीय नीति पर और अधिक व्यावहारिक तथा वास्तविक ढंग से विचार करना चाहिए। विभाग से अक्षमता, भ्रष्टाचार अन्याय को दूर किये बिना देश में कर-अपवंचन को समाप्त नहीं किया जा सकेगा।

साथ ही विभाग ने अपने अधिकारियों के साथ बहुत अधिक न्याय नहीं किया है। उनकी सेवा की शर्तें ऐसी हैं कि अधिकारीगण इनसे सन्तुष्ट नहीं है। उन लोगों में काफी निराशा व्याप्त है क्योंकि विभाग में उनके लिए पदोन्नति के अवसर नहीं है। इन हालतों में कार्य कुशलता के

स्तर में सुधार नहीं किया जा सकता । यदि अर्थव्यवस्था खराब होगी तो राजनीति भी खराब होगी । यह बात चौथे आम चुनाव से सिद्ध हो गई है ।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : The Finance Minister have got an opportunity to present Finance Bill at a time when our plans are on holiday. But I hope the Fourth Plan would commence by the time next Financial Bill is brought before the House.

In regard to Fourth Five Year Plan, the question has been raised before us as to whether the rate of growth during the next plan should be 4, 6, 7, or 9 per cent and the question of resources causes geat concern to us.

[श्री गु० सि० दिल्लों पीठासीन हुए
(Shri G.S. Dhillon in the chair)]

The welath of the country has increased by 42-43 per cent during the last 20 years. But only a small portion of this wealth has gone towards consumption, capital formation and augmenting the revenue of the Government by way of taxes. This should be thought over seriously and a solution found out.

The income of the people in the agricultural sector has increased. A moneyed class has emerged in this sector. The Government should provide institutions in the rural areas so as to mop up savings of the people. At present land revenue is being charged at flat rate. It should be linked to income from agriculture.

The corporate sector is entering agriculture sector. Thus black money is being converted into white money. Either agricultural incometax or progressive revenue land should be introduced.

The Government should take effective measures to check tax evasion. The tax evaders should be strictly dealt with. Concrete steps should also be taken to recover tax arrears.

Sales tax and excise duty should be merged. This will check evasion of salex tax, harassment by bureaucracy and saving on tax collecting machinery. Certain State Government are opposed to this because they are apprehensive that they may not get their due share. This matter can be discussed with the State Governments and the Finance Commission.

In order to increase our recources we will have to take certain concrete steps and act boldly. Foreign trade skould be nationalised. The Government Should auction the import licences if it is not prepared to do so. It will fetch money for the Government. At present black marketeer are making money. This money will go to the Government.

Ceiling should be imposed on urban income and property in the interest of social justice and equitable distribution of wealth.

The public sector should also earn profits for the Government. At present the public sector undertakings are being managed by the persons who want to sabotage public sector and bring it to disrepute. The management of the public sector should be entrusted to the persons who have full faith in the sector. The employees in the public sector should feel that they are working for the nation They should be associated with the management.

सदस्यों की गिरफ़्तारी, दोषसिद्धि और रिहाई
ARREST, CONVICTION AND RELEASE OF MEMBERS

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष के नाम सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, पार्लिमेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, से प्राप्त दिनांक 29 अप्रैल, 1968 के दो सदृश पत्रों की सूचना सभा को देता हूँ जिसमें बताया गया है कि कच्छ पंचाट के विरुद्ध इरविन मूर्ति के पास जो पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, के क्षेत्राधिकार में हैं, जलूस निकाल कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के

अन्तर्गत निषेध आदेश का उलंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत लोक-सभा के सदस्य सर्व श्री केदार पासबान और गुणानन्द ठाकुर को 29 अप्रैल, 1968 को 12-10 बजे म० प० पर गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आज विचारण के लिये पेश किया जा रहा है।

मैं अध्यक्ष के नाम नई दिल्ली, के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनांक 29 अप्रैल, 1968 के एक अगले पत्र के बारे में भी सभा को सूचना देता हूं जिसमें बताया गया है कि इरविन मूर्ति नई दिल्ली के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेध आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत लगाये गये एक आरोप के लिये लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री केदार पासवान और गुणानन्द ठाकुर का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के सामने विचारण हुआ और उन्हें न्यायालय के उठने तक कैद की सजा दी गई। इन सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया गया और आज न्यायालय के उठने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

वित्त विधेयक—जारी
FINANCE BILL-CONTD.

श्री म० सुदर्शनम (नरसारावपेट) : यह विधेयक सही दिशा में अपनायी जाने वाली नीति का परिचायक है और इससे देश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। इक्विटी की समाप्ति, लाभांश कर, अतिकर में कटौती, वार्षिकी जमा की समाप्ति। अर्जित तथा अनर्जित आय के बीच से अन्तर को दूर किया जाना आदि सराहनीय उपाय हैं। बैंक दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से भी पूंजी के ढांचे में सहायता मिलेगी।

लेकिन कुछ प्रस्तावों का प्रतिकूल प्रभाव भी होगा। उदाहरण के तौर पर, करारोपण में राहत का अभाव है। जो राहत दी गई है वह मामूली है। नये और अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं। केन्द्रीय बजट, रेलवे बजट और डाक-दरों में प्रस्तावित वृद्धि से जनसाधारण और चालू उद्योग पर बोझ पड़ेगा।

अल्पकालिक पूंजी आस्तियों को, जो 24 महीनों से भी कम समय के लिए किसी व्यक्ति के पास रहे, पूंजी लाभ में शामिल करके इस पर और अधिक कर लगाने से वास्तव में भारी कठिनाई होगी।

उस बारे में दो भिन्न राय नहीं हो सकती कि कर-अपवचन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन यह आवश्यक है कि कर से बचने के लिए आय छिपाने और सम्पत्ति कर के लिए सम्पत्ति का कम मूल्यांकन करने के बारे में जो कानून हैं उन्हें तभी लागू किया जाना चाहिये जबकि वह जान बूझ कर किया गया हो और किसी स्वतन्त्र अधिकारी ने उसे सिद्ध कर दिया हो, ताकि कर अपवंचन को रोकने से सम्बन्धित उपायों के कारण ईमानदार कर दाताओं को हानि न पहुंचे।

सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो मार्गदर्शन किया गया हैं वह सराहनीय है। भूल के लिए 25 प्रतिशत की सीमा रखना उचित ही है। जब तक मामला अपील की दूसरी सीढ़ी तक न पहुंच जाये जुर्माना स्थगित रखा जाना चाहिये।

यह बात आय कर अधिकारी पर छोड़ी जा रही है कि करदाता या कम्पनी से किसी डायरेक्टर के संबंधियों को माल, सेवाओं या सुविधाओं के लिए की गई अदायगी को वैध व्यवसाय की आवश्यकताओं के लिए अत्याधिक या अनुचित होने के आधार पर न माने। इस उपबन्ध में आयकर अधिकारी पर जो उत्तरदायित्व रखा गया है क्या वह उसे ठीक ढंग से निभा सकेगा ? माल या सेवाओं के मूल्य का निर्धारण अत्यधिक तकनीकी ढंग का काम है

रुई की कीमतें
COTTON PRICES.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : यहां पर किसानो के प्रश्नों पर बहुत कम विचार किया जाता है और किसान को आम तौर पर अपना उचित हिस्सा नहीं मिलता।

कपास नीति सामान्य रूप से तीन बातों पर आधारित होनी चाहिये।

पहली यह हैं कि पिछले वर्ष नवम्बर दिसम्बर में।

आधे घण्टे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

की अवधि में राज्यवार कपास के मूल्य। दूसरी बात है चालू बाजार मूल्य पर वे मूल्य भाव क्या हैं। तीसरी बात यह है कि क्या सरकार रुई के लिए सहायता प्राप्त मूल्य लागू करने का विचार रखती हैं। सचाई यह है कि पिछले 20 वर्षों से कपास कीं कीमतें न्यूनतम मूल्य से काफी कम हैं। हर वर्ष कपास उत्पादन की कपास की पैदावार का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है जिससे मिलों और व्यापारियों को भारी लाभ और किसानों को हानि होती है।

टैक्सटाइल कमिश्नर का कार्यालय कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध होना चाहिये। कृषि मंत्रालय को खेती की पैदावार और बाजार में उसके बेचे जाने की व्यवस्था की देखभाल करनी चाहिये। इसलिए कई बार यह मांग उठाई गई है कि यह कार्यालय या तो समाप्त कर दिया जाये या वाणिज्य मंत्रालय से हटा कर कृषि मंत्रालय को सौंप दिया जाये। टैक्सटाइल आयुक्त के कार्यालय का काम केवल यह देखना है कि कपास के मूल्य कम से कम रखे जायें और वे ऐसा करने में सफल हुए हैं। कपास का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न कई बार उठाया गया हैं और यह स्वीकार किया जाता है कि निर्धारित मूल्य किसानों के लिये लाभप्रद है। पिछले 20 वर्षों में कपास का अधिकतम मूल्य दो चार बार बढाया जा चुका है लेकिन न्यूनतम मूल्य वही का वही है और अधिकतम मूल्य के अनुपात में नहीं बढ़ा है। इन सभी वर्षों में कपास की फसल खेतों से मंडियों में आने के समय कपास के मूल्य बहुत कम रहे। इसका कारण आने-जाने पर प्रतिबन्ध या मिलों द्वारा खरीद पर प्रतिबन्ध होना है।

कपास के मूल्य पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है। फिर भी कपास के मूल्य काफी कम रहे हैं जिसका कारण यह है कि उसके कारण लाने ले जाने, ऋण और स्टाक रखने पर अभी तक नियंत्रण है और भारतीय कपास मिलों के संघ ने संकल्प किया है कि वे एक महीने से अधिक के स्टाक के लिए कपास नहीं खरीदेंगे।

जब अधिकतम मूल्य हटाने के लिए हमने मंत्रालय से कहा तो उसने उसे शीघ्र हटा लिया लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि कपास के मूल्य काफी कम हो रहें। इस पर सहमति व्यक्त

की गई है कि कपास के मूल्य, सरकार के अनुसार भी, मिलों के अनुकूल किये गये इसके उपायों के बावजूद भी उन अधिकतम मूल्यों के आस-पास ही चलते रहे जो कि एक दो वर्ष पहले थे। ऐसी स्थिति में उचित यह था कि जब कभी मूल्य अधिकतम मूल्य से कम हो जाते ? सरकार शीघ्र कार्यवाही करती। पर इसका परिणाम क्या हैं ? मन्त्री महोदय ने इस सभा में यह वायदा किया था कि कपास का स्टाक रखने पर नियन्त्रण हटा दिया जायेगा और इसका आदेश नई दिल्ली से बम्बई तक दो महीनों में पहुंचा। मंत्री महोदय ने कहा था कि वह मिल मालिकों की संस्था को यह सलाह देंगे कि वह एक महीने के कोटे से अधिक कपास न खरीदने के संकल्प को वापस ले लें। मिल मालिकों ने यह वक्तव्य दिया कि संकल्प वापस लेने की सलाह देना मंत्री महोदय का काम नहीं हैं। इसलिए या तो सरकार कोई सार्थक नियन्त्रण रखे जिसका मुख्य उद्देश्य कपास का मूल्य आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाये रखना होना चाहिये। या उन्हें नियन्त्रण नहीं रखना चाहिये। कपास का मूल्य निश्चित करते समय, ऐसा नियंत्रण रखने के लिए सरकार को न्यूनतम मूल्य ही नहीं बल्कि समर्थित मूल्य भी ध्यान में रखना चाहिये जो कि चालू अधिकतम मूल्य की उचित सीमा होती है। इसका उचित इलाज यह है कि सरकार दृढ़ विचार के साथ कपास का मूल्य वर्तमान अधिकतम मूल्य पर ही केवल निश्चित न करे बल्कि राज्य व्यापार निगम या खाद्य निगम या किसी अन्य सरकारी एजेंन्सी के माध्यम से यह आश्वासन दे कि यदि कपास के मूल्य तथा कथित समर्थित मूल्य से नीचे गिर जायेंगे तो सरकार कपास खुले बाजार में खरीदने के सबसे पहले कदम नहीं उठायेगी। सरकार का इरादा स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिये कि यदि कपास का मूल्य तथाकथित समर्थित मूल्य से काफी ऊंचे भी हो जायेंगे तो सरकार बड़े पैमाने पर कपास खरीद लेगी ताकि तथाकथित मुनाफाखोर कपास का स्टाक न भर सकें।

प्रति एकड़ उपज बढाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि कपास का मूल्य बढाया जाये और यह केवल अधिकतम सीमा पर नहीं बल्कि उससे 10-15 प्रतिशत अधिक मूल्य पर निश्चित किया जाये।

Shri Deoras Patil (Yeotmal) : The Ministry should take concrete steps so that cotton cultivators get fair price for their produce. Support price should be fixed for cotton. The farmer is not benefitted by the existing support price for cotton and the advantages of it go to the traders and textile mills. Since there is no policy to give support price of raw cotton to the farmers, they are being robbed. Therefore I submit that support price for raw cotton should be fixed.

The Agricultural Prices Commission should be asked to suggest the price which the farmers should get for their cotton.

What steps are being taken to set up a cotton corporation to produce raw-cotton and build buffer stock ?

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : कपास देश की सबसे बड़ी वाणिज्यक फसल है। 20 लाख से अधिक एकड़ से अधिक भूमि पर कपास की खेती होती है। फिर भी हमें हर वर्ष 50—60 करोड़ रुपये की कपास का आयात करना पड़ता है क्योंकि हमारी प्रति एकड़ उपज सबसे कम है जो विकसित देशों की अपेक्षा एक तिहाई है। इस समय कपास के वितरण की

जिम्मेदारी कपड़ा आयुक्त की है। सरकार को एक ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए जो कपास की किस्म और प्रति एकड़ कपास की उपज में वृद्धि की देखरेख करे।

इस समय हम अन्य देशों से कपास का आयात कर रहे हैं। आयात की व्यवस्था इस तरह की जानी चाहिये कि आयात की गई कपास बाजार में पहले आये और भारतीय कपास उसके बाद बाजार में आये ताकि कपास के आयात का भारतीय कपास के मूल्य पर प्रभाव न पड़े।

बड़े रेशे वाली और छोटे रेशे वाली किस्म की कपास की मिलावट की जाती है। कपास ओटने वाली प्रैसों से कहा जाये कि वे गांठों पर संख्या डालें और यदि किसी गांठ में मिलावट पाई जाये तो उस कपास ओटने वाली प्रैस को दण्डित किया जाये।

श्री श्रद्धाकर सूपकर (सम्बलपुर) : हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि पी० एल 480 समझौता जब से किया गया है तब से देश में कपास का उत्पादन स्थिर हो गया है। हालांकि इस वर्ष उत्पादन बढ़ा है लेकिन पश्चिम भारत में मूल्य 25 प्रतिशत गिर गये हैं। कपास के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में विद्यमान मूल्यों से बहुत अधिक है इसलिए क्या कारण है कि सरकार भारत में कपास की कम कीमतों को सहारा देने के बारे में नहीं सोचती है। जब सरकार कपास के ओटने या तैयार करने पर कुछ नियंत्रण लगा रही है तो क्या कपास उत्पादन और उसकी बिक्री के मामले में किसानों को सहारा देने और कुछ नियंत्रण रखने में कोई कठिनाई है।

Shri Tuisidas Jadhav (Baramati) : The Government should purchase cotton from the farmers and build buffer stocks. The import of cotton also affects indigenous prices of cotton. Is it essential to import cotton ?

As regards the question of increasing per acre yield of cotton, how it will be possible to increase per acre yield, until the farmer gets proper price for his cotton ?

The Government should set up godowns for storing cotton.

The condition of cotton cultivators is very deplorable. Contrary to it, the cotton purchasers are better off. What concrete steps Government propose to take to better the lot of the cotton growers ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं किसानों के पक्ष में व्यक्त सदस्यों के विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। सरकार नीति में ऐसा परिवर्तन करने के लिये सभी सम्भव उपाय करेगी जिस से उत्पादकों को अधिक से अधिक लाभ मिले। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें समस्या पर यथार्थवादी ढंग से विचार करना चाहिए। सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के बीच मतभेद पैदा करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सरकार एक ही है। मंत्रालयों में मतभेद पैदा करने की प्रवृत्ति से कई प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं।

पिछले वर्ष जब रूई से नियन्त्रण हटाने के प्रश्न पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था कि इससे कम से कम कुछ समय के लिये कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ समय बाद यह स्थिर हो जायगा। लेकिन कठिनाईयां हो सकती हैं। लाने ले जाने पर जो नियन्त्रण है उसे हटा लेने पर भी अधिकतम लाभ विचोलिये को मिलेगा न कि उत्पादक को।

रूई के मामलों में, जैसा कि अन्य कृषि उत्पादों के मामले में है, हम अभी तक कोई ऐसी संस्था स्थापित नहीं कर सके हैं जो उत्पादकों को काफी समय तक स्थिर मूल्य दे सके। जब किसी कृषि-जन्य वस्तु की कमी होती है तो कृषक उसे एकदम उगाने का प्रयत्न करते हैं। जब

तक वह इसे पैदा करता है तब तक यह आवश्यकता से अधिक हो जाती है और फालतू हो जाती है। चूंकि यह वस्तु फालतू होती है इसलिये इसके मूल्य गिर जाते हैं और वह दूसरे उत्पादों के चक्कर में पड़ जाता है जिन के अधिक मूल्य होते हैं लेकिन उस उत्पाद के मूल्य गिर जाते हैं जो जिन का वह उत्पादन करता हैं। इसलिये कृषक कठिनाई में रहता हैं। यही एक बुनियादी बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

सरकार वस्तु निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं जो सुरक्षित भण्डारों की मदद से कृषि वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के प्रश्न पर विचार करेंगे। सरकार कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से पटसन और रुई के मूल्यों को स्थिर रखने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस का समाधान तुरन्त नहीं किया जा सकता और हमें सुरक्षित भण्डार बनाने के लिये आवश्यक संसाधनों, आवश्यक मशीनों को अर्जित करने, उत्पाद वसूल करने तथा वितरित करने के प्रश्न पर विचार करना होगा। इसमें समय लगेगा।

अन्य मन्त्रालयों के सहयोग से वाणिज्य मन्त्रालय इन दो निगमों--पटसन के लिए निगम तथा रुई के लिये निगम--को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ताकि किसान अपने उत्पादों के लिए अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सके।

यह प्रश्न उठाया गया है कि मूल्य 25 प्रतिशत गिर गये हैं। लेकिन वस्तु क्रमांक को देखें तो पता चलेगा कि कच्ची रुई के मूल्य बढ़ गये हैं। लेकिन यह उतने नहीं बढ़े जितने कि बढ़ने चाहिये थे और कृषक को इस मूल्य पर अपने उत्पादों का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

जब हम कपास की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिये कि कपास में दो विभिन्न वाणिज्यक वस्तुयें होती हैं। एक बिनौला होता है जो अलग बेचा जाता है और अब इसका उचित मूल्य मिलता है और रुई होती है जो इस से निकलती है। इसी के आधार पर कपास का मूल्य निश्चित किया जाता है। बिनोले का मूल्य अलग रखा जाता है।

कृषि मूल्य आयोग ने स्वयं कपास के समर्थन मूल्य निश्चित करने में इस कठिनाई का आभास किया है। हम किसानों को लाभदायक मूल्य देना चाहते हैं। उसके लिए कोई आधार निश्चित करना पड़ता है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य हमें पूरा सहयोग देंगे ताकि हम ऐसी नीति बना सकें और उसको चला सकें जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 30 अप्रैल, 1968 / 10 बैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, The 30th, April, 1968, Vaisakha 10, 1890 (Saka)